चिंतन

किसान आत्महत्या रोकने की हो ईमानदार पहल

किसानों की दशा सुधारने पर खास ध्यान देने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार ने माना है कि चालू वर्ष में जनवरी से मार्च के बीच तीन महीनों में 767 किसानों ने आत्महत्या की है। देश में सबसे अधिक किसान आत्महत्या वाले राज्यों में महाराष्ट्र शुमार है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार अपने स्तर पर किसानों व कृषि के लिए अनेक योजनाएं शामिल हैं, जिनमें वार्षिक छह हजार रुपये किसान सम्मान निधि से लेकर उर्वरक सब्सिडी तक शामिल हैं। कृषि उपज की बिक्री के लिए भी पर्याप्त उपाय किए गए हैं। सरकार ने किसानों को कृषि के लिए सस्ते कर्ज उपलब्ध करवाए हैं। इसके बावजूद अगर किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं, तो निश्चित ही सरकार को किसानों के हित की सभी योजनाओं का सोशल ऑडिट करना चाहिए। या तो योजनाओं के लाभ किसानों तक पहुंच नहीं रहे हैं या या फिर योजनाएं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए नाकाफी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जब इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान से किसान आत्महत्या के कारणों का अध्ययन करवाया था तो, वजह के रूप में कर्ज, महंगी ब्याज दर, कम आय, फसलों की बर्बादी, पारिवारिक मुद्दे, आय के दूसरे स्रोत की कमी, आय के लिए वैल्यू एडिशन अवसरों की कमी आदि सामने आए थे। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या को लेकर बेशक विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधने के लिए राजनीति करें, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की सरकारों के समय भी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला कभी थमा नहीं। कांग्रेस शासन में महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र किसान आत्महत्या का मुख्य केंद्र रहा। भाजपा भी कभी शिवसेना के साथ, तो अब दूसरे दलों के साथ शासन में है, किसान आत्महत्या की समस्या बनी हुई है। महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार रही हो, किसानों की आत्महत्या रोकने में सफलता किसी को नहीं मिली। महाराष्ट्र में करीब 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले की जांच अब तक पूरी नहीं की गई है। राजनीतिक ठीकरा फोड़ने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। कृषि व सिंचाई योजनाओं में गहरे तक व्याप्त भ्रष्टाचार के दोषियों को भी न्याय के कटघरे तक लाना होगा। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस खुद विदर्भ से आते हैं, उन्हें इस क्षेत्र की किसान समस्याओं के बारे में जानकारी है, ऐसे में वे किसान आत्महत्या रोकने की दिशा में बेहतर काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 1995 से 2014 के बीच 296,438 किसानों ने आत्महत्या की थी। 2014 से 2022 के बीच नौ वर्षों में यह संख्या 100,474 थी। एनसीआरबी के मुताबिक, 2022 में किसान आत्महत्या की सबसे अधिक घटना वाले राज्य महाराष्ट्र (4,248), कर्नाटक (2,392), आंध्र प्रदेश (917), तमिलनाडु (728) और मध्य प्रदेश (641) थे। महाराष्ट्र में वर्ष 2023 में 2851 तो वर्ष 2024 में 2651 किसानों ने आत्महत्या की। आखिर कृषि योजनाएं किसान आत्महत्या रोकने में क्यों सफल नहीं हो पा रही हैं? बजट के स्तर पर सरकार ने कृषि क्षेत्र को लगातार तवज्जो दी है, इसके बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो नीति परिवर्तन से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक सभी बिंदुओं पर ईमानदारी से विचार करने की जरूरत है। सस्ते व आसान कर्ज, डीबीटी स्कीम्स व एमएसपी से आगे सोचने की आवश्यकता है। कृषि व सिंचाई क्षेत्र के घोटाले भी किसानों की दशा सुधारने में बाधक हैं।

दिल्ली : झुग्गियों में उलझा पक्ष-विपक्ष

सियासत
योगेश कुमार सोनी

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के समय मोदी जी ने आपको गारंटी दी थी 'जहां झुग्गी-वहां मकान।' उनका मतलब था- 'जहां झुग्गी-वहां मैदान।' वो ये कहना चाहते थे मुझे वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि केवल अवैध झुग्गियों पर ही कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने रेलवे लाइन से बिल्कुल सटाकर व ऐसी जगह जहां उनकी जान को खतरा है, वहां निर्माण किया हुआ है, केवल उन झुग्गियों पर ही डेमोलेशन होगा। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार किसी भी गरीब का आवास नहीं उजाड़ेगी। समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण करना भाजपा का लक्ष्य है।

हाल ही में दिल्ली में झुग्गियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जहां विपक्ष इस बात लेकर सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार अपना पक्ष रखकर जनता को समझाने में लगी हुई है। बीते रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बैक किया व आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि मोदी की गारंटी झूठी, फर्जी और नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पर भरोसा मत करना। केजरीवाल ने यह भी कहा कि चुनाव के समय मोदी जी ने आपको गारंटी दी थी 'जहां झुग्गी-वहां मकान।' उनका मतलब था- 'जहां झुग्गी-वहां मैदान।' वो ये कहना चाहते थे मुझे वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा।

इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी का कहना है कि केवल अवैध झुग्गियों पर ही कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने रेलवे लाइन से बिल्कुल सटाकर व ऐसी जगह जहां उनकी जान को खतरा है, वहां निर्माण किया हुआ है, केवल उन झुग्गियों पर ही डेमोलेशन होगा, वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार। इस मामले को लेकर दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा है कि सरकार किसी भी गरीब का आवास नहीं उजाड़ेगी। उन्होंने कहा कि समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण करना भाजपा का लक्ष्य है। यह केवल नारा नहीं, बल्कि भाजपा का देश-समाज के परिवर्तन का मार्ग है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने 2500 मकानों को रहने लायक बनाने की दिशा में काम किया गया। पूर्ववर्ती सरकार ने इन मकानों पर 'मुख्यमंत्री' नहीं लिखा होने के कारण इन्हें गरीबों को नहीं सौंपा था। इस कारण वर्षों से यह मकान खाली पड़े थे और गरीबों को घर का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब 43 करोड़ रुपये की लागत से इन मकानों को फिर से तैयार किया जा रहा है। सूद ने कहा कि आवास उन्हीं गरीबों को दिए जाएंगे जिनके पास अपने छत की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सच यह है कि मदरासी कैंप को अर्बन फ्लडिंग परियोजना के तहत खाली कराया गया, और सरकार ने वहां के निवासियों को पुनर्वास प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि उनके आवासों को तोड़ा नहीं गया है। कुल 370 में से 215 परिवार पात्र पाए गए, और उन्हें सम्मानपूर्वक पुनर्वासित किया गया है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या पक्ष-विपक्ष केवल झुग्गियों में उलझ कर अपनी राजनीति करेंगे या अन्य योजनाओं पर बात व काम भी होगा। जैसे कि केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लीनिक योजना अब आगे नही बढ़ रही। बीजेपी ने मोहल्ला क्लीनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा लेकिन अब तक वह कहीं भी शुरू होते नहीं दिखी, हालांकि बीते लगभग 2 वर्षों से अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक बेहाल अवस्था में ही थे, जिसको लेकर दिल्ली की जनता बहुत नाराज थी। बीजेपी ने इसमें परिवर्तन करके आगे संचालित करने की बात कही थी और इस पर शुरुआत से काम करने को लेकर कहा गया था लेकिन यह विफल होती दिख रही है। इसके भी तमाम अहम

कारण व महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिस पर काम होना था लेकिन अभी सब शून्य है।

राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने लगभग पांच महीने हो चुके हैं और सरकार का हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया है। अब सरकार को अपने वादों के अनुसार काम करना चाहिए चूंकि दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को ढाई दशक से भी अधिक समय बाद अपनी सत्ता काबिज करने का मौका मिला है। बीजेपी के अनुसार 2500 रुपये हर महीने मिलने वाली योजना उन महिलाओं के लिए है जिनको सालाना 3 लाख से कम सैलरी मिलती है और वो टैक्स स्लैब में नहीं आती हैं। ऐसी महिलाएं जो सरकारी नौकरी नहीं करती और उनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है। जिन महिलाओं को सरकार से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। इसके अलावा जिनके 3 या उससे अधिक बच्चे हैं, उनको हर महीने 2500 रुपये वाली योजना का फायदा नहीं होगा। इस पर भाजपा सरकार ने कड़े नियम लाने की बात भी कही थी। हालांकि इस योजना को लेकर बीजेपी ने 5100 करोड़ रुपये का बजट पारित किया भी किया हुआ है। इसको लेकर विपक्ष ने तंज मारते हुए कहा कि एक तरफ संघ के कुछ नेता मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं को दस बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं तो यह योजना किसी के काम नहीं आने वाली। ज्ञात हो कि बीजेपी सरकार ने शपथ भी नहीं ली थी और सबसे पहले यमुना की सफाई शुरू करते ही वहां आरती भी शुरू कर दी थी जिसको लेकर जनता बहुत प्रभावित हुई लेकिन उसके बाद कुछ खास काम होता नहीं दिखाई दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को काउंटर करते हुए कहा कि यमुना की सफाई को लेकर किए गए दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। यादव ने कहा कि यमुना के 7 मुख्य स्टेशनों से लिए गए पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि यमुना का पानी न तो पीने योग्य है और न ही नहाने के लायक। यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने यमुना सफाई को अपनी प्राथमिकता बताया था परंतु अब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कराई गई पानी की गुणवत्ता जांच ने सच्चाई बता दी है।

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सातों स्थानों पर जल गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई है। यादव ने इस बीजेपी सरकार की नाकामी बताई। बहरहाल समय के रहते बीजेपी को धरातल पर काम करना होगा। चूंकि एक लंबे अरसे बाद सत्ता में वापसी हुई है तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि 'सबका साथ सबका विकास' वाली तर्ज पर काम हो। गुणवत्ता व भरोसे के आधार पर जनता ने वोट दिया है तो उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए योजनाओं व विकास पर काम होना चाहिए। अब सावन का मौसम आने को है। इस मौसम में दिल्ली में जल भराव से पूरा शहर ठप पड़ जाता है और मानव जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त सा होने लगता है। इसको लेकर अभी तक कोई रणनीति नहीं दिख रही, वहीं अभी भी कई इलाकों में पानी की आपूर्ति को लेकर परेशानी जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा तो सबसे बड़ी चुनौती सर्दियां आते ही शुरू होगी, जिससे दिल्ली की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और वो है प्रदूषण। चूंकि जैसे ही दिल्ली में सर्दियां शुरू होती हैं, वैसे ही प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों का जीना मुहाल होता जाता है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद, डीजल वाहन बंद व इसके अलावा कई गतिविधियों पर रोक सी लग जाती है जिससे कई करोड़ों का नुकसान होता है व लोगों की सेहत भी प्रभावित होती है। इसलिए बीजेपी के सामने कांटे भरी राह है तो वह समय के साथ अपने आपको अपडेट व अपग्रेड कर ले जिससे जनता विश्वास व साथ बना रहे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

पुण्यतिथि

अरविंद जयतिलक

भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे स्वामी विवेकानंद के विचार

आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। उन्होंने अपने विचारों से अतीत के अधिष्ठान पर वर्तमान का और वर्तमान के अधिष्ठान पर भविष्य का बीजारोपण किया। स्वामी जी का उदय ऐसे समय में हुआ जिस समय भारत के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए राजाराम मोहन राय और शिक्षा के विकास के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे अनगिनत मनीषी भारतीय समाज में नवचेतना का संचार कर रहे थे। स्वामी जी अपने विचारों के जरिए स्वधर्म और स्वदेश के लिए अप्रतिम प्रेम और स्वाभिमान की ऊर्जा प्रवाहित कर जाग्रत-शक्ति का संचार किया जिससे भारतीय जन के मन में अपनी ज्ञान, परंपरा, संस्कृति और विरासत का गर्वपूर्ण बोध हुआ। उनकी दृष्टि में समाज की बुनियादी इकाई मनुष्य था और उसके उत्थान के बिना वे देश व समाज के उत्थान को अधूरा मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि राष्ट्र का वास्तविक पुनरुद्धार मनुष्य-निर्माण से प्रारंभ होना चाहिए। मनुष्य में शक्ति का संचार होना चाहिए जिससे कि वह मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने में और प्रेम, आत्मसंयम, त्याग, सेवा एवं चरित्र के अपने सद्गुणों के जरिए उठ खड़ा होने का सामर्थ्य जुटा सके। वे सर्वसाधारण जनता की उपेक्षा को एक बड़ा राष्ट्रीय पाप मानते थे। 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन (पार्लियामेंट आर्फ रिलीजन) के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'मेरी यह धारणा वेदान्त के इस सत्य पर आधारित है कि विश्व की आत्मा एक और सर्वव्यापी है। स्वामी जी गरीबी को सारे अनर्थों की जड़ मानते थे। इसलिए उन्होंने दुनिया को सामाजिक-आर्थिक न्याय और समता-समरसता पर आधारित समाज गढ़ने का संदेश दिया। वे ईश्वर-भक्ति और धर्म-साधना से भी बड़ा काम गरीबों की गरीबी दूर करने को मानते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि 'ईश्वर को कहां ढूंढने चले हो। ये सब गरीब, दुखी और दुर्बल मनुष्य क्या ईश्वर नहीं हैं? इन्हीं की पूजा पहले क्यों नहीं करते?' उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि 'गरीब मेरे मित्र हैं। मैं दरिद्रता को आदरपूर्वक अपनाता हूं। गरीबों का उपकार करना ही दया है।' स्वामी जी ने भारत के लोगों को संबोधित करते हुए शिकागो से एक पत्र में लिखा कि याद रखो कि देश झोपड़ियों में बसा हुआ है, परंतु शोक! उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया।' स्वामी जी ने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्वर्गारोहण के बाद उनकी स्मृति में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य गरीबों, अनाथों, बेबसों और रोगियों की सेवा करना था। जब उन्होंने मठ के संन्यासियों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा तो उनका भारी विरोध हुआ। संन्यासियों ने तर्क दिया कि हम सन्यासियों को ईश्वर की आराधना करना चाहिए न कि दुनियादारी में पड़ना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि 'आप अपना शरीर, मन, वचन सब कुछ परोपकार में लगा दो। तुमको पता है 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता में ईश्वर का दर्शन करो। पिता में ईश्वर का दर्शन करो' लेकिन मैं कहता हूं 'दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव। अनपढ़, नादान और पीड़ित को अपना भगवान मानो और जानो कि इन सबकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।' उनका मानना था कि मानवता के सत्य को पहचानना ही वास्तव में वेदांत है। वेदांत का संदेश है कि यदि आप अपने बांधवों अर्थात साक्षात ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते तो उस ईश्वर की पूजा कैसे करोगे जो निराकार है। एक व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को कृतघ्न समझता हूं, जो उनके बल पर शिक्षित बना और उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। स्वामी जी आम आदमी के उत्थान के लिए धन का समान वितरण आवश्यक मानते थे। वे इस बात के विरुद्ध थे कि धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीत हो। स्वामी जी अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों के शोषण से चिंतित थे और भारत की दुर्दशा का इसे एक बड़ा कारण मानते थे। वे देश की तरक्की के लिए कृषि और उद्योग का विकास चाहते थे। वे अक्सर परामर्श देते थे कि रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाओं को निःस्वार्थ भाव से गरीबी से जूझ रहे किसानों की दशा में सुधार लाने वाले कार्यक्रम एवं परियोजनाएं हाथ में लेनी चाहिए। स्वामी जी इस मत के प्रबल हिमायती थे कि भारत का औद्योगिक विकास जापान की तरह विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए होना चाहिए। वे चाहते थे कि देश में स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हो। स्वामी जी का मातृभूमि से तादातम्य संपूर्ण था। स्वामी जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने कहा है कि 'भारत स्वामी जी का गहनतम अनुराग रहा है, भारत उनके वक्ष पर धड़कता है, भारत उनकी नसों में स्पंदन करता है, भारत उनका दिवास्वप्न है, भारत उनका निशाकल्प है, वे भारत का रक्त-मज्जा से निर्मित साक्षात शरीर रूप हैं, वे स्वयं ही भारत हैं।'

(लेखक प्रसिद्ध स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन में अधिक प्रदूषण निरर्थक प्रवृत्तियों से है

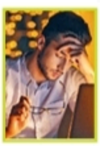

संकलित
दर्शन

यदि व्यक्ति अपनी सारी प्रवृतियों का सूक्ष्म निरीक्षण करे तो उसे यह समझ में आएगा कि उसकी प्रवृतियों में निरर्थक प्रवृतियों का जमघट सबसे अधिक है। अनावश्यक बोलना, अनावश्यक कार्य करना, व्यर्थ समय खोना, अनावश्यक विषयों में सोचते रहना। मनोरंजन के नाम पर अनावश्यक अश्लील हंसी मजाक करना, हानिकारक और व्यर्थ की प्रथाओं परिपाटियों का पालन करना, तास पत्ती और अंकों के खेल खेलकर धन नष्ट करना आदि अनेक ऐसी प्रवृतियां है जो न केवल निरर्थक है अपितु अनेक आपदाओं को भी जन्म दे देती है। ऐसी प्रवृतियां लोक जीवन में घर किए हुए हैं। लाखों करोड़ों व्यक्ति आंख मूंद कर ऐसे अनावश्यक कार्यों में अपना तन मन और धन नष्ट कर रहे हैं। अनेक संघर्ष और तनाव जो मानव जीवन में व्याप्त है। उनमें से अधिकांश तो ऐसी निरर्थक बातों के कारण ही है। व्यक्ति अपने तनाव और चिन्ता से मुक्त होने के अनेक उपाय करता है। किन्तु अन्य कोई उपाय करने के पहले उसे अपने जीवन से उन निरर्थक कार्यों को अलविदा कहना चाहिए जो उसके जीवन में व्यर्थ ही डेरा डाले हुए है और उसके तन मन को प्रदुषित कर रहे हैं। यदि जीवन में प्रवृतियों का निरर्थक अंश समाप्त हो जाता है और जीवन में सार स्वरूप आवश्यक कार्य विधियां ही शेष रहती है तो व्यक्ति के अधिकांश तनाव प्रकरण तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान महावीर प्रभु ने मानव मात्र के लिए एक महत्व पूर्ण व्रत दिया है 'अनर्थ दणण्ड विरमणव्रत' इस व्रत का विधान है जीवन में निरर्थक प्रवृतियों का त्याग करना। - *कांतिलाल मांडोत*

हनुमान जी ने सूर्य देव से हासिल किया था ज्ञान

संकलित
प्रेरणा

गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में गुरु को भगवान के बराबर माना गया है। महाभारत, रामायण में गुरु-शिष्य से जुड़ी कई कथाएं हैं। सूर्य पंचदेवों में से एक हैं और हनुमान जी के गुरु भी हैं। बाल हनुमान जब थोड़े बड़े हुए तो माता अंजनी और पिता केसरी ने उन्हें सूर्य देव के पास ज्ञान हासिल करने के लिए भेजा। माता-पिता की बात मानकर हनुमान जी ने सूर्य देव के पास पहुंचे और उनसे गुरु बनने के लिए प्रार्थना की। हनुमान जी की बात सुनकर सूर्य देव ने कहा कि मैं तो एक पल के लिए कहीं रूका नहीं हूं, न ही मैं रथ से उतर सकता हूं तो ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि आप अपनी गति कम किए बिना ही मुझे ज्ञान दीजिए। मैं आपके साथ चलते-चलते विद्या हासिल कर लूंगा। इस बात के लिए सूर्य देव मान गए। इसके बाद सूर्य देव ने हनुमान जी को सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। इस प्रकार सूर्यदेव की कृपा से ही हनुमान जी को ज्ञान मिला। इस प्रसंग में हनुमान जी ने संदेश दिया है कि योग्य गुरु से ज्ञान हासिल के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। योग्य गुरु ही हमें सही ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आज योग्य गुरु की तलाश काफी कठिन हो गई है।

अंतर्मन

आज की पाती

हिंदी हर नजर से सर्वश्रेष्ठ

हमें अंग्रेजी बोलने में शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर वर्षों राज कर देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया, हम हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाहे, आज आजाद देश में हम उनकी भाषा को मान-सम्मान देते हैं, इसे प्रयोग करने में गर्व महसूस करते हैं। आज हम भारतीयों में से बहुत से लोग अपनी हिंदी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि हमारे देश को आजाद करवाने वाले देशभक्तों और महापुरुषों ने हिंदी बोलने में अपनी शान समझी। उन्होंने इसके विस्तार के लिए काम भी किया। महात्मा गांधी ने हिंदी के लिए कहा था कि, परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता हो। हिंदी इस नजर से सर्वश्रेष्ठ है। - *विजय नायडू, भाटापारा*

करंट अफेयर

गुलामी से बेहतर है जेल की अंधेरी कोठरी: इमरान खान

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वह गुलामी स्वीकार करने के बजाय जेल की अंधेरी कोठरी में रहना पसंद करेंगे। खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आशूरा के बाद वर्तमान शासन के खिलाफ विद्रोह करें। आशूरा, पैगंबर साहब के पोते इमाम हुसैन की शहादत के शोक में मोहर्रम का 10वां दिन है। इस साल यह दिन छह जुलाई को है। खान ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, मैं पूरे देश, विशेषकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आग्रह करता हूं कि वे आशूरा के बाद इस अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े हों। खान ने कहा, मैं गुलामी को स्वीकार करने के बजाय जेल की एक अंधेरी कोठरी में रहना पसंद करूंगा। खान कई मामलों में लगभग दो वर्षों से जेल में हैं। खान ने कहा कि उनकी आवाज को हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर टिप्पणी करते हुए खान ने कहा, जब कोई तानाशाह सत्ता में आता है, तो उसे लोगों के मतों की ज़रूरत नहीं होती वह क्रूर बल के ज़रिए शासन करता है।

ऑफ बीट

खटमल एक वैश्विक समस्या इसके बारे में जानकारी कम

खटमल छोटे, उड़ने से लाचार कीड़े होते हैं जो मानव रक्त पर जीते हैं। कई प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे अधिक लोगों को जिस प्रजाति का पता है वह साइमेक्स लेक्टुलरियस है। रोमनों ने उन्हें साइमेक्स कहा, जिसका अर्थ है बग। 1758 में बहुत बाद में प्राकृतिक इतिहासकार कार्ल लिनिअस ने इनके नाम के साथ 'लेक्ट्युलरियस' को जोड़ा, जिसका अर्थ है बिस्तर या सोफा। हमारा रक्त उनके पोषण का मुख्य स्रोत है, लेकिन वह जीने के लिए अन्य जानवरों का खून भी पीते हैं, जैसे पक्षियों, पालतू जानवरों और चमगादड़ों आदि का। खटमल में एक जटिल आंत माइक्रोबायोटा होता है, जो उन्हें हमारे रक्त से आवश्यक सभी पोषक तत्वों को निकालने में मदद करता है। किशोरों को एक जीवन चरण से दूसरे में विकसित होने के लिए रक्त भोजन की आवश्यकता होती है - इसलिए, वयस्क बनने के लिए, प्रत्येक खटमल को कम से कम पांच रक्त भोजन की आवश्यकता होगी। वयस्क खटमल, हालांकि, भोजन के बिना पूरे वर्ष जीवित रह सकते हैं। वे उड़ नहीं सकते। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, चलने से वह बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन यह घर में हर तरफ फैल जाते हैं। और खटमल ज्यादा दूर तक जाने के लिए इनसानों का इस्तेमाल करते हैं।

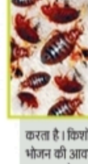

ट्रेंड

भारत और घाना में संबंध

मुझे मिला 'ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' सम्मान हमारे युवाओं के उज्ज्वल भविष्य, उनकी आकांक्षाओं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भारत और घाना के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

अमरनाथ यात्रा आरंभ

श्रद्धा, साधना और शिवभक्ति से ओत-प्रोत, सनातन परंपरा की जीवंत प्रतीक श्री अमरनाथ यात्रा आरंभ हो गई है। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं के जीवन को मंगलमय बनाए।
- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

कलाकारों को पेंशन

बिहार राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को कैबिनेट से मंजूरी प्रदान कर राशि स्वीकृत कर दी गई है। वरिष्ठ व उत्कृष्ट कलाकारों को प्रतिमाह 3 हजार रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
-नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

स्टेट टाइगर फोर्स

मप्र वन विभाग की स्टेट टाइगर फोर्स ने अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्कर ताशी शेरपा को सजा दिलाने की उत्कृष्ट कार्रवाई की है, जिसके लिए इंटरपोल मुख्यालय ल्योन, फ्रांस ने बधाई पत्र प्रेषित कर प्रशंसा की है। वन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- डा. मोहन यादव, सीएम, मप्र

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

दैनिक जागरण

आस्था का उद्‌भव अंत:करण से होता है

बेतुके विरोध की पराकाष्ठा

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के गहन परीक्षण का जो आदेश दिया, उस पर विपक्ष की हाय-तौबा हैरान करने वाली है। चुनाव आयोग के आदेश पर विपक्षी दल आयोग के साथ-साथ मोदी सरकार पर जैसे आरोप लगा रहे हैं, वे बेतुके ही नहीं, विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति की पराकाष्ठा का भी परिचायक हैं। आखिर जब इसके पहले 2003 में मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण किया जा चुका है तो फिर 2025 में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न यह भी है कि क्या समय-समय पर चुनाव आयोग की ओर से इसका पता लगाया जाना अपराध है कि मतदाता सूचियों में दर्ज मतदाताओं के नाम, पते आदि सही हैं या नहीं? यह सब पता किया जाना तो निष्पक्ष चुनाव की बुनियादी शर्त है। यह सब लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए भी आवश्यक है और धांधली रोकने के लिए भी। क्या विपक्षी दल यह चाहते हैं कि उन मतदाता सूचियों के सहारे चुनाव कराया जाना ठीक रहेगा, जिनमें मृतकों के तो नाम होते हैं, लेकिन जीवित लोगों के नहीं। विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की मानें तो चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के परीक्षण का आदेश प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर दिया है और आयोग वास्तव में उनके कहने पर लोकतंत्र को नष्ट करने पर आमादा है। क्या विपक्षी दल और विशेष रूप से कांग्रेस यह बता सकेगी कि जब राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे और कांग्रेस को देश भर में राजीव गांधी की अस्थि कलश यात्राएं निकालने की सुविधा दी थी तो उसके पीछे कौन था?

अच्छा हो कि विपक्षी दल चुनाव आयोग पर हास्यास्पद आरोप लगाकर अपनी जगहंसाई न कराएं। वे हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कथित धांधली का शोर मचा कर पहले ही ऐसा कर चुके हैं। चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली बताकर और उसके उचित कदमों का भी बेतुका विरोध करके विपक्षी दल जनता को बरगलाने में सफल नहीं हो सकते। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग ने बिहार में उन लोगों को राहत दे दी है, जो पिछली बार मतदाता सूचियों के परीक्षण का हिस्सा बने थे। विपक्षी दलों की ओर से यह आग्रह तो किया जा सकता है कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियों के परीक्षण के लिए थोड़ा और समय दे, लेकिन यह मांग करना बेकार की बात है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। भारत के किसी भी चुनाव में भारत के लोगों को ही मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस दलील में ज्यादा दम नहीं कि अपने देश में करोड़ों लोगों के पास यह साबित करने का कहीं कोई जरिया नहीं कि वे या उनके पुरखे इस देश के नागरिक हैं। जो बिहार में हो रहा है, वह सारे देश में होना चाहिए।

आपदा में साथ

हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन और भूधंसाव की घटनाएं सामने आने लगी हैं। मंडी जिले में सोमवार रात को कई स्थानों पर बादल फटने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है एवं 58 लापता हैं। सैकड़ों घर एवं 14 पुल ध्वस्त हुए हैं। कई पशु मारे गए हैं। सड़क, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति बाधित है। राहत एवं बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। प्रदेश में 20 जून को मानसून सक्रिय होने के बाद अब तक विभिन्न कारणों से 63 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में हर मौसम में किसी न किसी रूप में आपदा आती है, लेकिन पूर्व की घटनाओं से कोई सीख नहीं ली जा रही है। उचित है कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इनसे होने वाली क्षति को पूर्व प्रबंधन से अवश्य कम किया जा सकता है। विकास आवश्यक है, लेकिन नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पहाड़ों की कटाई की जा रही है। भवन निर्माण के दौरान निकलने वाली सामग्री को नदी नालों के किनारे पर फेंका जा रहा है। जंगलों में अवैध कटान हो रहा है। इसके अलावा नदी नालों में अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन पर नजर रखने के लिए तंत्र तो है, लेकिन उसकी सक्रियता प्रश्नांकित होती है। सरकार को सीख लेकर पूर्व आपदा प्रबंधन को मजबूत करना होगा। प्राकृतिक आपदा ने कई लोगों को जख्म दिए हैं। अब समय है कि प्रदेश के लोग भाई-बहनों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। दुख की घड़ी में लोगों का साथ उनका संबल बनेगा, जिन्होंने आपदा में अपनों को खोया है और जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।

आपदा प्रभावितों की मदद के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों से जुटने की अपेक्षा है

शोध एवं विकास की बाधाएं दूर होने की आस

आदित्य सिन्हा

भारत को तकनीकी महाशक्ति एवं आत्मनिर्भर बनाने में आरडीआइ योजना बाजी पलटने वाली एवं आर्थिकी को भी तेज गति देने वाली साबित हो सकती है

अवधेश राजपूत

किसी देश को यदि दीर्घकालिक एवं स्थायी प्रकृति की आर्थिक प्रगति का लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए शोध एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य होता है। इतिहास ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अन्वेषण और पेटेंट अधिकारों को संहिताबद्ध करने की कवायद से प्रेरित थी, जिसने विभिन्न उद्योगों में नए आविष्कारों को प्रोत्साहित किया। बीसवीं सदी में महाशक्ति के रूप में अमेरिका के उभरने के पीछे विज्ञान को सरकारी नीतियों के केंद्र में रखने की अहम भूमिका थी। अमेरिका ने इस दौरान नेशनल साइंस फाउंडेशन और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी-डारपा जैसे संस्थानों की स्थापना के साथ रक्षा, अंतरिक्ष और मेडिकल शोध में बड़े पैमाने पर निवेश किया। इसने एयरोस्पेस से लेकर इंटरनेट तक जैसे तमाम क्षेत्रों को नए आयाम दिए। हाल में चीन के उभार और विशेषकर एक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में बनी उसकी पहचान में शोध एवं विकास को नीतियों के केंद्र में रखने की अहम भूमिका रही है। संभावनाशील अत्याधुनिक तकनीकों में चीनी सरकार और औद्योगिक क्षेत्र के निवेश ने बीजिंग को बढ़त दिलाई है। स्पष्ट है कि जिस देश ने विज्ञान को अपनी नीतियों के मूल में रखा, तो न केवल उसने समृद्धि के नए प्रतिमान गढ़े, बल्कि अपनी संप्रभुता का भी विस्तार किया।

भारत के आरएंडडी परिदृश्य पर निवेश के सूखे को समाप्त करने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में भरसक प्रयास किए हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ), हाई-टेक क्षेत्रों के लिए विस्तारित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन-पीएलआइ योजना से लेकर सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और क्वांटम टेक्नोलाजी में निवेश विज्ञानोन्मुखी विकास की दिशा में गंभीर नीतिगत प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। हालांकि निजी क्षेत्र ने इसमें सही तालमेल नहीं दिखाया, जो जोखिम लेने का इच्छुक नहीं दिखता। अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की शोध एवं विकास गतिविधियों में जहां निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत तक है, वहीं भारत में यह महज एक तिहाई के दायरे में सिमटा हुआ है। विकास की गति जिन कारणों से अपेक्षित रूप से तेजी नहीं पकड़ पा रही, उनमें से एक यह भी है। निजी क्षेत्र के इस सतर्कता भरे रवैये के पीछे के कारणों की पड़ताल करें तो पहला यही दिखता है कि तमाम कंपनियां उन प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में सक्रिय हैं जहां लागत का पहलू बहुत मायने रखता है और उनमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा नहीं होता। ऐसे में किसी दीर्घकालिक नवाचार से मिलने वाले लाभ को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। उद्योग एवं अकादमिक जगत के बीच की कमजोर कड़ी से कंपनियों को अक्सर कुशल शोधार्थी नहीं मिल पाते और अत्याधुनिक शोध से वे दूर रह जाती हैं। कई भारतीय कंपनियों में कारपोरेट गवर्नेंस का स्तर बड़ा अवरोध है, जिसमें दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर तात्कालिक लाभ को तरजीह दी जाती है। चूंकि भारत में विज्ञान-केंद्रित स्टार्टअप्स के लिए गहन वेंचर कैपिटल (उद्यमों के लिए जोखिम पूंजी) इकोसिस्टम का अभाव है तो शुरुआती उड़ान भरने के लिए भी उन्हें वित्तीय ईंधन नहीं मिल पाता। नियामकीय अनिश्चितता और सीमित बौद्धिक संपदा समर्थन भी कंपनियों को शोध एवं निवेश में प्रयास बढ़ाने के प्रति हतोत्साहित करता है। परिणामस्वरूप भारत में शोध एवं विकास को संपदा से अधिक बोझ समझा जाता है।

इस मोर्चे पर कायम विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक जुलाई को रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआइ) योजना का एलान किया है। एक लाख करोड़ रुपये की यह योजना भारत को वैश्विक नालेज एवं इनोवेशन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिहाज से बाजी पलटने वाली साबित हो सकती है। इससे आरएंडडी निवेश की धारा में वित्तीय प्रवाह बढ़ेगा। इसमें कई उपयोगी प्रविधान किए गए हैं। जैसे नवाचार-केंद्रित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र को शून्य या बहुत कम ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण या इक्विटी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उदीयमान क्षेत्रों से लेकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवश्यक निवेश उपलब्ध हो सकेगा, जिससे क्वांटम टेक्नोलाजी, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और एयरोस्पेस जैसे तमाम क्षेत्रों में नई संभावनाएं साकार होंगी।

आरडीआइ योजना के अंतर्गत वित्तीय संसाधन एक विशेष उद्देश्य कोष के माध्यम से द्वितीयक स्तर पर सक्रिय कोष प्रबंधकों को प्राप्त होंगे। ये प्रबंधक पूंजी को ऋण, इक्विटी या किसी अन्य रूप में डीप-टेक फंड को उपलब्ध कराएंगे। यह संस्थागत ढांचा रणनीतिक सुसंगति, जवाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करता है। हायर टेक्नोलाजी रेडीनेस लेवल्स (टीआरएल) के लिए स्पष्ट रूप से वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करते हुए यह योजना भारतीय आरएंडडी परिदृश्य में उद्यमों का उस खतरनाक पड़ाव से बेड़ा पार लगाएगी, जहां अधिकांश उद्यम दम तोड़ देते हैं। इसमें उन उद्यमों पर विशेष ध्यान होगा, जिनकी तकनीक भारत की आर्थिक सुरक्षा एवं संप्रभुता की संरक्षा में सहायक होगी। विशेष रूप से वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों एवं किसी देश द्वारा निर्यात नियंत्रण की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना में सरकार केवल संसाधन प्रदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि एंकर निवेशक के रूप में भी एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने जा रही है। इससे उन क्षेत्रों में भी निवेश का सवेरा होगा, जहां अभी तक निराशा का अंधेरा था। इसमें यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास होगा कि वित्तीय संसाधन न केवल पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो सकें, बल्कि वे परिणाम देने वाले हों, जहां प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता जैसे पहलुओं को अनदेखा न किया जाए।

शोध-विकास के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति एवं 2047 तक प्रौद्योगिकी निर्यातक बनने की भारत की आकांक्षाओं के लिए यह नीति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसे सही से अमल में लाया जा सका तो यह भारत के लिए वही भूमिका निभा सकती है, जैसी डारपा ने अमेरिका और नेशनल आइसी फंड ने चीन के लिए निभाई।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सुधार के नाम पर शिक्षा से खिलवाड़

प्रेमपाल शर्मा

नजदीकी स्कूल बंद होने का सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा, जिनकी शिक्षा विकास के लिए आवश्यक है

सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन की हो पड़ताल। फाइल

शिक्षा में सुधार के कुछ सरकारी कदम विवादास्पद बनते जा रहे हैं। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 5,000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। इससे पहले राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारें भी हजारों स्कूलों को विलय के नाम पर बंद कर चुकी हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जहां 50 से कम बच्चे हैं, उन्हें नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित किया जाएगा। जो लोग देश के छह लाख से अधिक गांवों से परिचित हैं, वे शिक्षा पर इसके भयानक दुष्परिणाम की कल्पना कर सकते हैं। लगातार प्रयासों के बाद हमारी साक्षरता दर 80 प्रतिशत तक पहुंची है, जिसमें लड़कियों की साक्षरता दर विशेष रूप से उत्तर भारत में बहुत कम है। बिहार और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो समग्र साक्षरता में निराशाजनक है। यदि नजदीकी स्कूल बंद हुए, तो इसका सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ेगा, जो किसी भी समाज और देश के विकास के लिए एक बुनियादी शर्त है। देश की लड़कियां कम सुविधाओं के बावजूद हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कुछ नीतियां उलटे उनके खिलाफ जाती दिख रही हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए लाई गई नई प्रवेश परीक्षा सीयूईटी ने भी उनके नामांकन पर असर डाला है। आंकड़े बताते हैं कि इसके लागू होने के बाद से इन विश्वविद्यालयों में लड़कियों के दाखिले में 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नामांकन अब केवल उत्तर भारत के तीन-चार राज्यों तक सीमित होकर रह गया है, जिसमें कभी पूरे देश के मेधावी युवा आते थे। इस बीच विदेश में पढ़ने वालों की संख्या पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि पहली से पांचवीं कक्षा तक हर बच्चे के लिए एक किलोमीटर पर स्कूल होना चाहिए और छठी से आठवीं कक्षा तक हर बच्चे के लिए तीन किलोमीटर के दायरे में ही स्कूल होने चाहिए। संभवतः उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पक्ष पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। इसके पीछे वे नीति निर्माता प्रतीत होते हैं जिनमें से अधिकतर नगरों, महानगरों और विदेश और अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान शिक्षा में कुछ अच्छे काम किए थे, जिसमें 60 हजार शिक्षकों की भर्ती भी शामिल थी। इससे सभी स्कूलों में योग्य शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं। इस बीच शौचालय और अन्य भवनों में भी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अकेले इस कदम से पिछले दशकों में साक्षरता, शिक्षा और स्कूलों को बेहतर करने के प्रयासों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इस यू-टर्न से भारत के विकसित देश बनने का सपना बिखर सकता है।

इस बात की गहराई से पड़ताल होनी चाहिए कि सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों कम हो रहे हैं? शिक्षकों पर कुछ अन्य अतिरिक्त काम जैसे-जनसंख्या से जुड़े आंकड़े जुटाने, चुनाव कराने, बैंक खाता खुलवाने, मिड डे मील योजना को लागू करने जैसी जिम्मेदारियां कम क्यों नहीं की जा सकती हैं? क्यों जिला स्तर पर इन स्कूलों में निरीक्षण और उनकी समस्याएं सुनने का तंत्र विकसित नहीं हो पाया है? उनके मोटिवेशन के लिए जिला स्तर पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सर्वे बताते हैं कि जिला अधिकारी मुश्किल से पांच प्रतिशत सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में सरकार छात्रों को यूनिफार्म देती है, वजीफा देती है, कोई फीस नहीं लेती और प्रतियोगी परीक्षाओं से चुने हुए योग्य शिक्षक नियुक्त होते हैं। इसके बावजूद वहां बच्चे नहीं आते। यह आजाद भारत के लिए सबसे बड़ी विडंबना है। यह सरकारी तंत्र की असफलता है। 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय भी दिया था कि हर सरकारी कर्मचारी, विधायक आदि के बच्चों का इन स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य हो। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए सरकार को इसे लागू करना चाहिए। इसके साथ-साथ स्कूलों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला और बेहतर पाठ्यक्रम अपनी भाषा में बनाया जाना चाहिए। इससे बच्चे अंग्रेजी के बोझ से मुक्त होंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। जिला स्तर पर इस बुनियादी परिवर्तन से ही सरकारी स्कूल चमकने लगेंगे।

नई शिक्षा नीति के नियम का भी इस पर असर पड़ा है। नियम कहता है कि पहली क्लास में छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं होगा। इसके चलते बच्चे सरकारी स्कूलों में आने बंद हो गए हैं। इस बीच कुकुरमुत्ते की तरह बिना ठीक-ठाक बिल्डिंग, शौचालय, खेल की सुविधाओं के निजी स्कूलों में दाखिले की बाढ़ आ गई है। एक बार बच्चा वहां दाखिल हो गया, तो उसे निकालना आसान नहीं होता। इसलिए दाखिले की उम्र तुरंत पांच वर्ष करने की जरूरत है। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की योग्यता का भी कोई पैमाना नहीं है। रोजगार का पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगार नौजवानों में बढ़ता असंतोष बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर हो सकता है। हर वर्ष 25 जून को हम आपातकाल को याद करते हैं, जिसमें लोगों की आवाज को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया था या रोक दिया गया था। बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा हर लोक का हक है। और यही लोकतंत्र है। सरकार को इन सब बातों पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है।

(भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे लेखक शिक्षाविद् हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विषम परिस्थितियां

प्रायः जीवन बहुत सहज चल रहा होता है कि अचानक ऐसा कुछ घटित हो जाता है, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग घबरा जाते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि विपरीत परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं। उनसे घबराने के बजाय हमें सहजता से उनका सामना करना चाहिए। सहजता मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। यही सहजता असफलता को स्वीकार कर आगे बढ़ने का संबल देती है।

यदि कभी आप असफल होते हैं, तो यह मान लेना गलत है कि प्रकृति या सृष्टि ने आपके साथ छल किया है। जीवन में हर स्थिति आपके आत्म-विकास की परीक्षा है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कठिन, आत्म-निर्माण की ईंटें हैं। तो फिर प्रश्न उठता है-विपरीत परिस्थितियां आती क्यों हैं? जीवन बोझ क्यों लगता है? इसका मूल कारण है-हमने अपने जीवन-मूल्यों को भुला दिया है। हमने आत्मा की आवाज को अनसुना करना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि व्यक्ति की आंतरिक शांति और समाज की सामूहिक चेतना, दोनों ही कमजोर हो रही हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने भीतर के इंसान को जगाएं, जो हमें धैर्य, विवेक, सहनशीलता और आत्मबल देता है। कठिन समय में शांत रहकर समाधान खोजें, न कि उत्तेजना में प्रतिक्रिया दें। याद रखें, जब हम किसी कार्य में मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा से लग जाते हैं, तो सफलता भी बाध्य होकर हमारे कदम चूमती है। अपनी पीड़ा केवल उन विश्वसनीय लोगों से साझा करें, जो सकारात्मक और तटस्थ सलाह दे सकें।

विपरीत समय ही चरित्र की असली कसौटी होता है। यही समय आपकी सहनशक्ति, सोच और आत्मबल का निर्धारण करता है। यदि आप इस दौर में भी शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप ही अपने जीवन के सच्चे निर्माता बन जाते हैं-ऊर्जा से भरे, विवेकशील और विजयी।

ललित गर्ग

शिशु-मातृ की सुरक्षा में भारत आगे

अली खान

भारत ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाकर अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है

भारत ने हाल के वर्षों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में जो गिरावट दर्ज की है, वह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की प्रतिबद्धता, नीति की दृढ़ता और सामाजिक जागरूकता की परिणति है। संयुक्त राष्ट्र की 2000 से 2023 तक की रिपोर्ट दर्शाती है कि इस अवधि में भारत ने करीब पांच लाख माताओं और 80 लाख नवजात शिशुओं की जान बचाई। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शिशु मृत्यु दर में 59 प्रतिशत, नवजात मृत्यु दर में 70 प्रतिशत और शून्य डोज वाले बच्चों की मृत्यु दर में 78 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि वैश्विक औसत क्रमशः 51 प्रतिशत, 54 प्रतिशत और 61 प्रतिशत रहा है। भारत ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाकर न केवल अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य मंच पर एक प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।

दरअसल भारत ने टीकाकरण अभियान में जो मजबूती दिखाई, उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। 2017 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष इस बदलाव का महत्वपूर्ण कारण रहा। भारत के वर्तमान टीकाकरण अभियान में हर वर्ष 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ नवजात शिशुओं को टीके लगाए जाते हैं। पहले सिर्फ छह बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते थे, अब 12 बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण की सुविधा देश के सुदूरवर्ती, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचाई गई है। भारत की यह सफलता केवल नीति निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि नीतियों के कुशल क्रियान्वयन में भी उसने उत्कृष्टता दिखाई। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाएं सभी ने मिलकर काम किया। टीकाकरण की निगरानी, बच्चों की ट्रैकिंग, प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखने और आंकड़ों के संग्रहण में तकनीक की भूमिका ने इस पूरे अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाया।

किसी भी देश के विकास के लिहाज से शिशु और मातृ सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक स्वस्थ शिशु, एक सशक्त नागरिक की नींव है। एक सुरक्षित मां, एक सशक्त पीढ़ी की जननी है। जब हम एक नवजात को जीवन की शुरुआत में ही सुरक्षा, पोषण और देखभाल देते हैं, तो वह भविष्य में एक बेहतर विद्यार्थी, कुशल श्रमिक, जागरूक नागरिक और सशक्त मानव संसाधन बनता है। हालांकि अभी भी देश के कुछ पिछड़े राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों में शिशु-मातृ मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। सामाजिक एवं धार्मिक भ्रांतियां, गरीबी, अशिक्षा और पोषण की कमी इन क्षेत्रों में चुनौती बनी हुई हैं। इसके लिए टीकाकरण अभियान के साथ-साथ पोषण मिशन, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को भी जोड़ना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अमरनाथ यात्रा का दूसरा पक्ष

'श्रद्धा और संकल्प की यात्रा' शीर्षक से मनोज सिन्हा द्वारा प्रस्तुत यह आलेख अमरनाथ यात्रा को आतंकवाद के विरुद्ध आस्था की विजय, प्रशासनिक सफलता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु यह विमर्श तब और संतुलित होता जब इसमें व्यवस्थागत चुनौतियों, पर्यावरणीय प्रभावों और संवैधानिक दायित्वों की विवेचना भी उतनी ही गंभीरता से की जाती। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, आतंकी खतरों के बीच निष्कलंक संचालन और रिकार्ड संख्या में तीर्थयात्रियों की भागीदारी निश्चित ही प्रशंसनीय है, लेकिन एक आधुनिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से केवल यह सफलता पर्याप्त नहीं कही जा सकती। पहाड़ों के पार जाती भीड़ के साथ-साथ पहाड़ी इकोसिस्टम की थकान, अस्थायी व्यवस्था की सीमाएं और नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता पर विमर्श आवश्यक है। जब यात्रा सांस्कृतिक प्रतीक बन जाती है, तब उसे प्रशासनिक चुनौती और नीति-परिणाम, दोनों के रूप में देखना विवेकपूर्ण होता है। आस्था के साथ-साथ उत्तरदायित्व की कसौटी पर कसना इस प्रकार की विशाल यात्राओं के दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में पहला कदम है। इसके लिए जरूरी है कि हम धार्मिक आयोजन को न केवल भावनात्मक गौरव के रूप में, बल्कि व्यवस्थागत उत्तरदायित्व और पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से भी देखें। एक जीवंत लोकतंत्र में श्रद्धा के आयोजनों को सुरक्षा से ऊपर जाकर पारदर्शिता, सततता और समावेशिता के नजरिये से परखा जाना चाहिए।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

श्रद्धालुओं का जज्बा

पहलगाम हमले के पश्चात अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जो जज्बा देखी जा रही है वो पाकिस्तान के मुंह पर करारा जवाब है। पहलगाम की घटना घाटी को अस्थिर करना था मगर स्थानीय लोगों और प्रशासन में समन्वय स्थापित होने से अमरनाथ की यात्रा बेखौफ शुरू हुई है। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। आतंकियों का खौफ अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में न के बराबर है। वे बाबा भोलेनाथ की जय-जयकारे करते आगे बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों लोग कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके जम्मू-कश्मीर की बर्फीली घाटियों में स्थित बाबा बर्फानी के पवित्र गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन में धैर्य, समर्पण और आस्था की परीक्षा भी है। कड़ाके की ठंड, कठिन चढ़ाई और आक्सीजन की कमी के बावजूद जब भक्त हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह यात्रा उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत कर देती है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षाबलों की सतर्क निगरानी में अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक जारी है। हर यात्री के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र, पंजीकरण और पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

डिजिटल इंडिया अभियान

डिजिटल इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन दस वर्षों में इस अभियान ने बेहतरीन मुकाम हासिल किए हैं। इन दस वर्षों में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत देश डिजिटल रूप से सशक्त बना है। आनलाइन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। डिजिटल इंडिया योजना ने देश के अंदर डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की है। डिजिटल इंडिया योजना देश के अंदर सरकारी सेवाओं को आनलाइन उपलब्ध कराने में सफल रहा है। इस योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ा। डिजिटल इंडिया योजना ने देश में रोजगार के विभिन्न अवसरों का विकास किया है। इसके साथ ही देश में नए नए "स्किल कौशल" का विकास भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से शुरू की गई विभिन्न विकास से जुड़ी आर्थिक सामाजिक योजनाओं की सीधी पहुंच आम जनता तक देखने को मिली है। विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

560 से अधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित हुई हैं देश भर में वर्ष 2010 से 2020 तक एक दशक की अवधि में, लिहाजा इस बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है।

आजकल

विकास की गति न रोक दें औद्योगिक दुर्घटनाएं

आंध्र प्रदेश में हाल ही में एक फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के कारण 40 लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 10 कामगार अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वर्ष 2010 से 2020 तक देश में छोटी-बड़ी लगभग 560 औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित हुई। लेकिन इन दुर्घटनाओं के संदर्भ में किसी भी स्तर पर विशेष चिंता नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, इस अवधि के दौरान औद्योगिक दुर्घटनाओं की चपेट में आकर और उनके पर्यावरण जनित दुष्प्रभावों के कारण देश में छह हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे में एक बड़ी चिंता यह भी है कि ये दुर्घटनाएं देश के आर्थिक विकास की गति को भी कम कर रही हैं

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

आंध्र प्रदेश में एक दवा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के बाद इस तरह की घटनाओं को रोकने पर विशेष ध्यान देना होगा। फाइल

विश्व की शायद ही कोई फैक्ट्री या प्लांट ऐसा होगा, जहां सावधानी हटने और दुर्घटना घटने जैसे सूत्रवाक्य बड़े अक्षरों में नहीं लिखे मिलते होंगे। लेकिन थोड़े-थोड़े अंतराल पर होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं ने साबित किया है कि कोई न कोई चूक अक्सर होती है, जो सावधानी हटने या लापरवाही बरतने के कारण हादसे में तब्दील हो जाती है। तेलंगाना की एक फार्मा फैक्ट्री में हाल ही में हुए धमाके में हुई तीन दर्जन से ज्यादा लोगों मौतों से यह सवाल पैदा होता है कि आखिर किस नियम-कायदे की अनदेखी की गई जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई।

हमारे देश में औद्योगिक दुर्घटनाओं का मामला इसलिए गंभीर माना जाना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हर तीसरे-चौथे महीने कोई बड़ा औद्योगिक हादसा हो रहा है, लेकिन इन पर सरकार और समाज का ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारी तंत्र, समाज, शिक्षाविद और पर्यावरणविद देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और मानवीय क्षति की चर्चा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन औद्योगिक दुर्घटनाओं को लेकर उनकी सजगता और समझ, दोनों ही बहुत सीमित है। यहां तक कि औद्योगिक दुर्घटनाओं पर अधिकांश अध्ययन कुछ बड़ी घटनाओं और मैक्रो-स्तर में ही सिमटे रह जाते हैं। जैसे कि दो दिसंबर, 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी पर तो देश-समाज में काफी चिंतन-मनन हुआ, लेकिन 2010 से 2020 तक दस साल की अवधि में देश में 560 औद्योगिक दुर्घटनाएं घटित हुईं, इन्हें लेकर विशेष चिंता तक किसी भी स्तर पर नहीं दिखी।

क्या हमारी राजनीतिक और सामाजिक चेतना भारत के आर्थिक विकास की चमकीली रोशनी के आगे इस तरह कुंद पड़ गई है कि वह इसके साइड-इफेक्ट के रूप में सतत होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली मानवीय क्षति और पर्यावरणीय नुकसान को समझ नहीं पा रही है। इसके उलट वह इन हादसों को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा या इन घटनाओं को बेहद सामान्य मानते हुए इनके जोखिम को स्वीकार कर रही है। सभी को लगता है कि जिस तरह बड़े शहरों में सड़कें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ट्रैफिक का दबाव पैदा होता है, जहरीली धुंध का खतरा पैदा होता है- वह उन्हें विकास की कीमत के रूप में सहन करना ही पड़ेगा। शायद हमारे समाज और सरकारों ने मान लिया है कि विकास की चमचमाती नजीरें बन रही फैक्ट्रियों के अग्निकांडों और धमाकों में कुछ दर्जन मौतों और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का होना स्वाभाविक है। पर क्या यह सब कुछ वास्तव में इतना सामान्य है?

गैस रिसाव की समस्या : कुछ ही साल पहले कोरोना काल में लाकडाउन के बाद जब बंद पड़ी फैक्ट्रियों को दोबारा खोला गया था, तो शुरुआती चार-पांच महीनों में ही देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई 30 से ज्यादा औद्योगिक दुर्घटनाओं में करीब 75 लोगों की जान चली गई थी। जैसे कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित एलजी पालिमर इंडस्ट्री में गैस रिसाव हुआ, तो 12 जानें चली गईं। हादसा लाकडाउन खत्म होने की घोषणा के फौरन बाद फैक्ट्री का कामकाज फिर से शुरू करने की तैयारी के दौरान हुआ था। दावा किया गया कि इस प्लांट से स्टाइरीन गैस के रिसाव से संपर्क में आने वाले आसपास के करीब पांच हजार लोगों के दिमाग और रीढ़ पर इसका असर हुआ था। गैस का प्रभाव कुछ घंटों तक बना रहा था और आसपास के ढाई किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग इसके कारण सड़कों पर चलते-चलते बेहोश होने लगे थे। खूंटे से बंधे दर्जनों मवेशी भी मारे गए थे।

ऐसा ही एक हादसा उसी दौरान तमिलनाडु में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के एक थर्मल प्लांट में हुआ। इस प्लांट में एक जुलाई, 2020 को बायलर फट गया था, जिससे छह लोगों की मौत हो गई और 17 श्रमिक घायल हो गए। 10 जून, 2020 को असम के तिनसुकिया जिले में 15 दिनों तक हुए गैस के अनियंत्रित रिसाव के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'आयल इंडिया' के एक कुएं में भीषण आग लग गई, जिसमें दो दमकलकर्मियों की मौत हो गई। ऐसा क्यों हुआ? विशेषज्ञों का मत था कि हो सकता है कि लाकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों के उपकरणों-मशीनों का सही रखरखाव नहीं हो पाया। केमिकल और थर्मल फैक्ट्री में कई चीजों के नियमित निरीक्षण की जरूरत पड़ती है। ऐसे में संभव है कि लाकडाउन के दौरान नियमित निरीक्षण में बाधा आई हो या किसी स्तर पर लापरवाही हुई हो। लेकिन लाकडाउन और कोरोना काल के तो अब कई साल हो चुके हैं। तेलंगाना की फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट से साफ है कि यह लापरवाही से पैदा किसी समस्या का नतीजा होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी दुर्घटनाओं की असली वजह लापरवाही है या सुरक्षा उपायों का कारगर ढंग से लागू नहीं किया जाना है।

सवाल कई हैं, लेकिन औद्योगिक दुर्घटनाओं-आपदाओं के बारे में एक सर्वमान्य तथ्य यह है कि यदि लापरवाही न बरती जाए तो उनके बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए बायलर का ढांचा पुराना पड़ जाना, पाइपों में लीकेज की कोई समस्या पैदा हो जाना, प्लांट के भीतर कहीं निकासी का कोई वाल्व बंद होने से बेतहाशा दबाव बन जाना या ज्यादा मात्रा में ईंधन का प्रवाह हो जाने से विस्फोट हो जाना- ऐसी तमाम गड़बड़ियां हैं जिनकी समय-समय पर जांच न हो तो दुर्घटना होने की आशंका रहती है। फैक्ट्रियों में हाल में हुई दुर्घटनाओं से प्रतीत हो रहा है कि संबंधित सावधानियों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है।

बहुत ज्यादा आशंका यह बनती है कि संबंधित प्रणालियों पर नजर रखने वाले कर्मचारी किसी ऐसी गड़बड़ी की अनदेखी कर जाते हैं, जिन पर आम दिनों में उनकी नजर रहती है। किसी सिस्टम के हर छोटे-मोटे पुर्जे पर निगाह रखने वाले कर्मचारी जब काम के दबाव या फैक्ट्री प्रबंधन के नियम-कायदों पर जोर नहीं देने की नीति के चलते ऐसी असावधानी बरतते हैं, तो नतीजे अक्सर खतरनाक होते हैं। इसलिए फैक्ट्रियों में इन दिक्कतों को फौरन दुरुस्त करना होगा।

समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर दुष्प्रभाव : औद्योगिक दुर्घटनाओं के संबंध में प्रचलित जोखिम समाज सिद्धांत बतलाता है कि कैसे औद्योगिक विकास के दुष्प्रभाव देश और समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ जन-धन हानि नहीं करते हैं, बल्कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे, मई 2020 की घटना को ही लें। असम के तिनसुकिया जिले में एक प्राकृतिक गैस कुएं में विस्फोट हुआ, जिससे आग लगी पांच महीने तक चली। इस घटना ने डिब्रू-सैखोवा इलाके की करीब 55 प्रतिशत जैव विविधता को नष्ट कर दिया। कंपनी के संचालन व आपदा प्रबंधन को लेकर उस समय काफी हंगामा मचा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि देश में हो रही औद्योगिक दुर्घटनाओं के मद्देनजर फैक्ट्रियों में दुर्घटना रोकने संबंधी उपायों को लागू करने और सतर्कता बरतने को लेकर कोई सख्ती नहीं की जा रही है। यह देखते हुए कि खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति और निर्माण आदि तमाम क्षेत्रों में संलग्न कारखानें और छोटी-मोटी यूनिटें, देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और एक-चौथाई से ज्यादा कार्यबल को रोजगार देती हैं, फिर भी कंपनियों, फैक्ट्रियों, संगठनों में सुरक्षा मानकों की कमी, सरकारी नियमों की अनदेखी, संस्थागत विफलता और समाज की असंवेदनशीलता बेहद आम है। समय आ गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर ध्यान देने के साथ-साथ मानव-निर्मित आपदाओं, खासकर औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम पर ध्यान दिया जाए।

भोपाल गैस त्रासदी से लिया जाए सबक

वर्ष 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से हुए गैस रिसाव से करीब साढ़े पांच हजार मौतों और लाखों अन्य लोगों पर इसके उत्तर-प्रभावों (साइड इफेक्ट) से हजारों के दुष्प्रभावित हो जाने के कारण यह देश में हुई अब तक की सबसे भीषण आपदा के रूप में दर्ज है। लेकिन इस आपदा से भी देश कितने लचर तरीके से निपटा, इसकी मिसाल हाल के एक समाचार से मिलती है। पता चला है कि गैस त्रासदी के 40 साल बाद अब कहीं जाकर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकला 337 टन जहरीला कचरा मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी अपशिष्ट उपचार सुविधा केंद्र में जलाया गया है। जिस फैक्ट्री से निकली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआइसी) गैस के रिसाव के कारण हजारों जानें गईं, कई हजार दूसरे विकलांग हो गए और पांच लाख अन्य लोग तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के शिकार हो गए, उस फैक्ट्री के जहरीले कचरे को तत्काल प्रभाव से नहीं निपटाने और 40 साल तक वहीं पड़े रहने देने का मतलब एक अन्य दुर्घटना को जन्म देना है।

यह घोर लापरवाही या कहें कि सरकारी तंत्र के निकम्मेपन का साक्ष्य है, जो कई दूसरे औद्योगिक हादसों में लगातार नजर आता रहा है। जैसे 2009 में जयपुर तेल डिपो की भंडारण सुविधा में आग से जब 12 मौतें हुईं और पांच लाख लोगों को दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ा, तो पता चला कि वहां उचित आपदा प्रबंधन योजना का अभाव था। 21 सितंबर, 2009 को छत्तीसगढ़ में प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी बाल्को में निर्माणाधीन कोरबा चिमनी ढह गई, तो खराब निर्माण के कारण 40 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। इस तरह की अनेक घटनाएं निरंतर हमारे समक्ष एक नई चुनौती पैदा कर रही हैं, जिनसे समय रहते निपटा जाना चाहिए। इन घटनाओं का एक बड़ा चिंताजनक पहलू यह भी है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकांश कामगारों को यह नहीं पता होता है कि वे वहां पैदा होने वाले विकिरण की चपेट में भी आ सकते हैं। **(डा. संजय वर्मा)**

फिर से

'पंचायत' का चौथा सीजन....

दुनिया जान चुकी है कि 'पंचायत' में मंजू देवी, क्रांति देवी के हाथों पंचायत चुनाव हार चुकी हैं। विधायक जी, उर्फ पूर्व विधायक के नाचते हुए दृश्य पर तो तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन मुझ जैसे कुछ दर्शक हैं जिन्हें चौथे सीजन ने निराश किया। यह बात भी सच है कि पूरी तरह से निराश नहीं किया, लेकिन 90 परसेंट लाने वाले बच्चे यदि 70 परसेंट नंबर लाएं तो एक बार टोकना बनता है।

लगता है इस बार लेखकों ने ज्यादा मेहनत नहीं की। इलेक्शन के अभियान पर ज्यादा फुटेज खर्च की गई। लोकप्रिय होने के कारण निर्माताओं ने संभवतः दर्शकों को 'टेकन फार ग्रांटेड' ले लिया है।

पंचायत के चौथे सीजन ने भरम तोड़ दिया। अब प्रश्न है कि जिस कड़वे यथार्थ से भागकर हम पंचायत देखने पहुंचे थे, उसमें भी वही दिख रहा है। बकरी चराने वाला माधव और बेहद गरीब बिनोद उप-प्रधान बनने के लिए तैयार है, यह तो परले दर्जे की फालतू बात है। भारत के सबसे आदर्श गांव में भी इतनी राजनीतिक सहिष्णुता नहीं होगी और आपको इसी तरह का फीलगुड फैक्टर रखना था, तो बाकी स्थानों पर आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए? अधिकतर दर्शक कम से कम सत्य को परदे पर जीतते देखना चाहते हैं। एक सरल, ठेठ गांव का नेतृत्व करता हुआ वह चेहरा, अंतिम एपिसोड में अंधेरे में खो जाता है और दर्शक भौंचक्का रह जाता है।

हम रोज अपने आसपास, असल जिंदगी में सत्य को पराजित होता देखते हैं। दुष्टों को जीतता देखते हैं और उस यथार्थ से बचने के लिए ही तो हम पंचायत देखते थे। वरना बताइए, विधायक जी जैसा एक विधायक है भारत के किसी भी राज्य में जो लड़ते वक्त चप्पल उठाता हो, बंदूक नहीं? या देश के किस पंचायत का प्रधान पैदल चलता है और चारपहिया से दूर रहता हो?

बहरहाल, निराशाओं के बावजूद इस सीरीज में सबसे अधिक आकर्षित किया है बिनोद ने। जीत की खबर फोन पर सुनने के समय उसके चेहरे पर टिका हुआ 15 सेकेंड का कैमरा पूरे सीजन का सबसे शानदार शाट है।

(मंजीत ठाकुर की फेसबुक वाल का संपादित अंश, साभार)

X पोस्ट

जीएसटी को लागू हुए आठ साल हो गए। किसी भी नई प्रणाली की शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती ही हैं। कुछ तकनीकी समस्याओं के बावजूद अंततः व्यापारियों ने इसे अपना लिया है। कारोबारी सुगमता के लिहाज से नए उद्यमियों के लिए यह प्रणाली कारगर साबित हुई है।

राजेश शुक्ला@astroraj

महाराष्ट्र में रहने वालों से मराठी में संवाद का आग्रह तो उचित है, पर इसके लिए गुंडागर्दी और मारपीट सर्वथा अनुचित है। ऐसी घटनाओं का राज्य सरकार संज्ञान ले। अन्यथा बीएमसी चुनाव तक मुंबई और आसपास रहने वाले गरीब और गैर-मराठी भाषी लोगों की सुरक्षा खतरे में रहेगी।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

सवाल यह नहीं है कि बुमराह को आराम दिया जाना चाहिए था। सवाल यह है कि क्या एक सप्ताह के आराम के बाद बुमराह खेलना चाहते थे या नहीं। इससे 'क्लब बनाम देश' वाली पुरानी बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। अगर यही सिलसिला कायम रहा तो फिर टेस्ट क्रिकेट के लिए अपना वजूद बचाए रखना मुश्किल होगा। दुखद, किंतु सत्य।

मकरंद वेंगणकर@wmakarand

झारखंड डायरी

आदिवासियों को लामबंद करने की कोशिश या साजिश?

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में 30 जून को हूल दिवस के मौके पर हुई हिंसक झड़प ने न केवल क्षेत्रीय माहौल को तनावपूर्ण बनाया, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन को भी सियासी तूफान के केंद्र में ला खड़ा किया है। पुलिस ने इस मामले में चम्पाई सोरेन के दो करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार और धोती-साड़ी आदि सामग्रियां बरामद की गई हैं। यह घटना न केवल प्रशासनिक कार्रवाई का विषय बन रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच तीखी राजनीतिक जंग का कारण भी बन गई है। भाजपा ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, जबकि राज्य सरकार ने हिंसा को सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया है। इस घटनाक्रम ने चम्पाई सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब वे भाजपा में शामिल होने के बाद आदिवासी समुदाय को पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में जुटे हैं।

हूल दिवस 1855 में सिदो-कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। यह झारखंड के आदिवासी समुदाय के लिए गौरव और पहचान का प्रतीक है। भोगनाडीह सिदो-कान्हू की जन्मस्थली इस अवसर पर हर साल राजकीय समारोह का केंद्र रहता है। इस बार, राजकीय समारोह के समानांतर सिदो-कान्हू मुर्मू हूल फाउंडेशन ने भी एक अलग कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें चम्पाई सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि, जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस समानांतर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी।

चम्पाई सोरेन। फाइल

30 जून को जब प्रशासन ने फाउंडेशन द्वारा लगाए गए टेंट-पंडाल को हटाने की कोशिश की, तो स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क जाम कर दी और सिदो-कान्हू स्मृति पार्क में ताला लगा दिया। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग करना पड़ा, जिसमें छह पुलिसकर्मी और आठ से अधिक ग्रामीण घायल हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और तीर चलाए, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

इस हिंसक घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और चम्पाई सोरेन के निजी सहायक सुधीर कुमार सहित दो लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से धोती-साड़ी जैसी सामग्रियां भी बरामद की गईं, जिसे पुलिस ने स्थानीय आदिवासियों को लामबंद करने की कोशिश के तौर पर देखा। पुलिस ने दावा किया कि ये लोग आदिवासियों को हथियार और अन्य सामग्रियां बांटकर हिंसा भड़काने की योजना बना रहे थे। इस घटना ने न केवल चम्पाई सोरेन को निशाने पर ला दिया, बल्कि उनके भाजपा में शामिल होने के बाद की रणनीति पर भी सवाल उठाए। भाजपा ने इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि यह हेमंत सोरेन सरकार की बदले की कार्रवाई है। दूसरी ओर, झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने दावा किया कि भाजपा ने संथाल क्षेत्र में अपना जनाधार खो दिया है और इस तरह की घटनाओं के जरिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है।

चम्पाई सोरेन का राजनीतिक सफर झामुमो के साथ शुरू हुआ, जहां वे हेमंत सोरेन के विश्वस्त सहयोगी रहे। वर्ष 2024 में जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, तब चम्पाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। पांच महीने के कार्यकाल में उन्होंने हेमंत की वापसी तक सत्ता संभाली, लेकिन जेल से लौटने के बाद हेमंत ने फिर से कमान संभाल ली। इस हस्तांतरण ने चम्पाई को असहज किया और उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें भाजपा का दामन थामने के लिए प्रेरित किया। भाजपा में शामिल होने के बाद चम्पाई ने आदिवासी समुदाय को पार्टी के पक्ष में लाने की कोशिश तेज की। उन्होंने डेमोग्राफी बदलाव, लव जिहाद और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाकर आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करने की रणनीति बनाई। हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी यह रणनीति प्रभावी नहीं रही। अब भोगनाडीह की घटना ने उनकी इस कोशिश को और जटिल बना दिया है। प्रशासनिक कार्रवाई और जांच के क्रम में यह स्पष्ट तौर पर उजागर हुआ है कि भोगनाडीह में हिंसा सुनियोजित थी और इसका मकसद अशांति फैलाना था। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया, लेकिन जांच की दिशा अब चम्पाई सोरेन की ओर मुड़ रही है। अगर जांच में उनके करीबियों की संलिप्तता साबित होती है तो यह उनके लिए बड़ा झटका हो सकता है।

भोगनाडीह की घटना ने चम्पाई सोरेन को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। एक ओर जहां भाजपा इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं झामुमो इसे संथाल क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करार दे रही है। इस घटना ने न केवल आदिवासी समुदाय के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि चम्पाई के राजनीतिक भविष्य को भी अनिश्चितता के घेरे में ला दिया है। अगर जांच की आंच उन तक पहुंचती है, तो उनकी आगे की राह मुश्किल हो सकती है। यह घटनाक्रम झारखंड की सियासत में एक नए विवाद को जन्म दे रहा है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या शोध, विकास एवं नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष से आर्थिकी को तेज गति मिलेगी?

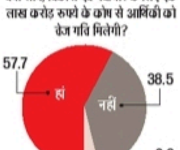

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पाकिस्तानी हाकी टीम को भारत में खेलने की अनुमति देने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

'मौलाना' बनकर रहुए तेजस्वी विद्वान,
अल्लिफ बे आवै नहीं चले बांटने ज्ञान।
चले बांटने ज्ञान चाहिए सीएम का पद,
चाहे करनी पार पड़े अब कोई भी हद।
जिनकी शिक्षा पूछ-पूछ कर हंसे जमाना,
वही बघारें ज्ञान बने बड़के 'मौलाना'!

- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

हिंदू अध्ययन केंद्रों का विस्तार

हिंदू अध्ययन व्यक्ति की तार्किक क्षमता को विकसित करने के साथ ही रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी काफी रोचक एवं आकर्षक पाठ्यक्रम है

प्रो. एच. सी. पुरोहित
समन्वयक, हिंदू अध्ययन केंद्र, दून विश्वविद्यालय, देहरादून

हिंदू अध्ययन विषय नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्कृत भाषा आधारित पाठ्यक्रम है। परंतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित इस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का विश्लेषण करने पर स्पष्ट हुआ कि यह हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन की सुविधा है जो उन विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है जिनकी संस्कृत भाषा पर पकड़ न हो। वैसे भाषा की जानकारी होना व्यक्ति की संवाद संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है, परंतु हिंदू अध्ययन तार्किक क्षमता को विकसित करने के साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी रोचक पाठ्यक्रम है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदू अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अनेक स्तरों पर लाभ मिल सकते हैं, जिसमें मुख्यतः शैक्षणिक, वैचारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आत्मिक लाभ शामिल हैं। इसके अध्ययन से भारतीय ज्ञान परंपरा की गहरी समझ विकसित होगी, क्योंकि विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दर्शन और चिंतन क्षमता के विकास में यह पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय दर्शन जैसे सांख्य, योग, न्याय, वेदांत आदि विषय गहन तार्किकता और विचार-विमर्श को बढ़ावा देते हैं। इससे विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक सोच और तर्कशक्ति में वृद्धि होती है। यह आत्मिक एवं नैतिक विकास को प्रेरित करेगा, क्योंकि इसका अध्ययन केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं देता, बल्कि आचार, व्यवहार और जीवनशैली को भी प्रभावित करता है।

महत्व: हिंदू अध्ययन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व है, क्योंकि विदेश में भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, आयुर्वेद और कला एवं संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदू अध्ययन विशेषज्ञों की वैश्विक स्तर पर भी मांग है। इस विषय से संबंधित विषय वस्तु कई विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और इंटरनेट प्लेटफार्म्स पर भी उपलब्ध हैं। इसकी शाखाएं इतिहास, लोककला, गीत-संगीत, मनोविज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में काफी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, जो इस विषय की व्यापकता एवं प्रासंगिकता को प्रकट करता है।

ज्ञान का परिमार्जन : आज की वैश्विक दुनिया में जब शिक्षा केवल रोजगार तक सीमित रह गई है, ऐसे समय में हिंदू अध्ययन विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान की गहराई में ले जाता है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, मूल्य और आत्म-चिंतन से भी जोड़ता है। हिंदू अध्ययन के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, भारतीय दर्शन, पुराण, मंदिर वास्तुकला, सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक अनुष्ठान और जीवनदृष्टि आदि का अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य भारत के मूल आत्मा को समझना, उसका अध्ययन कर प्रामाणिक शोध को प्रोत्साहित करना है।

रोजगार के अवसर : हिंदू अध्ययन में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने के उपरांत रोजगार के विविध विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे शोधकर्ता, शिक्षाविद्, लेखक, धर्मशास्त्री, संस्कृत विशेषज्ञ, अनुवादक, पुरातत्वविद्, संस्कृति विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय, संग्रहालय, मीडिया और आध्यात्मिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य करने के अवसर शामिल हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के विकास में उपयोगी यह अध्ययन युवाओं को भारत के आत्मा से जोड़ता है और विद्यार्थियों में गौरवबोध जगाता है तथा भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उनको तैयार करता है। ऐसे युवा शोध, लेखन, शिक्षण और अनुवाद जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। इसके अलावा योग, आयुर्वेद, ध्यान आदि के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक, इंटरनेट डायलाग, संस्कृति प्रसार और राजनयिक सांस्कृतिक मिशन में कार्य के अवसरों का लाभ ले पाएंगे और संस्कृति के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर काफी अवसर उपलब्ध हैं। यह समाज में सांस्कृतिक चेतना और समरसता फैलाने में सहायक होगा।

इस विषय में स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त युवा केवल ज्ञान की खोज तक सीमित नहीं रहते, यहां रोजगार के नए अवसर भी खुलते हैं। इसके अलावा संस्कृत, धर्मशास्त्र, दर्शन, संस्कृति विषयों का अध्यापन, स्वतंत्र थिंक टैंक, नीति संस्थान और सांस्कृतिक संगठनों में शोध कार्य संचालित कर भविष्य बनाया जा सकता है। अनुवाद और लेखन में काफी अवसर हैं, प्रमुख रूप से धार्मिक ग्रंथों, साहित्यिक रचनाओं और शास्त्रों के आधुनिक भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन, मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म्स के लिए लेखन,

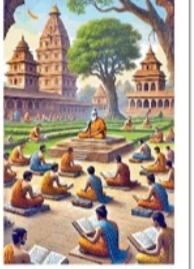

प्रतीकात्मक

स्क्रिप्ट राइटिंग, आध्यात्मिक पत्रकारिता और कंटेंट निर्माण में अनगिनत अवसर हैं। तकनीकी एवं डिजिटल क्रांति के युग में भी यह विषय युवाओं को डिजिटल और स्टार्टअप क्षेत्र में भारतीय संस्कृति आधारित यूट्यूब चैनल, वेबसाइट्स, एप और ई-लर्निंग प्लेटफार्म्स लांच करने के साथ ही वेदांत, योग, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि पर आधारित स्टार्टअप्स स्थापित करने को प्रेरित करेगा।

****

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 4 जुलाई 2025

जैसे को तैसा

उत्तराधिकार के मसले पर भारत ने दलाई लामा का पक्ष लिया है। इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं। भारत शुरू से तिब्बतियों के अधिकार, उनके हितों और उनकी परंपराओं व मूल्यों के समर्थन में खड़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान चीन के लिए यह सख्त संदेश भी है कि इस संवेदनशील मसले पर उसकी मनमानी नहीं चलेगी।

दलाई लामा के साथ भारत

चीन से टकराव । 14वें दलाई लामा ने इस पद के लिए अगले शख्स को चुनने की सारी जिम्मेदारी Gaden Phodrang Trust को दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगले दलाई लामा के चुनाव के मामले में किसी और को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनका इशारा चीन की ओर था। रिजिजू ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है। वहीं, चीन का इस बारे में कहना है कि उत्तराधिकारी का चयन चीनी मान्यताओं के अनुसार और पेइचिंग की मंजूरी से होना चाहिए।

दलाई लामा की ताकत । तिब्बत के लिए दलाई लामा केवल धार्मिक गुरु नहीं हैं - वह उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसके वजूद और उसके ताकत के केंद्र हैं। 1959 में जब उन्हें कम्युनिस्ट सरकार के दमन के चलते भारत में शरण लेनी पड़ी थी, तब से हालात बिल्कुल बदल गए हैं - चीन बेहद ताकतवर हो चुका है और तिब्बत कमजोर। इसके बाद भी अगर तिब्बत का मसला जिंदा है, तो वजह हैं दलाई लामा। चीन इसे समझता है और इसी वजह से इस पद पर अपने प्रभाव वाले किसी शख्स को बैठाना चाहता है।

भू-राजनीतिक असर । चीन ने तिब्बत की पहचान को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली है। दलाई लामा के पद पर दावा ऐसी ही एक और कोशिश है। उसकी वजह से यह मामला धर्म से आगे बढ़कर जियो-पॉलिटिक्स का रूप ले चुका है, जिसका असर भारत और उन तमाम जगहों पर पड़ेगा, जहां तिब्बत के लोगों ने शरण ली है। भारत पर तो चीन लंबे समय से दबाव डालता रहा है कि वह दलाई लामा को उसे सौंप दे।

दबाव डालने का मौका । चीन और तिब्बत की लड़ाई भारतीय भूमि पर दशकों से चल रही है और नई दिल्ली-पेइचिंग तनाव का एक कारण यह भी है। दलाई लामा की घोषणा के अनुसार, उनका उत्तराधिकारी तिब्बत के बाहर का भी हो सकता है - तो यह तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन, इसमें भारत के लिए मौका भी है। वह चीन पर कूटनीतिक दबाव डाल सकता है, जो पहलगाम जैसी घटना में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और बॉर्डर से लेकर व्यापार तक, हर जगह राह में रोड़े अटकाने में लगा है।

रोज़-ब-रोज़

बिहार में लॉटरी

शैलेंद्र पांडेय

बिहार में लॉटरी और शराब की स्थिति एक जैसी है। दोनों बैन और दोनों ही मौजूद। न शराब को सब्र है बिहार में घुसने से, और न लॉटरी चुप बैठ सकती है खबरों में चढ़ने से। दोनों मनमाने और दोनों के तमाम चाहने वाले। एक नाम इसमें पटना यूनिवर्सिटी का भी जोड़ लीजिए। पांच कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल तय करने थे उसे, तो फैसला लॉटरी से किया गया। चुने जाने वालों को उतनी ही खुशी मिली होगी, जितनी लकी ड्रॉ में नाम आने पर मिलती है!

लॉटरी का जलवा है, जो चुनिंदा राज्यों में वैध होने के बावजूद आज भी पैमाना बनी हुई है सबसे बड़ी खुशी का। किसी के चेहरे पर अचानक चमक आ गई हो और वह भी अचानक तो सवाल यही पूछा जाता है, 'लॉटरी लगी है क्या?' इतना आसान नहीं होता लाखों के बीच में किसी एक नंबर का लग जाना। कई लोग तो सारा जीवन बस इंतजार में ही बिता देते हैं। फिर भी अगर इंतजार का फल कैलिफोर्निया के उस शख्स जैसा हो, जिसने लगभग 17 सौ करोड़ रुपये की लॉटरी जीत ली थी, तो कोई मलाल ही नहीं। बस यही लालच है जो लॉटरी को लोगों से दूर नहीं जाने देता। हजारों साल से इंसान फंसा हुआ है इसके जाल में। चीन के हान राजवंश से लेकर रोमन साम्राज्य तक - हर दौर में लॉटरी रही। इसकी शुरुआत हुई थी सरकारी खजाने को भरने और योजनाओं के लिए धन जुटाने को। अमेरिका में 18वीं सदी में लॉटरी बेचकर हुई कमाई से सरकार ने कई विश्वविद्यालय बनवाए और लाइब्रेरी खोली।

वैसे पहली सरकारी लॉटरी नीदरलैंड में 15वीं सदी में शुरू हुई, और भारत में इसका इतिहास चला 1967 से। केरल ने सबसे पहले चलन शुरू किया था और वही आज भी सबसे आगे है। 2022-23 में केवल लॉटरी से केरल को करीब 12 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। जनता लॉटरी खरीदती है ताकि एक दिन में किस्मत पलटी जा सके। सरकार लॉटरी बेचती है ताकि कमाई के साधन बढ़ाए जा सकें। लॉटरी खरीदने वाला हर शख्स इस उम्मीद में बंधा होता है कि इस बार उसका नंबर है। यही उम्मीद लॉटरी बेचने वालों को बचाए हुए है। इस खेल में तमाम तबाह भी हुए। अब बिहार ने भी यही खेल खेला है।

एकदा

महावीर की करुणा

तीर्थंकर महावीर एक दिन पूर्व दिशा की ओर मुख करके धूप लेते हुए गहरी साधना में मग्न थे। उनकी मुद्रा अत्यंत शांत और स्थिर थी। उसी समय कुछ शरारती युवक वहां से गुजरे। उन्हें भगवान महावीर को निश्चल खड़े देखकर शरारत सूझी। एक ने धूल उड़ा दी, दूसरा कंकड़ फेंकने लगा। तीसरे ने उन पर थूका, फिर भी महावीर स्थिर खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मुख पर गहरी शांति और आत्मसंतोष झलक रहा था। यह देख वे युवक आपस में कहने लगे, 'अरे! यह कैसा आदमी है, थूकने पर भी इसे क्रोध नहीं आया, न ही इसने हमें भला-बुरा कहा।' भगवान महावीर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न होते देख युवकों ने कहा, 'यह तो पागल लगता है या गूंगा। देखो, क्रोध तो करता ही नहीं!' फिर एक ने उनके सिर पर मिट्टी फेंकी, दूसरे ने हड्डियों से शरीर में चुभन पहुंचाई, एक ने तो भाले से प्रहार किया, पर महावीर इसके बाद भी शांत भाव से अपनी साधना में बने रहे। उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था, जैसे वह पीड़ा का अनुभव न कर रहे हों। अब युवकों को पश्चाताप होने लगा। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, 'भगवन! हमें क्षमा करें, आपको अकारण ही कष्ट दिया, हम अज्ञानी हैं।' युवकों की यह दशा देखकर महावीर ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में न क्रोध था, न तिरस्कार। केवल करुणा और क्षमा थी। वह मुस्कराए और बिना कुछ कहे उन्हें क्षमा कर दिया।

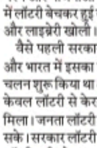

संकलन : ललित गर्ग

पार्टी क्षत्रपों की पुरानी बीमारी राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों के बाद कर्नाटक में दिख रही है

कर्नाटक की कलह पर क्या चाहते हैं खरगे

भाषा सिंह

देश में सिर्फ तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और तीनों जगहों पर हाल ठीक नहीं है। तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में अक्सर ही पार्टी के अंदर आपसी टकराव उमड़ता रहता है। कर्नाटक में इस समय खलबली मची हुई है। यहां कांग्रेस सरकार पर मंडराया संकट भले ही ऊपर से मैनेज किया जा रहा है, लेकिन अंदरूनी टकराव बना हुआ है। इस टकराव के आने वाले दिनों में फिर जोर पकड़ने की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में कांग्रेस को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा। इसके बाद ही वह देश में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकती है।

सत्ता के दो ध्रुव । कर्नाटक में सत्ता के दो ध्रुव हैं - मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप-मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार। वर्ष 2023 में सरकार बनने के समय से ही दोनों में रस्साकशी चल रही है। जून 2025 में फिर संकट गहराया, जब डी.के. शिवकुमार के समर्थकों ने यह दांव चला कि 100 कांग्रेसी विधायक सत्ता में बदलाव चाहते हैं और सिद्धारमैया को हटाकर अब शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए।

उठापटक जारी । कांग्रेस आलाकमान ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला को संकट हल करने के लिए भेजा। बैठक हुई, वह विधायकों से मिले भी। मीटिंग के बाद सारी बयानबाजी भी हो गई कि ऑल इज वेल, कांग्रेस में एकता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई विवाद नहीं है। सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार ने हाथ मिलाकर फोटो भी खिंचवा लिए मैसूर में, लेकिन यह ऊपर से की गई पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं था। सारी कवायद के बाद तुरंत ही फिर असहमति के स्वर उठने लगे और फिर से खींचतान और उठापटक शुरू हो गई।

भारी पड़ी आपसी लड़ाई । दरअसल, ये कांग्रेसी क्षत्रपों की बहुत पुरानी बीमारी है। राजस्थान से लेकर हरियाणा और मध्यप्रदेश तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेसी नेताओं की पहली चिंता BJP को हराकर सत्ता में आने से ज्यादा अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेसी नेता को हराने की रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई तो सड़कों पर उतर कर एक-दूसरे के खिलाफ विष-वमन करने तक पहुंच गई थी। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा बनाम अन्य कांग्रेसी नेताओं की लड़ाई ने BJP को चुनावी जीत थाली में परोस कर दे दी।

कलह के खिलाड़ी
- सिद्धारमैया और डीके पहले से हैं प्रतिद्वंद्वी
- गहलोत-पायलट भिड़ चुके राजस्थान में
- हुड्डा Vs अदर्स का हरियाणा में दिखा रंग

पेचीदा है मसला । कर्नाटक में मामला पेचीदा है। सिद्धारमैया बेहद लोकप्रिय नेता हैं। वह कुरबा समाज से आते हैं, जो अत्यंत पिछड़ा है। सोशल इंजीनियरिंग में माहिर सिद्धारमैया का अहिंदा जातिगत समीकरण BJP की हार का बड़ा कारण बना। उधर, डी.के. शिवकुमार आर्थिक-सामाजिक रूप से संपन्न समुदाय वोक्कालिगा से आते हैं। धनबल, बाहुबल और विधायक बल के लिहाज से वह मजबूत जमीन पर खड़े हैं। इन दोनों नेताओं का कॉम्बिनेशन ही कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाया। डी.के. शिवकुमार पर कई मामले लंबित हैं। मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही इन मामलों के खुलने की आशंका शुरू से उनके इस कुर्सी तक पहुंचने में बाधा रही है।

कथित फॉर्म्युले पर विवाद । अंदर ही अंदर यह समीकरण भी खूब फैलाया गया कि ढाई साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर शिवकुमार इस कुर्सी पर विराजेंगे। हालांकि इस समीकरण की घोषणा कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं की गई। लेकिन खासतौर से शिवकुमार के खेमे वाले विधायकों को इस बात पर विश्वास है कि पार्टी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बारे में भी कहा जाता है कि वह भीतर ही भीतर शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने के समर्थक हैं, लेकिन खुलकर इस पर पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं।

यथास्थिति कब तक । गांधी परिवार फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में है। उसे पता है कि इस नाजुक दौर में सिद्धारमैया को खोना कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन राजनीति में लंबे समय तक यथास्थिति का बने रहना संभव नहीं होता। विरोधी स्वरों को न निपटाया जा रहा है और न ही एडजस्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक में कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ती दिखाई देती है और उसका कोई हल नहीं दिखता।

ज्यादा वक्त नहीं । कांग्रेस के भीतर कलह, लीडरशिप के लिए खींचतान एक स्थायी समस्या के रूप में बनी हुई है - जिसे राहुल गांधी न हल कर पा रहे हैं और न ही इस पर कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। कुर्सी की चाह कांग्रेस के नेताओं में इस कदर बढ़ रही है कि वे इसके लिए अपनी पार्टी की सरकार तक कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। क्या कर्नाटक भी देर-सबेर इसी दिशा में बढ़ेगा? इसका जवाब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ही देना होगा। अभी जो घमासान चल रहा है, उससे साफ है कि राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व के पास ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही उन्हें हस्तक्षेप करना होगा।

राहुल गांधी का GST विरोध सिर्फ़ राजनीति

प्रत्युष कंठ

राहुल गांधी का दावा है कि GST कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का माध्यम है। हकीकत यह है कि इसे केंद्र सरकार ने अकेले नहीं लागू किया, बल्कि यह एक सर्वदलीय सहमति से संसद में पारित हुआ था। GST काउंसिल में कांग्रेस शासित सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और सभी मिलकर फैसला लेते हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है कि काउंसिल में तो इनके नेता समर्थन करते हैं लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं।

छोटे कारोबारी । राहुल गांधी का आरोप है कि GST ने छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया है। सच्चाई यह है कि GST ने MSME को सशक्त बनाया है। सरकार ने न केवल पंजीकरण सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की, बल्कि 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबार के लिए 'कंपोजीशन स्कीम' दी गई। अब मासिक रिटर्न की जगह तिमाही रिटर्न और SMS से 'निल' रिटर्न फाइल करना संभव हुआ है। पीएम मोदी की अगुवाई में 'TReDS' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से MSME को औपचारिक अर्थव्यवस्था में आने और संस्थागत क्रेडिट हासिल करने का रास्ता मिला।

बढ़ता रजिस्ट्रेशन । यह कहना कि GST केवल बड़ी कंपनियों को फायदा देता है, पूरी तरह झूठ है। दूध, अनाज, सब्जियां, किताबें और बिजली जैसी जरूरी चीजें GST से मुक्त हैं। राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि GST के कारण 18 लाख व्यवसाय बंद हो गए। लेकिन इसके उलट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2025 में 23,776 नई कंपनियां रजिस्टर हुईं, जो मार्च की तुलना में भी अधिक हैं। अप्रैल में सक्रिय कंपनियों की संख्या 18.7 लाख पहुंची, जो कुल रजिस्टर्ड कंपनियों का 65% है।

टैक्स में न्याय । कुछ आलोचक GST के कई टैक्स स्लैब्स पर सवाल उठाते हैं। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक ही टैक्स दर लागू करना संभव नहीं है। गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए और अमीरों पर महंगी चीजों पर टैक्स लगाना ही न्याय है। GST काउंसिल लगातार डेटा आधारित तरीके से टैक्स दरों को सरल और न्यायसंगत बना रही है। तकनीक ने GST को और कुशल बनाया है। ज्यादातर रिटर्न अब ऑटो-फिल हो जाते हैं, रिफंड जल्द मिलते हैं और प्रक्रिया बेहद सरल हो चुकी है।

बढ़ता कलेक्शन । अगर GST विफल होता, तो उसके आंकड़े भी कमजोर होते। लेकिन 2024-25 में GST संग्रह 22.08 लाख करोड़ रहा, जो चार साल पहले की तुलना में लगभग दोगुना है। मासिक औसत राजस्व 1.84 लाख करोड़ है। यहां तक कि कोविड-19 के समय भी GST संग्रह स्थिर रहा। जहां तक पेट्रोल और डीजल पर GST लागू होने की बात है, राहुल गांधी ने एक बार फिर आधा सच बोला है। यह फैसला GST काउंसिल में आम सहमति से होता है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस शासित राज्य ही पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे से बाहर करने का सर्वाधिक विरोध करते हैं क्योंकि वे ईंधन पर लगने वाले वैट से भारी राजस्व कमाते हैं।

सहकारी संघवाद । राहुल गांधी 'संघवाद पर हमला' कहकर जिस नीति की आलोचना कर रहे हैं, उन्हीं नीतियों ने कोविड काल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्यों को 2.78 लाख करोड़ का मुआवजा दिया गया। पैसा कम पड़ा, तो केंद्र ने उधार लेकर राज्यों की जिम्मेदारी निभाई। यही है असली 'सहकारी संघवाद'। यह याद रखना भी जरूरी है कि GST मूलतः कांग्रेस की ही सोच थी, लेकिन वर्षों तक केवल कागजों में ही अटकी रही। उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और तकनीकी तैयारी मोदी सरकार ने दिखाई और फिर उसे लगातार बेहतर भी बनाया।

(लेखक BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

संघ और BJP, कितने दूर-कितने पास

पूनम पाण्डे

BJP में सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं। हर दिन किसी न किसी प्रदेश में अध्यक्ष के नाम का एलान हो रहा है। जल्द ही उसे नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक BJP और उसके वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच रिश्तों में दिलचस्प उतार-चढ़ाव दिखे हैं। दोनों का रिश्ता कई मामलों में जटिल भी है। हालांकि अब सांगठनिक चुनाव में संघ की पूरी पकड़ साफ दिख रही है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष पद पर उन लोगों को तरजीह मिल रही है जिनकी संघ की पृष्ठभूमि है। ज्यादातर ऐसे नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है जो संघ के छात्र संगठन ABVP से जुड़े रहे हैं, या फिर संघ के सिस्टम से निकल कर राजनीति में आए हैं।

मुलाकात का असर

लोकसभा चुनाव के वक्त और उसके नतीजों के बाद जहां BJP और संघ में दूरी दिख रही थी, वहीं अब लग रहा है कि करीबी बढ़ी है। सांगठनिक चुनाव में इसकी झलक दिख रही है। साफ लग रहा है कि BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में भी संघ की भूमिका रहेगी। BJP और संघ के बीच एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी भी हुई है। दूरी मिटाकर संघ के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश BJP की तरफ से भी दिखी है। इसी साल 30 मार्च को पहली बार (पीएम बनने के बाद) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ हेडक्वॉर्टर नागपुर गए और संघ के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। मोदी और भागवत की अलग से बात भी हुई। उससे पहले के कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग इंटरव्यू में कई बार संघ का जिक्र किया, उसके काम की तारीफ की और उन पर संघ के प्रभाव के बारे में भी खुलकर बात की।

संबंधों में खटास पहली बार तब रेखांकित हुई जब 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संघ को लेकर एक सख्त बयान आया। उन्होंने कहा कि 'BJP अब स्वतंत्र और सक्षम हो गई है और उसे संघ की मदद की जरूरत नहीं है।' इस बयान से काफी हलचल हुई। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे BJP की ओर से अपनी स्वायत्तता जताने की कोशिश के रूप में देखा। जबकि कुछ ने इसे संघ के साथ तनाव का संकेत माना। नड्डा के इस बयान को लेकर संघ में भी बेचैनी दिखी। संघ के कई स्वयंसेवकों ने इस पर नाराजगी जताई। और फिर कहा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने प्रचार से अपने पांव पीछे खींच लिए जिसका BJP को नुकसान हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 240 सीटें मिलीं। हालांकि NDA के सहयोगियों के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

संघ और BJP के बीच 'सब ठीक न होने' की चर्चा ने तब और जोर पकड़ा जब लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रचारकों के कई तीखे बयान आए। संघ के सीनियर प्रचारक इंद्रेश कुमार ने एक कार्यक्रम में कहा कि 'रामराज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, धीरे-धीरे अहंकार से ग्रस्त हो गए। इसलिए उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया गया फिर भी उसको जो पूरा मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक ली। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर एक नहीं बने, नंबर दो पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है बड़ा आनंददायक है।' बाद में संघ की ओर से कहा गया कि यह संघ का आधिकारिक बयान नहीं है बल्कि इंद्रेश कुमार का निजी बयान है।

फिर बना तालमेल

चुनाव नतीजों के बाद समीक्षा में संघ ने पाया कि पार्टी का संगठन कई राज्यों में काफी कमजोर हुआ है। इसके बाद तय किया गया कि संघ की तरफ से अब ढील नहीं दी जाएगी। इसके बाद हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में संघ ने BJP का साथ दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह विधानसभा चुनाव के दौरान संघ के अलग-अलग संगठनों ने कई छोटी-छोटी मीटिंगें कीं और BJP के पक्ष में माहौल बनाया। इसके बाद लगने लगा कि अब फिर संघ और BJP की दूरी कम हुई है। इसी साल विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। संघ ने लक्ष्य रखा है कि तब तक उसे देश भर में अपनी शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 1 लाख करनी है। संघ तब कई बड़े आयोजन भी करेगा, जिसका राजनीतिक परिदृश्य में भी असर दिखेगा।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

जब मनुष्य का स्वभाव लड़ना नहीं, तो युद्ध क्यों

हरीश बड़थ्वाल

एक समय था जब बच्चे बालू पर अपने सपनों के घर बनाते और कुछ शरारती बच्चे उन्हें रौंद देते। उस समय खेल की लड़ाई थी, अब राष्ट्रों की जिद और वर्चस्व की लड़ाई है। तब बड़ों को बीच-बचाव करना पड़ता था, आज वैश्विक मंचों पर कूटनीति और राजनय की कोशिशें होती हैं। लेकिन प्रश्न आज भी वही है- आखिर क्यों किसी की बनाई दुनिया को मिटाने की जरूरत पड़ती है?

मनुष्य मूल रूप से लड़ाकू नहीं है। उसका स्वभाव शांति प्रिय, सौम्य और करुणामयी है। वह जुड़ाव चाहता है, विघटन नहीं। लेकिन जब उसके भीतर की चेतना पर लोभ, भय और सत्ता की आकांक्षा हावी हो जाती है, तब वह खुद को श्रेष्ठ साबित करने की जिद में दूसरों को मिटा देने को तैयार हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल राष्ट्रों में नहीं, व्यक्ति, परिवार और समाज में भी देखी जा सकती है। भिन्नताएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे अहंकार और स्वार्थ की भूमि पर उगती हैं, तो मतांतर संघर्ष में बदल जाते हैं।

महाभारत का युद्ध भी इसी अंतर्द्वंद्व का प्रतीक है। अर्जुन के मन का द्वंद्व और कृष्ण की गीता यह सिखाते हैं कि संघर्ष जीवन का हिस्सा हो सकता है, पर उसका आधार धर्म और विवेक होना चाहिए, न कि वर्चस्व और प्रतिशोध। आधुनिक युद्धों में धर्म नहीं, स्वार्थ और प्रभुत्व की मानसिकता अधिक दिखाई देती है। आज अनेक राष्ट्र अपने भौतिक विकास और सैन्य विस्तार को ही सफलता मानते हैं। लेकिन यदि वह विकास दूसरों के जीवन की कीमत पर है, तो वह विकास नहीं, विनाश है। इतिहास गवाह है कि सत्ता और संपन्नता की अंधी दौड़ में भागने वाले अनेक शासकों का अंत दुखद रहा है। कुछ अकेलेपन में मरे, कुछ आत्महत्या से, कुछ अपमानजनक पतन के साथ। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की सार्थकता केवल पद, प्रतिष्ठा या दौलत में नहीं है।

मनुष्य का संघर्ष बाहरी ही नहीं, भीतर का भी होता है। आत्म संघर्ष ही उसे परिष्कृत करता है। जब वह अपने भीतर के दोषों को त्याग कर करुणा, विवेक और परहित की ओर बढ़ता है, तभी उसका सच्चा विकास होता है। भौतिक सुविधाएं केवल साधन हैं, लक्ष्य नहीं। यदि उन्हें ही अंतिम उद्देश्य मान लिया जाए, तो जीवन की आध्यात्मिक दिशा खो जाती है। आज का विश्व अनेक तकनीकी उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद मानवीय चेतना के स्तर पर पीछे हटता जा रहा है।

यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, वे जीवन के हर क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मानवता का होगा। तब न कोई विजेता बचेगा, न कोई पराजित, केवल राख होगी और स्मृतियों में गुम हो चुके घरौंदे रह जाएंगे।

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

■ दुनिया सुन रही है

3 जुलाई का संपादकीय 'लड़ाई पर मिला साथ' पढ़ा। Quad देशों की तरफ से जारी किया गया संयुक्त बयान भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक समर्थन दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह दर्शाता है कि भारत की बात को अब गंभीरता से सुना जा रहा है। पाकिस्तान का नाम भले ही न लिया गया हो, पर बयान का संदेश स्पष्ट है कि पहलगाम आतंकी हमले की योजना विदेशी जमीन से रची गई और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। अमेरिका की सहमति इस बयान को और अधिक असरदार बनाती है, जो पहले भारत-पाक को एक ही नजर से देखता था। Quad का यह रुख वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है और आतंक के खिलाफ एकजुटता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

प्रीतम रावत, ईमेल से

■ लोकतंत्र की जड़ें

3 जुलाई को प्रकाशित लेख 'भारत में क्यों नहीं रुक रही जातीय हिंसा' पढ़ा। लेख आजाद भारत में लोकतंत्र की मूल भावना और सामाजिक समानता को मिल रही चुनौतियों पर गहरे सवाल उठाता है। स्वतंत्रता के बाद जिस सामाजिक जागरण और समता की कल्पना की गई थी, वह धीरे-धीरे जातीय हिंसा, अहंकार और असहिष्णुता की धुंध में खोती जा रही है। इटावा जैसी घटनाएं न केवल हमारे संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि भीड़तंत्र और नफरत ने लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर दिया है। यहां खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है।

प्रियंका श्रीवास्तव, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

पुलिस ने जिसे बांग्लादेश भेज दिया था, वह फिर दिल्ली में मिली- खबर।
- यह लुका-छिपी का खेल चल रहा है क्या।

सोनम राय

कुछ ही लोग प्रेरणादायी होते हैं, बाकी षड्यंत्रकारी होते हैं। -अर्नेस्ट ग्येमंग येबोआ

टीके और तथ्य

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया द्वारा हासन जिले में बीस युवाओं की मौतों की संभावित वजह कोरोना के टीके को बताने से जो आशंकाएं पैदा हुई थीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का आईसीएमआर और एम्स, दिल्ली समेत विभिन्न एजेंसियों के अध्ययन के आधार पर उन्हें खारिज करना आश्वस्त करने वाला है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से अपेक्षाकृत युवा लोगों की दिल के दौरे या हृदयाघात से मौत की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, उससे शंकाओं को बल तो मिला ही है, सोशल मीडिया के दौर में इस बहाने अटकलों और अफवाहों को भी पनपने का भरपूर मौका मिला। ऐसे में सच का सामने आना जरूरी था, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और भ्रामक सूचनाओं को फैलने से भी रोका जा सके। आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) के वैज्ञानिक अध्ययनों ने ठीक यही किया है। इनके अनुसार, देश में दिल के दौरे या हृदयाघात से हुई मौतों का कोविड के टीकों से कोई नाता नहीं है तथा ये टीके पूरी तरह से प्रभावी और सुरक्षित हैं। अध्ययन यह भी बताते हैं कि असमय मौतों के कारण आनुवंशिक या फिर अनियमित जीवनशैली से संबंधित भी हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह भी है कि भारत में टीकाकरण अभियान के तहत अरबों खुराकें दी गईं, विभिन्न देशों को भी भारी मात्रा में ये खुराकें भेजी गईं, अगर वाकई इनका कुछ प्रतिकूल प्रभाव होता, तो हाहाकार मच गया होता! हासन जिले में एक महीने में बीस युवकों की मौत निश्चित ही चिंताजनक है, और राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए उचित ही एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह स्वागतयोग्य इसलिए भी है, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर मौतों के कारण को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन बगैर किसी ठोस प्रमाण के टीके पर अंगुली उठाया जाना, वह भी एक प्रदेश के मुखिया द्वारा, गैर-जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा। ऐसा करना उन लोगों में भी नाहक भय का संचार करेगा, जिन्हें टीके की ही बदौलत महामारी के दौरान बचाया गया था। एआई और सोशल मीडिया के युग में जब, जो साफ दिख रहा है, वह भी भरोसे लायक ना रह गया हो, तब वैज्ञानिक तथ्यों और विश्वसनीय

अनुसंधानों पर तो भरोसा किया ही जा सकता है। इससे इन्कार नहीं कि युवाओं की असमय मौतों की वजहों की जांच हो और साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में सीपीआर देने को लेकर आम लोगों में भी जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। लेकिन मीडिया, नेताओं और नागरिकों की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि वे ऐसी सूचनाओं को बढ़ावा न दें, जो बगैर किसी प्रमाण के भय और अविश्वास फैलाती हों।

चीन-पाक गठजोड़ और साजिशों का इतिहास

एससीओ की हालिया बैठक में सीमा पार आतंकवाद को संयुक्त वक्तव्य से बाहर रखने के पीछे की कहानी को समझने के लिए पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ के इतिहास में झांकना होगा, जो भारत के खिलाफ साजिशों से भरा है। भारत के लिए जरूरी है कि वह चीनी गतिविधियों और रवैये का पुनर्मूल्यांकन करता रहे।

वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भारत को एक और विरोधाभास का सामना करना पड़ा। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की हालिया बैठक में जब आतंकवाद को संयुक्त वक्तव्य से बाहर रखा गया, तो भारत ने उसका समर्थन करने से साफ इन्कार कर दिया। इसका मूल कारण यह था कि पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों पर हमले की घटना का इसमें जिक्र नहीं किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी लश्कर-ए-तइबा के सहयोगी संगठन ने ली थी।

एससीओ की स्थापना 2001 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। जून, 2017 में इसमें भारत एवं पाकिस्तान, जुलाई, 2023 में ईरान और जुलाई, 2024 में बेलारूस शामिल हुआ। इसमें कई देश पर्यवेक्षक या संवाद भागीदार के रूप में शामिल हैं, लेकिन चीन यूरेशियाई क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। एससीओ के सचिवालय का मुख्यालय भी बीजिंग में है। एससीओ का एक स्थायी अंग क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (आरएटीएस) है, जिससे 'आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद' की तीन बुराइयों के खिलाफ सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है।

प्रशांत दीक्षित

सामरिक मामलों के विशेषज्ञ

हैरानी की बात है कि जब पहलगाम आतंकी हमले के बारे में चीन को बताया गया, तो दिल्ली स्थित चीनी राजदूत ने सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए। लेकिन बीजिंग ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया। पाकिस्तान को दंड देने की बात तो दूर, चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भी चर्चा के दौरान पाकिस्तान को आलोचना से बाहर निकालने में सहायता की।

एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में, भारतीय रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की और 'जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके 2020 के सीमा गतिरोध के बाद पैदा हुए अविश्वास की खाई को पाटने' की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने देश को आश्वस्त किया

कि दोनों मंत्री 'विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श के लिए सहमत हैं।' लेकिन क्या इससे दोनों देशों के बीच बुनियादी विवाद के जो मुद्दे हैं, वे हल हो सकते हैं? यह पहेली तब खड़ी होती है, जब हम एक पूर्व भारतीय विदेश सचिव की एक हैरान करने वाली सलाह को याद करते हैं कि 'भारत को यह मान लेना चाहिए कि चीन धोखा देने के लिए बातचीत करता है।' और यह बात ऐसे व्यक्ति ने कही है, जिसे चीनी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है और जो चीन में भारत का राजदूत रह चुका है। क्या उसने अपने राजनीतिक आकाओं के साथ अपनी धारणाएं साझा की थीं?

इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की रणनीतिक विश्लेषण पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1950 के बाद से लगभग 50,000 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर दावा करने की चीनी घोषणा गैर-आधिकारिक और निजी तौर पर प्रकाशित मानचित्रों पर आधारित थी, जिसे शिन पाओ मानचित्र के रूप में जाना जाता है। जाहिर है, सत्ता में आई भारतीय सरकारें चीन के इरादों को विफल करने में सफल नहीं हो पाई हैं, बल्कि समय-समय पर होने वाले उल्लंघनों के बावजूद हम चीनी नेताओं का स्वागत करते रहे हैं। पाकिस्तान-चीन गठजोड़ का इतिहास रहा है। जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में चीन को सीट देने के लिए मतदान किया, तो चीन ने जनवरी, 1962 में पाकिस्तान द्वारा विवादित मानचित्रों को वापस ले लिया और मार्च, 1962 में सीमा वार्ता में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच दो मार्च, 1963 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जब ये कार्रवाइयां हो रही थीं, तब भारत चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा पार से छेड़े गए युद्ध से पीड़ित था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने लगभग 5,300 वर्ग किमी (2,050 वर्ग मील) क्षेत्र चीन को सौंप दिया, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र थे। बदले में पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र मिला। गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत का एक हिस्सा है, जो 'भारत का अभिन्न अंग है।' इस प्रकार एक दोहरी साजिश रची गई और उसे अंजाम दिया गया। *अमेरिकन टाइम* ने 1963 में इस मामले पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या के 'समाधान की उम्मीदों को और कम कर दिया है', क्योंकि इस चीन-पाकिस्तान समझौते के तहत, उत्तरी कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के नियंत्रण को चीन द्वारा मान्यता दी गई थी। इस विस्तारवादी षड्यंत्र की असली प्रकृति तब सामने आई, जब पाकिस्तान को सियाचिन ग्लेशियर में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को मंजूरी देते हुए देखा गया, जो 27 जुलाई, 1949 को संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में भारत और पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों द्वारा हस्ताक्षरित कराची समझौते के फैसलों से एक गलत निष्कर्ष निकालने जैसा था।

समझौते के शब्दों और भावना के अनुसार, एनजे 9842, इस युद्ध विराम रेखा पर सबसे उत्तरी सीमांकित बिंदु है, जहां से इसे उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक जाना था। पाकिस्तान ने इसे काराकोरम दर्रे पर आखिरी बिंदु के रूप में समझा और उस घेरे हुए हिस्से में मौजूद सभी इलाकों को अपनी जमीन मान लिया। जब यह धोखा सामने आया, तो इंदिरा गांधी सरकार ने सैन्य अभियान शुरू किया और चीन-पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन भारत एक विस्तारवादी शत्रु के खिलाफ अपनी चौकसी कम नहीं कर सकता, जो देपसांग मैदानों में 30 किलोमीटर की दूरी पर दौलत बेग ओल्डी में भारतीय बेस पर नजर गड़ाए हुए है। यह एक रणनीतिक सीमा है, जो उन्हें सीपीईसी के तहत बनाई जा रही सड़क तक पहुंच प्रदान करेगी और जो पाकिस्तान द्वारा सौंपे गए क्षेत्र से होकर गुजरती है। यही मुख्य कारण है कि भारत चीन द्वारा अपनाई जा रही 'वन बेल्ट वन रोड' योजना में शामिल नहीं हो रहा है। भारत सरकार को चीनी गतिविधियों, रुख और रवैये के बारे में अपने निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेना चाहिए।

edit@amarujala.com

पर्यावरण

दमकती रोशनी का स्याह पक्ष

कृत्रिम रोशनी कीटों, पक्षियों, जानवरों के साथ ही इन्सान के लिए भी घातक है, पर अन्य प्रदूषणों की तुलना में प्रकाश प्रदूषण पर कम ध्यान देना चिंता का विषय है।

हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ गांवों में जुगनू का उत्सव मनाया गया। वहां का समाज जानता है कि जुगनू महज रोशनी करने वाला कीट मात्र नहीं है, बल्कि यह खेती-किसानी का अकाम मित्र कीट है। कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में जुगनुओं को तेज रोशनी करने की कोशिश में और संभावित साथियों द्वारा उनके संकेतों पर ध्यान देने में अधिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसका असर उनकी प्रजनन क्षमता और संख्या पर पड़ रहा है। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के शोधकर्ता रमेश चतरगड्डा ने आंध्र प्रदेश के एक खास क्षेत्र में एब्सकॉन्डिटा चिनेंसिस जुगनू प्रजातियों की आबादी को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। बरनकुला गांव में 1996 में 10 मीटर क्षेत्र में जुगनुओं की संख्या 500 थी, जो 2019 में 10-20 रह गई।

यह कृत्रिम प्रकाश प्रवासी पक्षियों के लिए जानलेवा है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काइल हॉर्टन के *नेचर कम्युनिकेशंस* में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि लंबी दूरी तय कर थके हुए पक्षी तेज रोशनी वाले शहरों में आराम की जगह या भोजन तलाशने में विफल रहते हैं और उनकी जान भी चली जाती है।

कृत्रिम प्रकाश, खासकर रात में, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीवों व पर्यावरण को कई नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें नींद की समस्या, मोटापा, हृदय रोग, कैंसर का खतरा और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव शामिल हैं। दुनिया में रहने वाले अधिकांश जीवों की तरह इन्सान भी सर्केडियन रिदम या लय, जिसे शरीर की आंतरिक घड़ी भी कहते हैं, का पालन करते हैं, यानी जैविक घड़ी के मुताबिक जागने-सोने का एक तंत्र होता है। यह तंत्र काफी कुछ आंखों में मौजूद फोटोरिसेप्टर के कारण संचालित होता है।

पंकज चतुर्वेदी

कृत्रिम प्रकाश, जिसमें अब मोबाइल भी शामिल है, इस नैसर्गिक तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है, जो नींद के लिए जरूरी है। नींद की कमी और सर्केडियन लय में गड़बड़ी अवसाद, चिंता, मोटापा व चयापचय के जोखिम को बढ़ा सकती है। लंबे समय तक नकली रोशनी में बैठने से सिरदर्द, थकान आदि लक्षण पैदा हो सकते हैं।

प्रकाश का हानिकारक प्रभाव कुछ कारकों पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश क्रोमोफोर तक पहुंचता है, जो कोशिकाओं में मौजूद अवशोषित करने वाले अणु होते हैं, तो दृश्यमान और यूवी प्रकाश उन कोशिकाओं के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। क्रोमोफोर विशेष रूप से त्वचा और आंख की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में होते हैं। जब अवरक्त प्रकाश पदार्थ को प्रकाशित करता है, तो यह उसे गर्म कर सकता है। शरीर ने तेज या गर्म रोशनी के खिलाफ कई रक्षा तंत्र विकसित किए हैं। ये जैविक और व्यावहारिक, दोनों हैं, जिनमें दर्द की प्रतिक्रिया, पलक झपकाना, पुतली का सिकुड़ना व तेज रोशनी के प्रति स्वाभाविक घृणा शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट और त्वचा में पाए जाने वाले पिगमेंट जैसे अणु विकिरण के कारण होने वाले हानिकारक अणुओं के अत्यधिक स्तर को नष्ट कर प्रतिकूल रासायनिक प्रतिक्रियाओं को धीमा कर देते हैं।

आज जब सारी दुनिया जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कुप्रभावों से रूबरू हो रही है, ऐसे में प्रकाश-प्रदूषण अब भी लगभग बहुत कम चिंता का विषय है। अधिक रोशनी के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और उससे अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है, इस चमकती रोशनी के ही स्याह पक्ष हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है।

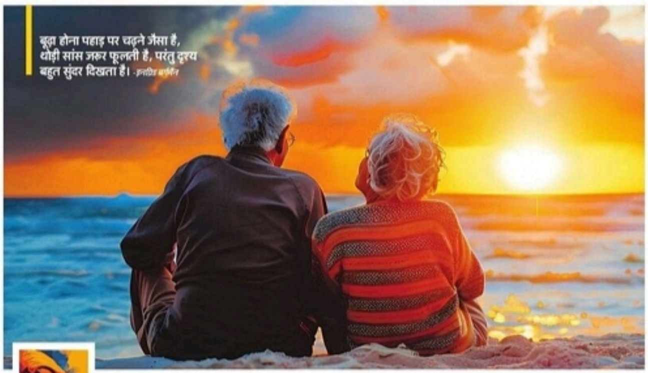

अपने अनुभवों से नए चित्र गढ़ें

जीवन का सार युवावस्था की क्षणिकता में नहीं, बल्कि जिए गए वर्षों की गहराई में है। वृद्धावस्था वह समय है, जब आत्मा अपने अनुभवों के रंगों से सजे चित्र बनाती है।

युवावस्था में विचार हमारे भीतर तैरते रहते हैं। हम अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं, इनमें से कुछ तो हम समझते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते। अक्सर व्याकुलता और जल्दबाजी के कारण हम अपने विचारों को न समझने वालों पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन 'बुजुर्ग' अंतर्दृष्टि में धनी होते हैं। वे 'धरती के जीवंत फूल' हैं, भले ही समय के साथ और प्रकृति के नियमानुसार मुरझा गए हों। उनकी जड़ें गहरी हैं, जो बलिदान और जीवित रहने की समझ को पोषित करती हैं। उन्हें नजरअंदाज करना उस मिट्टी को भूलना है, जिसमें से हम सभी उगते हैं।

मैक्सिम गोर्की

जीवन का सार युवावस्था की क्षणिकता में नहीं, बल्कि जिए गए वर्षों की गहराई में है। बुजुर्ग अवशेष नहीं हैं, वे ज्ञान के सक्रिय वाहक हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा की खूबियां कला की शक्ति से सबसे अच्छे तरीके से जागृत होती हैं। उनकी कहानियां कला हैं, उनका जीवन जीवित रहने का विज्ञान है। वृद्धावस्था वह समय है, जब आत्मा अपने अनुभवों के रंगों से सजा चित्र बनाती है। युवावस्था बेचैनी, अधीरता और दुख से भरी रहती है, लेकिन समय के साथ, जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो ये अनगिनत त्रासदियां कला के कार्यों में बदल जाती हैं। इस परिवर्तन में एक अनमोल सबक है, जीवन की हर रेखा हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। मैं इस परिवर्तन से अधिक आश्चर्यजनक या अधिक अद्भुत कुछ नहीं जानता। मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं, मैं तो बस आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैं केवल सुख को ही जीवन मानता था, दुख को अभिशाप समझता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मुझे समझ आया कि दुख और प्रसन्नता हमारे भीतर एक साथ रहते हैं, लगभग अविभाज्य। एक मायावी तीव्रता के साथ एक-दूसरे का स्थान लेते रहते हैं। वृद्धावस्था ने मुझे स्वयं को और गहराई से देखने के लिए प्रेरित किया, अपने भीतर एक नए जीवन की धड़कन सुनाई और उसमें लीन होने का रास्ता दिखाया। जब हम वृद्धावस्था की प्रक्रिया और इसके साथ आने वाली चुनौतियों व परिवर्तनों को समझ लेंगे, तभी हम अपनी युवावस्था का आनंद ले सकते हैं।

मुड़-मुड़ के देख

यह जश्न मनाने का समय है

कुशीनगर से **राजमोहन जी** की दुविधा पर मनोविज्ञानी **नीलकंठ** ने उन्हें कुछ यों सलाह दी:

मैं 62 साल का हूं, स्वस्थ हूं और हमेशा आत्मनिर्भर रहा हूं। जीवन के अंतिम दौर में दूसरों पर निर्भर होने की सोचकर ही ग्लानि से भर जाता हूं। मैं अंतिम वक्त तक अपनी गरिमा बनाए रखना चाहता हूं। आखिर मैं क्या करूं?

बुजुर्ग होने पर सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। राजमोहन जी का प्रश्न बहुत सामान्य है और अक्सर बुजुर्गों में इसे लेकर घबराहट होती है। ये उक्तियां तो सभी ने सुनी होंगी कि 'अगर कोई अच्छा दिखता है, तो वह अच्छा महसूस करेगा' या फिर यह कि 'आप उतने ही बूढ़े हैं, जितना महसूस करते हैं।' दरअसल, ये दोनों ही उक्तियां सुखद बुढ़ापा और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों का पता लगाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें मैं ग्रेस यानी गरिमा के साथ बुढ़ापे का जीवन मानता हूं।

आप बुढ़ापे में भी अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, तो अभी से इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। गरिमा के साथ बुढ़ापा बिताने के लिए खुद पर भरोसा सबसे जरूरी है। पहली चीज है कृतज्ञता। दरअसल, आभारी होना या कृतज्ञता महसूस करना आपकी संतुष्टि का अनिवार्य हिस्सा है। अपनी जिंदगी, परिवार या फिर जो कुछ भी आपको प्रिय है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना आपको जीवन का जश्न मनाने की अनुमति देगा। आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से को स्वीकारें। खुद को माफ करना भी सीखें और अपनी जिंदगी को अनुभवों की एक समृद्ध कहानी के रूप में देखें।

गरिमा के साथ जीने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। अगर आपने आज तक व्यायाम नहीं किया है, तो अब शुरू करें। प्रतिदिन थोड़ा टहलना, योग या प्राणायाम करना स्वास्थ्य के साथ मन को भी शांत और सकारात्मक बनाए रखता है। साथ ही किताबें पढ़कर, कुछ नया सीखकर या अपनी पुरानी रुचियों को फिर से जी कर आप खुद को सजग बनाए रख सकते हैं। आपने न

जाने कितनी बार जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया होगा और उनसे उबरे भी होंगे। आपको अब भी वही लचीलापन दिखाना होगा। नकारात्मक स्थितियों को आप नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बेहद नकारात्मकता के बीच भी मुस्कराहट सुकून देगी।

गरिमापूर्ण ढंग से बुढ़ापे को जीने के लिए साहस भी जरूरी है। यह अकेलेपन से लड़ने का अचूक हथियार होता है। एक आखिरी अभ्यास जो आप आजमा सकते हैं, वह यह है कि आप एक आईने के सामने जाएं, और अपने चेहरे को ध्यान से देखें। आप जिस व्यक्ति को देखते हैं, वह वही व्यक्ति है, जिस पर आप किसी और से ज्यादा भरोसा करते हैं। वह व्यक्ति, जो पूरी जिंदगी आपके साथ वफादारी से रहा है। यह वह चेहरा है, जो आपकी अच्छाई, दूसरों में आपके द्वारा जगाई गई आशा तथा आपके प्रेम को प्रतिबिंबित करता है। इसी चेहरे के साथ आपने अपने जीवन में हर आघात, खुशी और डर का अनुभव किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वह चेहरा है, जिसे अन्य लोगों ने वर्षों तक प्यार और सम्मान दिया है, चाहे वे वर्ष कितने भी पुराने क्यों न हों। इन्हें संजोकर रखें। ध्यान रखिए यह निराशा नहीं, जश्न मनाने का समय है।

जिंदगी की दूसरी पारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।

105 की उम्र में चार स्वर्ण पदक

जो लोग 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते ही आराम की तलाश करने लगते हैं, उन्हें थाईलैंड के 105 वर्षीय सवांग से सबक सीखना चाहिए। हाल ही में ताइपे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में सौ वर्ष से ज्यादा वाले ग्रुप में खेलते हुए चार स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया है। मजे की बात यह है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम युवावस्था में नहीं, बल्कि 90 वर्ष की उम्र में करना शुरू किया। वह रोज सुबह साढ़े पांच बजे उठकर स्टेडियम में अपनी बेटी सिरिपन, जो खुद 73 साल की हो चुकी हैं, के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप कसरत करते हैं, तो आप दिल से हमेशा जवान बने रहते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के

काम की योजना

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

अगर आपकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है और आप सेवानिवृत्त हैं, तो यह योजना आपके काम की हो सकती है। यह एक सरकारी बचत योजना है, जो आपकी जमाराशि पर 8.2 फीसदी का ब्याज प्रदान करती है। लॉक-इन अवधि पांच साल की होती है, जिसे तीन साल और बढ़ाया जा सकता है। आप नीचे दी गई वेबसाइट पर 'सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम' पर क्लिक कर व जरूरत के अनुसार 'फॉर्म' डाउनलोड कर नजदीकी डाकघर या बैंक से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वेबसाइट पर क्लिक करें- https://www.nsiindia.gov.in या नजदीकी 'डाकघर' में संपर्क करें।

अन्नपूर्णा योजना

केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को प्रतिमाह 10 किग्रा तक अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके लिए लाभार्थी के पास आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल (BPL) प्रमाणपत्र या राशन कार्ड होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 118

शोध और नवाचार

केंद्र सरकार द्वारा गत सप्ताह मंजूर शोध विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि नीति निर्माताओं को नवाचार को बढ़ाने के तरीके तलाशने होंगे और फंडिंग के जरिये इनकी मदद करनी होगी। बहरहाल, आरडीआई सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, इसके बावजूद काफी कुछ करने की जरूरत होगी क्योंकि योजना को जिस तरह डिजाइन किया गया है, संभव है कि वह देश के शोध एवं विकास क्षेत्र से जुड़ी कुछ अहम चिंताओं को दूर न कर पाए। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1 फीसदी से भी कम हिस्सा शोध एवं विकास पर खर्च करता है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया जीडीपी का 2.5 फीसदी इस पर खर्च करते हैं। ऐसे में भारत में जहां बड़ी तादाद में टेक स्नातक हैं, वहीं उनमें से कई विदेश चले जाते हैं या फिर ऐसी भूमिकाओं में रोजगार हासिल करते हैं जहां उनके कौशल का कोई खास उपयोग नहीं होता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है जो उसकी क्षमताओं से काफी नीचे है।

योजना में शोध एवं विकास के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए दो-स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से शोध एवं विकास के लिए कम ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्तीय मदद की बात की गई है। पहले स्तर पर अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) 1 लाख करोड़ रुपये के कोष को संभालेगा। इसे एक विशेष उद्देश्य वाले फंड के जरिये जुटाया जाएगा और इसकी राशि शून्य या बहुत कम ब्याज पर दूसरे स्तर के फंड प्रबंधकों को स्थानांतरित की जाएगी। दूसरे स्तर से इस राशि को निजी क्षेत्र की रुचिकर परियोजनाओं में बांटा जाएगा। इसके पीछे विचार यह है कि उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों को वृद्धि और जोखिम पूंजी मुहैया कराई जा सके ताकि वे नवाचार को बढ़ावा दें। योजना का लक्ष्य निजी क्षेत्रों को उभरते क्षेत्रों में शोध एवं विकास बढ़ाने के लिए प्रेरित करना तथा अहम तकनीक का अधिग्रहण करने के योग्य बनाना भी है। तुलनात्मक रूप से देखें तो यह अपने आप में उपयोगी है। हालांकि तुलना जरूर की जाएगी। उदाहरण के लिए दो सरकारी संस्थान जिनके द्वारा शोध को फंडिंग मशहूर है वे हैं- अमेरिकी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी अथवा डीएआरपीए और दूसरा जापान का पूर्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय (एमआईटीआई)।

एमआईटीआई ने लगभग पांच दशक तक वैसी भूमिका निभाई जो शोध एवं विकास के लिए सोची गई थी। उसने ऐसी परियोजनाओं को फंड किया जिन्होंने जापान के निजी क्षेत्र को मजबूत तकनीकी-औद्योगिक आधार बनाने में मदद की। परंतु जापान के पास पहले ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जहां शोध संस्थान फल-फूल रहे थे और विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में शोध हो रहा था। एमआईटीआई ने उस ज्ञान और उन कौशलों का इस्तेमाल औद्योगिक कामों में किया। डीएआरपीए ने अमेरिका के तमाम विश्वविद्यालयों और शोध प्रयोगशालाओं को फंड किया। यह मोटे तौर पर रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित था लेकिन इसकी बदौलत ही इंटरनेट, रोबोटिक्स, चिकित्सा शोध एवं सौर ऊर्जा क्षेत्र के शोध संभव हुए। एमआईटीआई की दृष्टि जहां निवेश पर रिटर्न में थी वहीं डीएआरपीए ने बिना इसे वरीयता दिए शोध पर बल दिया।

तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत में शोध एवं विकास में निजी कॉरपोरेट फंडिंग और विश्वविद्यालयों में मौलिक शोध के लिए फंडिंग दोनों का अभाव है। भारत से प्रतिभा पलायन की एक वजह यह भी है कि तकनीकी क्षेत्र में हमारे देश में अवसरों की कमी है। इसकी कई वजह हैं। इनमें शोध अनुदान की कमी और फंड का देरी से जारी होना भी एक वजह है। शोध विकास एवं नवाचार योजना निजी क्षेत्र में शोध की कुछ चिंताओं को दूर करेगी लेकिन यह भी जरूरी है कि यह सही परियोजनाओं के लिए काम करे। यह बात ध्यान देने लायक है कि बड़े नवाचार अक्सर छोटे स्टार्टअप्स से आते हैं बजाय कि बड़े निकायों के। योजना की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि किस तरह के संस्थानों और परियोजनाओं को फंड किया जाता है। ऐसे में तकनीकी शोध कर रही छोटी और उत्साही कंपनियों पर ध्यान देना जरूरी है। बड़ी कंपनियों के पास अक्सर निवेश के लिए काफी धनराशि रहती है। भारत को ऐसे तरीके तलाशने होंगे ताकि फंड को किफायती ढंग से विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के मौलिक और दीर्घकालिक शोध में लगाया जाए।

विनय सिन्हा

कर संग्रह में वृद्धि की गति बरकरार रखना है चुनौती

कर संग्रह में इजाफा उत्साह बढ़ाने वाला है लेकिन इसे बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बता रही हैं आर कविता राव

गत 19 जून तक के प्रत्यक्ष कर संग्रह से संबंधित हालिया प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक संग्रह में नरमी आई है। जानकारी के मुताबिक विशुद्ध कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष के कर संग्रह की तुलना में 1.39 फीसदी कम है। यह कमी कॉरपोरेशन कर संग्रह में कमी की बदौलत आई है। क्या यह अल्पावधि का उतारचढ़ाव है या इसमें कुछ अन्य कारक भी शामिल हैं? तीन प्रमुख करों कॉरपोरेट आय कर (सीआईटी), गैर कॉरपोरेशन या व्यक्तिगत आय कर (पीआईटी) और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की राजस्व वृद्धि में वार्षिक बढ़ोतरी को ध्यान में रखें तो सीआईटी और सीजीएसटी से हासिल होने वाले राजस्व संग्रह की रफ्तार में कमी स्पष्ट रूप से देखने को मिली है।

सीआईटी में वृद्धि 2022-23 के 15 फीसदी से कम होकर 2024-25 में 8 फीसदी रह गई और समान अवधि में सीजीएसटी की वृद्धि 21 फीसदी से कम होकर 10 फीसदी रह गई। पीआईटी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा और इसमें क्रमशः 20 फीसदी और 17 फीसदी वृद्धि हुई। तिमाही कर-जीडीपी अनुपात में भी यह अंतर नजर आता है। इस लिहाज से देखें तो आंकड़े बताते हैं कि कॉरपोरेशन कर संग्रह में अस्थिरता है और इसमें करीब 3 फीसदी का उतार-चढ़ाव आता है। पीआईटी में सुधार का रुझान नजर आता है हालांकि उसमें भी कुछ अस्थिरता या मौसमी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। इसकी तुलना में केंद्रीय जीएसटी से हासिल होने वाला राजस्व मामूली इजाफा दर्शाता है जबकि पिछली कुछ तिमाहियों में साफ तौर से इनमें वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ी है।

इन रुझानों से क्या समझ में आता है? पीआईटी में असमानुपातिक सुधार एक सकारात्मक घटना है जिसे समझने की जरूरत है। आयकर की बुनियाद में अभी भी वेतन, कारोबारी आय और पूंजीगत लाभ शामिल हैं। आकलन वर्ष 2023-24 की सालाना आय की रिपोर्ट बताती है कि कुल घोषित आय में वेतन की हिस्सेदारी 53.9 फीसदी है जबकि कारोबारी आय की हिस्सेदारी 29.7 फीसदी है। हालांकि बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन आय की इन दो श्रेणियों में संभावित रुझानों को समझना जरूरी है।

डब्ल्यूटीडब्ल्यू सैलरी बजट प्लानिंग रिपोर्ट के वेतन संबधी रुझानों की जानकारी बताती है कि वर्ष 2021 में वेतन 8.5 फीसदी बढ़े, 2022 में 9.8 फीसदी, 2023 में 10 फीसदी और 2024 में 9.5 फीसदी। वर्ष 2025 का सर्वेक्षण बताता है कि वेतन में औसतन 9.5 फीसदी का इजाफा देखा जा सकता है। वेतन में यह वृद्धि भी पीआईटी में इजाफे के लिए जिम्मेदार है। अगर 2025 में वेतन में वृद्धि के अनुमान सही साबित होते हैं तो कर राजस्व को कोई भी जोखिम रोजगार में कमी से ही उत्पन्न होगा। यानी यह कारोबारी वृद्धि से भी जुड़ा है। कारोबारी आय की बात करें तो मध्यम अवधि के एक कारक पर विचार करने की आवश्यकता है और वह है जीएसटी का प्रभाव। दो संभावित स्थितियां बन सकती हैं। पहली, जीएसटी की शुरुआत के कारण आर्थिक गतिविधियों का औपचारीकरण हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप आय कर के राजस्व संग्रह में सुधार हो सकता है। इसे स्तर सुधार के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि अब अनौपचारिक आय अब औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो रही है। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद राजस्व में उच्च वृद्धि के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाए जाने के बाद बेहतर कार्य कुशलता का नतीजा हो सकती है। इसे पीआईटी में सुधार के अलावा जीएसटी संग्रह में सुधार में भी नजर आना चाहिए भले ही जीएसटी और पीआईटी के साथ जीडीपी के अनुपात में ज्यादा बदलाव न आए। कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा आयकर रिटर्न में उल्लिखित कारोबारी आय को मिलाकर देखें तो आकलन वर्ष 2021-22 से आकलन वर्ष 2023-24 के बीच इसमें 12-13 फीसदी का सुधार हुआ। इससे संकेत मिलता है कि जीएसटी राजस्व और व्यावसायिक आय के रुझान एक दूसरे के अनुरूप ही हैं और जीडीपी की नाममात्र की वृद्धि की तुलना में मामूली रूप से अधिक हैं। इसके उलट सीआईटी के लिए कर-जीडीपी अनुपात में मामूली गिरावट देखी गई है।

इन आकलन के आधार पर पीआईटी में टिकाऊ वृद्धि कर योग्य आर्थिक गतिविधियों के टिकाऊ विस्तार पर निर्भर करेगी। इससे रोजगार में इजाफा होगा, वेतन संबंधी आय में मदद मिलेगी और कारोबारी आय में भी इजाफा होगा। हालांकि, इस मोर्चे पर उभरने वाली कुछ चुनौतियों का जिक्र आवश्यक है:

1. वैश्विक आर्थिक माहौल में अनिश्चितता बरकरार है और वह समय-समय पर बढ़ती रहती है। अमेरिका की शुल्क संबंधी बातों ने वैश्विक मांग और आपूर्ति श्रृंखला के संभावित पुनर्गठन को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनाया है। अल्पावधि में ये बदलाव उथलपुथल पैदा कर सकते हैं भले ही मध्यम अवधि में इससे अवसर तैयार हों। इजरायल और ईरान के बीच हालिया संघर्ष अनिश्चितता का एक नया पहलू जोड़ता है। पिछले सप्ताह के दरमियान हम बढ़ी हुई अनिश्चितता की स्थिति से असहज शांति की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि युद्ध विराम कायम रहेगा या नहीं। ऐसे संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति में इजाफे के माध्यम से होगा।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने रीपो दर में 50 आधार अंकों की तथा नकद आरक्षित अनुपात में 100 आधार अंकों की कमी की है। उम्मीद है कि ये बदलाव अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देंगे। हालांकि, मुद्रास्फीति संभावनाओं में कोई भी बदलाव पुनर्विचार को बल देगा।

3. केंद्र और राज्य सरकारों ने कई नीतिगत पहल की हैं। इनमें निःशुल्क भोजन, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क बिजली और कुछ राज्यों में बस पास तक शामिल हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण योजनाएं भी शुरू की गई हैं। ऐसी पहलों के साथ उम्मीद है कि उपलब्ध आय का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकेगा जिससे कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। बहरहाल जीएसटी राजस्व में स्थिर गति से हो रही वृद्धि ऐसे किसी प्रोत्साहन का प्रमाण नहीं देती है। इसके अलावा अगर इनमें से कुछ योजनाओं की समीक्षा की जाए और कुछ वर्षों में उन्हें वापस ले लिया जाए तो इसका जीएसटी राजस्व पर नकारात्मक असर हो सकता है।

4. आखिर में, चालू वित्त वर्ष में व्यक्तियों के लिए रियायत की सीमा बढ़ाई गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आय कर नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा पुरानी कर व्यवस्था और नई व्यवस्था के तहत देनदारियों का अंतर बढ़ गया है। पुरानी व्यवस्था से अगर बड़ी संख्या में लोग नई व्यवस्था में गए तो आय कर संग्रह में कमी आएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तिगत आय कर संग्रह की वृद्धि में धीमापन आना निश्चित है।

(लेखिका एनआईपीएफपी, नई दिल्ली की निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

दस लाख आबादी वाले शहरों में आवास की चुनौती

शहरी क्षेत्र के गरीबों और कम आय वाले परिवारों के लिए पर्याप्त रूप से औपचारिक आवास का विकास भारत की आवास नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। खासतौर पर देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चुनौती ज्यादा है। भारत की शहरी आवास नीति, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग समूह (ईडब्ल्यूएस) में रखती है जिनकी वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये या उससे कम है। केंद्र और राज्य सरकारों की अधिकांश आवास योजनाएं इसी समूह को लक्षित करती हैं।

यह ध्यान बिल्कुल सही है। अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चलता है कि अपर्याप्त घरों वाले परिवारों में ईडब्ल्यूएस परिवारों की हिस्सेदारी बढ़ती रही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शहरी आवास की कमी का अनुमान लगाने के लिए गठित तकनीकी समूह के अनुसार इनकी हिस्सेदारी वर्ष 2012 में 96 फीसदी थी जो 2018 में इसी तरीके का इस्तेमाल कर किए गए एक दूसरे अध्ययन के अनुसार 99 फीसदी हो गई।

एक स्वतंत्र अध्ययन से पता चलता है कि लंबे समय से चल रही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (पीएमएवाई-यू) ने 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में इस चुनौती का समाधान करने का रास्ता दिखाया है। पीएमएवाई-यू के तहत मकान निर्माण के लिए दी गई सब्सिडी से इन शहरों में 60 लाख से अधिक ईडब्ल्यूएस परिवारों ने अपनी जमीन पर घर बना लिए हैं या बना रहे हैं। लेकिन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में खुद के बनाए घर वास्तव में नीतिगत समाधान के रूप में कारगर नहीं होते हैं क्योंकि जमीन महंगी है और परिवारों के पास अपनी जमीन होना दुर्लभ है। ऐसे में लोगों को फ्लैट की ओर रुख करना पड़ता है। लेकिन फ्लैट का विकास करना घरों के निर्माण की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

इसका समाधान करने के लिए राज्य अपनी 'किफायती आवास' नीतियों के तहत सार्वजनिक और निजी डेवलपर, दोनों को फ्लैट बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।

फ्लोर क्षेत्र अनुपात, उच्च ग्राउंड कवरेज, घनत्व से जुड़े नियमों में नरमी और हस्तांतरणीय विकास अधिकार जैसे प्रोत्साहन डेवलपर को न केवल अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने की अनुमति देते हैं बल्कि सामान्य रूप से किसी दी गई जमीन पर जितने दफ्तर, मॉल और अधिक आमदनी वाले आवास की अनुमति होती है, उससे अधिक बनाने की भी छूट दे देते हैं। इसके पीछे विचार यह है कि बाद वाले से होने वाले लाभ, ईडब्ल्यूएस फ्लैट की सब्सिडी की भरपाई करेंगे। झुग्गियों की पुनर्विकास योजनाएं भी इसी तरह काम करती हैं।

देवअर्पिता रॉय

अतिरिक्त प्रोत्साहनों में डेवलपर के लिए आयकर और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट, प्राथमिकता वाले ऋण क्षेत्र के तहत किफायती आवास के लिए निर्माण और गृह ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। इनके अलावा, ईडब्ल्यूएस फ्लैट के विकास के लिए प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी भी मददगार साबित होती है। फिर भी, इन फ्लैटों को बनाना वास्तव में मुश्किल है। अधिक सब्सिडी के बावजूद, पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत ईडब्ल्यूएस फ्लैटों की संख्या ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए स्वीकृत स्वतंत्र घरों की संख्या के एक-चौथाई से भी कम है। ऐसा क्यों है?

इसकी कुछ अहम वजहें हैं, पहली, ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए यह जरूरी सब्सिडी या तो सरकारी फंड से आनी चाहिए या क्रॉस-सब्सिडी (एक परियोजना के मुनाफे से दूसरे की सब्सिडी सहायता) के माध्यम से। करीब 400 वर्गफुट के फ्लैट को बनाने में लगभग 3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत से कम से कम 12 लाख रुपये का खर्च आता है जिसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। इसमें से परिवार आमतौर पर लगभग 3 लाख रुपये देते हैं, जिससे 9 लाख रुपये की सब्सिडी की जरूरत रह जाती है। अगर जमीन की लागत भी जोड़ ली जाए तब सब्सिडी की जरूरत और बढ़ जाती है।

यह सब्सिडी, सरकार या 'किफायती आवास' नीतियों और झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास योजनाओं से पूरी की जाती है। लेकिन इतनी बड़ी सब्सिडी की जरूरत बड़ी मुश्किल से पूरी होती है और इसी वजह से ईडब्ल्यूएस फ्लैट बड़े पैमाने पर नहीं बन पाते हैं। इसके कारण निजी डेवलपर भी ईडब्ल्यूएस परियोजनाओं से जुड़ने से बचते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारी डेवलपर के पास भी सीमित साधन हैं और सरकार के पास भी फंड की कमी है। नतीजतन, बहुत कम ईडब्ल्यूएस फ्लैट परियोजनाओं को स्वीकृति मिलती है और उसकी शुरुआत होती है।

दूसरा, भारत में देरी होना आम बात है और इससे सब्सिडी की जरूरत और बढ़ जाती है। नतीजा यह होता है कि कई बार परियोजनाएं रद्द हो जाती हैं। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत लगभग आधे ईडब्ल्यूएस फ्लैट रद्द कर दिए गए। जमीन से जुड़े विवाद और मुकदमे, जमीन और निर्माण से जुड़ी मंजूरियों में लगने वाला समय और सही जगहों पर सस्ती जमीन मिलने की स्थायी चुनौती भी इस तरह की देरी के सामान्य कारण हैं।

तीसरा, आवास की कमी का मतलब यह नहीं है कि ईडब्ल्यूएस परिवारों के बीच फ्लैट की मांग बढ़ेगी। पीएमएवाई-यू फ्लैट परियोजनाओं के रद्द होने का एक कारण लाभार्थी परिवारों में इसके लिए दिलचस्पी की कमी बताई गई थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ईडब्ल्यूएस परिवार जो खराब गुणवत्ता वाली लेकिन अच्छी जगह पर बनी झुग्गियों या अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं, वे भी शहर के बाहरी इलाकों में बने फ्लैटों में जाने से हिचकिचाते हैं। इसकी वजह यह है कि इससे उनका यात्रा समय और खर्च बढ़ जाता है। एक मंजिला घरों में रहने के आदी होने के कारण भी कई लोग, ऊंची इमारतों में रहने से भी कतराते हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, बड़े शहरों में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए क्या किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि ईडब्ल्यूएस आवास को सभी केंद्र और राज्य नीतियों में 'किफायती आवास' से अलग माना जाना चाहिए न कि केवल सब्सिडी-आधारित कार्यक्रमों में। ईडब्ल्यूएस आवास को जो अहमियत मिलनी चाहिए वह 'किफायती आवास' के दायरे में पीछे छूट जाता है जिसमें 50 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत के आवास शामिल हैं। राज्य सरकार की आवास नीतियों के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक प्रोत्साहनों के साथ-साथ सीधी सब्सिडी के माध्यम से ईडब्ल्यूएस फ्लैट को लक्षित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

दूसरा, यह पता लगाया जाए कि क्या फ्लैट के बजाय छोटे, विकसित जमीन के हिस्से परिवारों के लिए और सब्सिडी की जरूरत के लिहाज से भी देना संभव है या नहीं। विश्व बैंक की 1980 के दशक की जगह और सेवाओं से जुड़ी योजना की तर्ज पर, इस दृष्टिकोण की व्यावहारिकता को सभी बड़े शहरों में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए जांचा जाना चाहिए।

तीसरा, किराये वाले घरों को बढ़ावा दिया जाए। बड़े शहरों में कई ईडब्ल्यूएस परिवार रोजी-रोटी की तलाश में होते हैं न कि स्थायी पते की। उनकी आवास से जुड़ी जरूरतों को निजी मकान मालिकों द्वारा अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। लेकिन किराये के मकान में असुरक्षा की भावना आम बात है। ऐसे में राज्य क्या कर सकते हैं? मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 की तर्ज पर राज्य के मौजूदा किराया कानूनों की समीक्षा करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था का विकास, इसके दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों से होता है। यह सही समय है कि उनकी आवास नीति ठीक की जाए और इसके लिए, ईडब्ल्यूएस आवास से जुड़े सभी हितधारकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

(लेखिका अर्थशास्त्री हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

आपका पक्ष

वन महोत्सव का उद्देश्य

हमारे देश में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा और वनों की कटाई से जीव जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ता है उसके प्रति जागरूकता फैलाना भी है। भारत में बहुत पहले से ही वनों और वृक्षों को काटने से रोकने के प्रयास सरकारों, सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा आरंभ कर दिए गए थे। एक तरफ 1950 में वनों को बचाने के लिए 'वन महोत्सव' की शुरुआत की गई। दूसरी तरफ 1970 के दशक में जब देश में वन संपदा का अपार भंडार होता था, तब भी पर्यावरण की चिंता करते हुए गढ़वाल के लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन आरंभ कर दिया था। बरसात के मौसम में अगर पौधे लगाएं जाएं तो वे बहुत अच्छे तैयार होते हैं। इसलिए जिन लोगों के घरों में पौधे लगाने की जगह है वो एक पौधा तो जरूर लगाएं। बरसात के मौसम में कुछ राज्य सरकारें अपने यहां पौधे लगाने के लिए विशेष अभियान चलाती हैं, एनजीओ, समाजसेवी संस्थाएं और अन्य भी इसके लिए काम करते हैं। आमजन को जहां जगह हो पेड़ लगाने चाहिए, वहीं सरकारों को चाहिए कि जब सड़कों या रेल लाइन के विस्तार के लिए पेड़ों को काटने पड़े तो वहां नए पौधे लगाने की व्यवस्था की जाए, लेकिन पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी देखरेख भी की जाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

नई दिल्ली के पीबीजी ग्राउंड में 'वन महोत्सव 2025' के तहत चल रहे अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पौधरोपण किया

अहम है भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच संबंधों की धुरी टिकी हुई है। दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, जो लगभग सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में समाहित करती है। यह साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कई मुद्दों पर आपसी हितों की पूर्ति और लोगों से लोगों के बीच संपर्कों के साथ विकसित होती गई है। उच्च-स्तरीय राजनीतिक दौरों के नियमित आदान-प्रदान ने द्विपक्षीय सहयोग को निरंतर गति प्रदान की है, वहीं दोनों देशों के नेताओं के बीच नियमित बातचीत ने द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग व्यापक और बहुक्षेत्रीय है, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, उच्च-प्रौद्योगिकी, नागरिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि और स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्र शामिल हैं। सच पूछा जाए तो, अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में हाल की चुनौतियां, पारस्परिक कानूनी सम्मान और पारदर्शी नीति निर्माण के महत्त्व को रेखांकित करती हैं। टैरिफ कार्रवाई के लिए वैधानिक प्राधिकरण पर अमेरिकी कार्यकारी की निर्भरता घरेलू स्तर पर वैध है, लेकिन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार संरचनाओं के लिए इसके व्यापक निहितार्थ सहकारी समीक्षा के योग्य हैं। साथ ही, डिजिटल कराधान, सीमा पार सेवाओं और उभरते व्यापार मॉडल के उदय के लिए ऐसे दूरदर्शी कानूनी और विनियामक ढांचे की आवश्यकता है, जो समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हों।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

लुधियाना पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक संजीव अरोड़ा को गुरुवार को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उन्हें एनआरआई मामलों के विभाग के साथ-साथ उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन विभाग सौंपा गया है।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 4 जुलाई, 2025

कल्पमेधा

मृत अतीत को दफना दो, अनंत भविष्य तुम्हारे सामने है और स्मरण रखो कि प्रत्येक शब्द, विचार और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है।
–विवेकानंद

कसौटी पर सूची

इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनाव में सभी वैध मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए और नियम के मुताबिक अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के मायने समझे जा सकते हैं। सवाल है कि अगर इस सूची को दुरुस्त करने के क्रम में किसी मजबूरी या अन्य परिस्थितियों की वजह से वैसे लोग भी मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी। यह सही है कि समय-समय पर अलग-अलग वजहों से अपात्र हो चुके लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की जरूरत होती है। लेकिन अब नई परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव आयोग ने सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, उसमें इस बात की आशंका खड़ी हो गई है कि क्या इसमें बड़ी तादाद में वैसे लोग भी मतदान के लिए अपात्र करार दिए जाएंगे, जिनके पास आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज किन्हीं वजहों से उपलब्ध नहीं हैं!

मतदाता सूची को त्रुटियों से रहित बनाने का काम निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इसके औचित्य पर सवाल उठाने के भी अपने आधार हैं। आयोग की ओर से इस सूची में बने रहने के लिए जिन स्वीकार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, बिहार के बहुत सारे लोगों को लिए यह एक बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे लोगों की भी संख्या अच्छी-खासी होगी, जिनके पास खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे और अगर वे इन्हें नए सिरे से बनवाने के काम में लगेंगे तो इसके लिए समय की जरूरत होगी। जबकि बिहार में अक्तूबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए महज एक माह का समय दिया गया है। स्वाभाविक ही इस समय के चुनाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, अगर उसमें शामिल होने के पात्र लोग किन्हीं वजहों से छूट गए, तो उनके दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी?

यह छिपा नहीं है कि बिहार में एक बड़ी आबादी ऐसे गरीब और कम शिक्षित लोगों की है, जिनके पास सरकार की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेज नहीं होंगे। खासतौर पर जन्म पंजीकरण के मामले में काफी पीछे रहने की वजह से बहुत कम लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं। हालांकि हाशिये के समुदायों के ज्यादातर लोगों की पहुंच आधार और राशन कार्ड तक है, जिनकी मांग आमतौर पर हर चीज के लिए की जाती है। मगर यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से इन्हें स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से भले ही यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ताजा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग इस दायरे में आएंगे, उनके लिए भी निर्धारित दस्तावेज जमा करना आसान नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका जताई जा रही हैं और विपक्षी दल इस कवायद को समान अवसर के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि नए नियमों की वजह से किसी भी वैध मतदाता के मतदान का अधिकार का हनन न हो।

महंगा सफर

शहरों-महानगरों में सार्वजनिक परिवहन की सीमाओं की वजह से आम आदमी आवश्यकता पड़ने पर ऐप आधारित कंपनियों के वाहनों से अपने गंतव्य तक आवाजाही कर लेता था। मगर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद ऐसे वाहनों से सफर महंगा होने की स्थिति में अब लोगों को सोचना पड़ेगा। अव्वल तो व्यस्त समय को कारण बना कर समान दूरी तक सफर के लिए दोगुना किराया लेना अनुचित है, फिर यह बेहद निराशाजनक है कि पहले ही महंगाई के बोझ से दबे आम लोगों पर किराए की मार के साथ-साथ बुकिंग रद्द कर देने पर जुर्माना लगाने का नियम भी सख्त कर दिया गया है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। इससे यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि कैब कंपनियों की गाड़ियां समय पर नहीं आतीं। ऐसे में लोगों को विवश होकर अपनी बुकिंग रद्द करनी पड़ती है। वहीं चालकों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। वे कई बार यात्रा का डिजिटल भुगतान करने पर जोर देते हैं और पसंद का गंतव्य न मिलने पर खुद भी बुकिंग रद्द कर देते हैं। हालांकि अब ऐसे चालकों की नकेल कसने के लिए उन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य सरकारों को नए दिशा-निर्देश लागू करने की सलाह के बाद आम लोगों पर ही इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

व्यस्त समय में किराया बढ़ाने का चलन नया नहीं है। मगर मूल्य निर्धारण का यह मनमाना तरीका आखिरकार यात्रियों की जेब पर भारी पड़ता है। कैब सेवा प्रदाता कंपनियों को दोगुना किराया लेने की अनुमति देने से पहले यात्रियों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने की जरूरत थी। हाल में आए एक सर्वेक्षण में आधे से अधिक यात्रियों का कहना है कि इन कंपनियों की सेवाएं बेहतर नहीं हैं। कई बार तो गाड़ियों के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता है। वाहनों की साफ-सफाई और चालकों के खराब व्यवहार पर भी लोग प्रायः सवाल उठाते रहे हैं। अचानक किराया बढ़ा दिए जाने से लोग पहले ही परेशान थे। अब तो सीधे-सीधे लोगों की जेब से दोगुना किराया वसूलने की व्यवस्था थोप दी गई है। नए दिशा-निर्देश से आखिरकार आम लोगों को ही नुकसान होगा।

बेलगाम रफ्तार और हादसों का सफर

सड़क हादसों की एक बड़ी वजह यातायात नियमों का सख्ती से पालन न होना और आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलना भी है। कई बार नशे में वाहन चलाना भी हादसे का कारण बनता है। कुछ वाहन चालक इतने अधीर होते हैं कि वे दूसरों से आगे निकलने की होड़ में हादसे को न्योता देते हैं।

अमित बैजनाथ गर्ग

सड़क हादसे आज एक गंभीर समस्या का शक्ल ले चुके हैं और यह एक आम हकीकत है। मगर हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने भी कहा कि देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें डेढ़ लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। इनके लिए विस्तृत परियोजना रपट यानी डीपीआर में की गई गलतियां भी जिम्मेदार हैं। इस बात का जिक्र जोर देकर किया गया कि अधिकांश डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रपट भी बहुत रूढ़िवादी हैं और इन्हें तैयार करने में गुणात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। सड़क सुरक्षा में जरूरी पहलू यह भी है कि खराब इंजीनियरिंग पर ध्यान देना होगा, जिसकी अमूमन अनदेखी की जाती है। यह एक राय हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह सड़क हादसों और उनकी प्रकृति में तेजी आई है, उसमें इस मसले पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है।

असल में जब भी कोई सड़क हादसा होता है, तो कितने लोग मरे और कितने घायल हुए, जैसे आंकड़ों की जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली जाती है। तेज गति और गलत तरीके से वाहन चलाने को सड़क हादसे का जिम्मेदार बता कर बाकी सभी कार्यों की इतिश्री कर ली जाती है। कभी भी सड़क हादसे के त्वरित कारणों के अलावा विस्तार से चर्चा नहीं होती और शायद ही कभी जवाबदेही तय की जाती है। उन मूल कारणों पर भी आमतौर पर चर्चा नहीं होती, जो इन सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी इस बात का जिक्र नहीं होता कि सलाहकार की ओर से तैयार डीपीआर में गलतियां सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। यह नहीं कहा जाता कि डीपीआर तैयार करने में कहीं अधिक सावधानी और कई गुना बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। सड़क हादसों को रोकने के लिए हमें जिम्मेदारी तय करनी होगी और दोषियों को सजा दिलानी होगी। ऐसा किए बिना लोगों में भय व्याप्त नहीं होगा। मगर इससे पहले सफर के दौरान सुरक्षा के हर पहलू पर गंभीरता से ठोस काम करना होगा।

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल बड़ी संख्या में होने वाले सड़क हादसों का प्रमुख कारण खराब सड़कें और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा, सही समय पर घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचा पाना भी मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी का बड़ा कारण है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकारी प्रयासों के अपेक्षाजनक परिणाम धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के प्रयासों में तेजी लाने की दरकार है। हालांकि, विशेषज्ञों की सलाह पर बहुत गंभीरता से काम किया गया हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया है। अगर उनकी सलाह पर काम होता, तो सड़क हादसों में निश्चित तौर पर कमी आती। लोगों की लापरवाही पर तो फिर भी चर्चा हो जाती है, लेकिन सड़कों की खराब डीपीआर और खराब इंजीनियरिंग पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती। इस पर गंभीरता से बातचीत करना समय की जरूरत है।

सड़क हादसों पर जहां एक ओर जहां विस्तृत ब्योरा जमा करने की कोशिश सीमित है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी हादसे के बाद वाहन का चालान काटने और दुर्घटना होने पर उसे जब्त करने तक ही काम करती है। हादसे के विस्तृत ब्योरे और जांच तक किसी का ध्यान नहीं जाता। यह भी गंभीर चिंता का विषय है कि देश में बिचौलियों को पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया जाता है, जबकि विदेश में लाइसेंस के लिए बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। जापान में कार खरीदने से पहले पार्किंग की जगह होने का प्रमाणपत्र देना जरूरी है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां व्यक्ति कार खरीदता है और उसे घर के बाहर सड़क पर ही खड़ा कर देता है, जिससे वाहनों का जाम लगना आम बात है। देश में नाबालिग भी वाहन चला रहे हैं, जो सड़क हादसों को न्योता देते हैं। इन बातों पर कभी चर्चा नहीं होती।

> सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में होने वाले सड़क हादसों के प्रमुख कारण खराब सड़कें और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा, सही समय पर घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचा पाना भी मौत के आंकड़े में बढ़ोतरी का बड़ा कारण है। सरकारी प्रयासों के धरातल पर अपेक्षाजनक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों की लापरवाही पर तो फिर भी चर्चा हो जाती है, लेकिन सड़कों की खराब डीपीआर और इंजीनियरिंग में कौशल की कमी पर कभी चर्चा नहीं होती। इस पर गंभीरता से बातचीत करना समय की दरकार है।

सड़क हादसों की एक बड़ी वजह यातायात नियमों का सख्ती से पालन न होना और आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलना भी है। कई बार नशे में वाहन चलाना भी हादसे का कारण बनता है। कुछ वाहन चालक इतने अधीर होते हैं कि वे दूसरों से आगे निकलने की होड़ में हादसे को न्योता देते हैं। रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर गति अवरोधक जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन उनके बनाने का कोई मानक नहीं होता है। जहां पर आवश्यकता होती है, वहां नहीं बनते और अनावश्यक जगहों पर मानक रहित गति अवरोधक बना दिए जाते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। इन सभी वजहों पर चर्चा होना आवश्यक है, लेकिन शायद ही कभी इन पर गंभीरता से विचार किया जाता है।

सड़क हादसों में जान गंवाने वाले परिवारों पर क्या बीतती है, इस पर भी बहुत कम चर्चा होती है। कोई दुर्घटना हुई, कितने मरे, कितने घायल और कितना आर्थिक नुकसान हुआ, बस इन्हीं बातों को आधार बनाकर सामान्य रपट तैयार कर ली जाती हैं। हादसे के दूरस्थ परिणामों पर शायद ही कभी विस्तार से बात होती है। कुछ साल पहले जयपुर में एक सड़क हादसे में कार पर नमक से भरा ट्रक गिर गया था, जिससे कार में सवार सभी लोग मारे गए थे। इनमें एक ऐसा जोड़ा भी था, जिसकी हाल ही में सगाई हुई थी। हादसे के बाद चालक फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया। बात आई-गई हो गई। अब कोई नहीं जानता कि उस परिवार का क्या हुआ और अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता पर क्या बीती होगी।

एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक अनाज मंडी में घरों के सामने फड़ बने हुए थे, जिन पर शाम को बच्चे अक्सर खेला करते थे। मोहल्ले के बच्चों की पूरी टोली थी, जो सुबह स्कूल में पढ़ती थी और शाम को इन फड़ों पर साथ खेलती थी। एक शाम टोली में साथ खेलने वाली लड़की सड़क हादसे का शिकार हो गई। दरअसल, फड़ों के सामने से अक्सर अनाज की बोरियों से लदे ट्रक निकलते थे और इसी दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई। इस मामले में भी हादसे के बाद चालक फरार हो गया और पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया। इसके बाद यह घटना किस निष्कर्ष तक पहुंची, आम लोगों को पता नहीं चला।

सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए इस समस्या के कारणों और जड़ों पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार पर क्या बीतती है, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। उस परिवार के बच्चों को समुचित शिक्षा और भोजन मिल पा रहा है या नहीं, इस बात का भी पता लगाना चाहिए। हादसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने का मतलब है कि उस परिवार का बिखर जाना। ऐसे बिखरे परिवारों को संभालने के लिए और उन तक सरकारी और निजी सहायता पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे।

एकांत बनाम अकेलापन

दुनिया मेरे आगे

अतुल चतुर्वेदी

एकांत और अकेलापन दो अलग अवस्थाएं हैं। अकेलापन जहां बोझ, मानसिक संताप और अभाव की स्थिति पैदा करता है, वहीं एकांत रचनात्मकता और सृजन की ओर ले जाता है। दरअसल, अकेलेपन को लेकर बचपन से हमारे मन में एक भय बैठा दिया गया है। ऐसी अवधारणा प्रचलित है कि जो अकेला है, वह उपेक्षित, अव्यावहारिक और असामाजिक भी है। दूसरी ओर, अकेला रहना अब समय की मांग है और आगे चलकर कभी न कभी आजीविका के लिए, अध्ययन के लिए या किसी अन्य विवशता की वजह से हममें से किसी को भी अकेला रहना पड़ सकता है। अकेला होना या रहना हमारे परिपक्व होने की निशानी हो सकती है। यह मनुष्य ही है, जो अतिरिक्त रागात्मकता के कारण युवा होने तक अपने बच्चों की सार संभाल के लिए चिंतित रहता है, वह भी खासतौर पर भारतीय समाज में। जबकि कई अन्य देशों में स्वावलंबन का पाठ किशोरावस्था में ही सिखा दिया जाता है। इससे न केवल आत्मविश्वास को बल मिलता है, बल्कि नए विचार और अपने आपको समझने का मौका भी मिलता है।

अकेलापन कोई घबराहट की स्थिति नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि हम खुद के साथ हैं। कई अध्ययनों और विद्वानों ने इस पर अपनी राय दी है कि अकेलापन तब नहीं होता, जब हमारे आसपास लोग न हों। अकेलापन उसे कहते हैं, जब हम खुद को अपने भीतर नहीं खोज पाते। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, यह एक अभ्यास है, उत्तरोत्तर ज्यादा समृद्ध और परिपक्व होने का। स्वयं को कोसना बंद कर देना चाहिए। आत्म प्रेम करने, अपने अंदर की योग्यता और क्षमता को पहचानने की जरूरत है। खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब अहंकार से नहीं है। वहीं, एकांत इससे कहीं उच्चतर मूल्य है। यह एक साधना और एक किस्म की आत्मान्वेषी यात्रा है, जिसमें स्वयं को खोजना है। जिनके पास एकांत है, वे दूसरों से कहीं अधिक वैभवशाली और संपन्न हैं। एकांत एक तरह का वरदान है। इससे हमारे आत्मबोध की प्रक्रिया तेज होती है और गहरे व स्वतंत्र विचारों का विकास होता है। बाहरी झूठी और तात्कालिक अपेक्षाओं से मुक्ति मिलती है। हमारे ऋषियों-मुनियों ने वनों और एकांत में जाकर ही वेदों और उपनिषदों की रचना की, सिद्धियां प्राप्त कीं।

ऐसे उदाहरण आम रहे हैं कि अपने शोध कार्यों में तल्लीन वैज्ञानिक कई दिनों तक प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकलते हैं। असल में वैज्ञानिकों, कलाकारों और लेखकों को सृजनात्मक कार्यों के लिए एकांत की जरूरत होती है। जब तक खुद से साक्षात्कार नहीं होता है, मौन बैठा रचनात्मकता का बीज भी अंकुरित नहीं होता। ध्यान और जागरूकता भी तभी विकसित होती है। बाहरी दुनिया के शोर-शराबे और आपाधापी से दूर एकांत हमें प्रेरणा देता है, चिंतन का अवसर देता है। अपने एकांत का हमें बेहतर उपयोग करना चाहिए। उसे उड़ान का मौका देना चाहिए। आज का इंसान रात-दिन भीड़ और शोर-शराबे के बीच रहता है। जब कभी वह खाली बैठता है तो मोबाइल फोन समय बिताने वाला साथी बन जाता है। और कुछ बेहद जरूरी काम नहीं हो, तो हम आमतौर पर सोशल मीडिया पर समय बिताने में व्यस्त रहते हैं। मगर इस बहाने हुआ यह है कि हम अपने मस्तिष्क में कूड़ा-करकट भरने में लगे हैं। मौलिक रचनात्मकता के स्थान पर अब 'कट पेस्ट' यानी कहीं से उठाओ और चिपकाओ की संस्कृति का चलन बढ़ने लगा है। इस सवाल को इस तरह देखा जा सकता है कि दुनिया में सबसे बड़ी बात यह समझना है कि खुद से कैसे जुड़ा जाए।

> जब तक खुद से साक्षात्कार नहीं होता है, मौन बैठा रचनात्मकता का बीज अंकुरित नहीं होता है। ध्यान और जागरूकता भी तभी विकसित होती है। दुनिया के शोर-शराबे और आपाधापी से दूर एकांत हमें प्रेरणा देता है, चिंतन का अवसर देता है। अपने एकांत का हमें बेहतर उपयोग करना चाहिए। उसे उड़ान का मौका देना चाहिए।

हमें स्वयं को खुश रहना और अच्छा अनुभव करना सीखना होगा। अंदर से नकारात्मकता से भरकर हम खुद का, परिवार का या समाज का उत्थान नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो है, वही हम बांटेंगे। अगर प्रसन्नता है तो खुशी और उमंग बांटेंगे। अगर हम शत्रुता से लबरेज हैं तो घृणा और वैमनस्य ही बांटेंगे। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि और एकाग्रता, शांतचित्त होना अनिवार्य है। ओशो कहते हैं कि भीड़ से आत्मा को अलग कर पाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। मौन की शक्ति की खोज ही वास्तविक खोज है, जो एकांत को ऊर्जादायी और सृजनशील बनाती है। ध्यान, योग, ब्रह्म ज्ञान सब एकांत में ही संभव है। जब हम एकांत में होते हैं तो स्वयं की कार्य योजना बना पाते हैं, अपनी कमजोरियों को देख पाते हैं। अपना वास्तविक आकलन इस मुंह देखी प्रीत वाले संसार में कर पाते हैं।

हमारी कल्पनाशीलता एकांत में प्रबल होती है, सृजनात्मक कल्पना शक्ति से ही श्रेष्ठ रचनाओं और आविष्कारों का जन्म हुआ है। प्रख्यात चित्रकार विंसेंट वैन गाग अधिकतर एकाकी जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने अकेलेपन का इस्तेमाल अपनी कला की ऊंचाइयों को विकसित करने में किया। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को हर समय पार्टी चाहिए, शोर-शराबा चाहिए, परिणामस्वरूप मौलिक सृजन का अभाव हो गया है। अगर मौलिक सृजन हो भी रहा है तो उसमें गहराई के बजाय भावात्मक छिछलापन दिखाई देता है। अगर प्रकृति का अनुभव करना हो या स्वयं की क्षमताओं का आकलन करना हो तो हमें अकेलेपन की जरूरत पड़ेगी। अपने सपनों और लक्ष्यों पर काम करने के लिए भी एकांत के क्षण चाहिए होते हैं। एकांत में रहने वाले व्यक्ति की आत्मनिर्भरता चरम पर होती है, वह विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। इसलिए एकांत के महत्त्व को जानने की जरूरत है और इसे किसी अभाव के बजाय एक अवसर की तरह लेना चाहिए। यह हमें मानसिक और आत्मिक समृद्धि की ओर ले जाएगा तथा जीवन को गहराई से समझने का मौका भी देगा।

चौपाल

नापाक इरादे

कहने को पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, लेकिन उसके इरादे नापाक ही होते हैं। इसीलिए वह हर वक्त अपनी गलत नीतियों और आतंकवाद के सहारे भारत से हमेशा मुंह की खाने के बाद भी अशांति फैलाने से बाज नहीं आता है। आपरेशन सिंदूर में करारी मात खाने के बाद बौखलाए पाक सेना प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दावत क्या कर आए, फिर से वे कश्मीर मसले पर राग अलापने लगे। अब पाकिस्तान फिर आतंक के सहारे आंख उठाने की कोशिश कर रहा है। मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति के संरक्षण में बैठ कर यह न भूलें कि आपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, बल्कि यह याद रखें कि भारतीय सेना की कार्रवाई महज स्थगित हुई है। जिस दिन भी कश्मीर क्या देश के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकी घटना घटी, उसी वक्त भारत की सैन्य कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस बार पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तानी नेताओं और सेना प्रमुख के लिए बेहतर यही होगा कि वह आपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के दौरान मुल्क को मिले जख्मों को पहले अच्छी तरह देख लें कि वे कितने गहरे तक लगे हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि सीमा पार नापाक हरकत की क्या कीमत होती है।

– अरविंद रावल, गोपाल कालोनी, झाबुआ

जवाबदेही किसकी

पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में रथयात्रा के दौरान भगदड़ से तीन श्रद्धालुओं की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर दुखदायी है। देश में ऐसे आयोजनों के दौरान भगदड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे देश में ही भगदड़ के कारण होने वाली घटनाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। फिर भी किसी ने सबक नहीं नहीं लिया। भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में बड़ी संख्या में देश व विदेश से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में पुख्ता व्यवस्था की जरूरत थी। दुखद है कि यहां पर भी वीआइपी संस्कृति भारी पड़ी है। भगदड़ का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि ट्रक के घुसने से यह घटना घटी। जब श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी, तो ट्रक को वहां घुसने से क्यों नहीं रोका गया? ऐसे आयोजनों और अवसरों पर जवाबदेही किसकी है। मगर अब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। जब सफलता और उपलब्धियों का श्रेय लेने में सभी आगे होते हैं, तो ऐसे हादसे होने पर जवाबदेही लेने में क्या शर्म?

– हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

उचित निर्णय

कुछ समय पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटने के कारण हुई भगदड़ के लिए केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) ने आरसीबी को दोषी ठहराया है। अक्सर भीड़ प्रबंधन में गड़बड़ी के लिए प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। जबकि आयोजकों द्वारा भीड़ के अतिरेक का समुचित पूर्वानुमान नहीं लगाने के कारण यह हादसा हुआ था। आइपीएल में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न दो दिन बाद भी मनाया जा सकता था। भीड़ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दो दिन और इंतजार कर सकती थी। जोश में होश खोकर अपने जीवन से खिलवाड़ करने का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। कैट ने आरसीबी को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा कर संदेश दिया है कि किसी भी आयोजन से पूर्व उसमें जुटने वाली भीड़ का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए। प्रशासन को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। लोगों को भी अनुशासित व्यवहार करना चाहिए।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

तमाशबीन समाज

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर अस्पताल में एक नर्सिंग छात्रा की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दुखद यह कि आरोपी की निर्मम हरकत को लोग मूक दर्शक बन कर देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। किसी ने हिम्मत तक नहीं की उस बच्ची को बचाने की। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं, जहां लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। क्या हमारे अंदर सिर्फ इतनी ही इंसानियत बची है कि हमारी आंखों के सामने कितना भी गलत होता रहे और हम उसे चुपचाप देखते रहें? क्या इंसान का यही कर्तव्य है? क्या हमने नैतिकता को भूल कर अनैतिकता और असहयोग के रास्ते को चुन लिया है? हमें जीव-जंतु, मनुष्य सभी के प्रति सहयोग और सद्भाव का रवैया अपनाने की जरूरत है, ताकि हम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जवाब दे सकें। नहीं तो उनमें और हममें कोई फर्क नहीं रहेगा। समाज मूकदर्शक बना रहेगा, तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे।

– संजू तैनाण, चौबारा, हनुमानगढ़

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

भारत का पक्ष

विश्व स्तर पर राजनयिक हस्तक्षेपों में अचानक तेजी आ गई है। एक साथ अनेक वैश्विक संगठन या समूह सक्रिय हो गए हैं। वाशिंगटन में हुई क्वाड की बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री का पांच देशों का दौरा भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मेल से बने क्वाड की बैठक में एक बार फिर चीन को घेरने की कोशिश नई नहीं है। हालांकि, सबसे ज्यादा ध्यान पहलगाम मामले पर गया है। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए क्वाड ने कहा है कि हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा। एक शिकायत यह हो रही कि पहलगाम का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के नाम की चर्चा नहीं हुई है। वास्तव में, पाकिस्तान के नाम की चर्चा जरूरी नहीं है। क्वाड एक अलग चार देशीय समूह है, इसमें सीधे पाकिस्तान का अगर नाम लिया जाए, तो यह वास्तव में ठीक वैसा ही होगा, जैसा पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर करता रहा है। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी मौका मिलते ही सबसे पहले कश्मीर और भारत की चर्चा करता है। हालांकि, एकाधिक संधियां या समझौते ऐसे हैं, जिनमें पाकिस्तान ने शायद दिखावटी वादा कर रखा है कि कश्मीर की समस्या को द्विपक्षीय ढंग से सुलझाया जाएगा। बहरहाल, भारत ने क्वाड में उचित ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा हक है।

उल्लेखनीय है कि क्वाड में दुर्लभ खनिजों पर नई पहल की शुरुआत हुई है। चीन ऐसे खनिज के मामले में बहुत संपन्न है, जबकि इस मामले में अमेरिका को भी चिंता है। यहां यह सवाल है कि अमेरिका क्या अपनी चिंता में भारत की चिंताओं को शामिल करेगा? वास्तव में, भारत के प्रति अमेरिका का जो रुख है, उससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। भारत को ध्यान रखना होगा कि किसी भी वैश्विक मंच पर उसके नाम या काम का दुरुपयोग न होने पाए। भारत एक अलग चरित्र का देश है। वह युद्ध नहीं चाहता, इसका मतलब है कि भारत दुनिया में किसी के बीच भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत की पीड़ा आतंकवाद को लेकर है, अगर क्वाड जैसा कोई संगठन आतंकवाद के खिलाफ कारगर हो सके, तभी बैठक या सम्मेलन की उसकी कवायद स्वागतयोग्य है। सच यह है कि दुनिया के ताकतवर देश अपने स्वार्थ से रत्ती भर भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं और कुछ देश तो अभी भी भारत व पाकिस्तान को एक ही तराजू पर रखने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे देशों को भारत की चिंताओं की परवाह नहीं है, अतः भारत को ज्यादा सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। अपने हित में आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर ज्यादा सक्रियता दिखाने की जरूरत है।

विश्व में भारत को ज्यादा सावधानी से कदम बढ़ाने चाहिए। अपने हित में आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर ज्यादा सक्रियता की जरूरत है।

यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को हम उत्साह से देख सकते हैं। 30 साल से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा है। यहां 'हरे राम हरे कृष्ण' के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। वहां भी प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है और समस्याओं का समाधान बातचीत व कूटनीति के जरिये किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री यही संदेश लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा करेंगे। भारत को अपनी अच्छी कूटनीति का लाभ जरूर लेना चाहिए। याद रहे, भारत में जब जी-20 का आयोजन हुआ था, तब अफ्रीका महादेश को जी-20 में शामिल किया गया था। बेशक, ग्लोबल साउथ के जरूरतमंद देशों में भारत को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि भारत की कूटनीतिक ताकत ही नहीं, आर्थिक शक्ति में भी इजाफा हो।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

04 जुलाई 1950

कोरिया की युद्ध-स्थिति

कोरिया की युद्ध-स्थिति के संबंध में सदा की भांति परस्पर विरोधी समाचार आते रहते हैं। फिर भी इतना निश्चित मालूम देता है कि अमरीका की जल और वायु सेना की सहायता उत्तरी कोरिया के आक्रमण को कुण्ठित नहीं कर सकी है। अमरीका को स्थिति को बचाने के लिए अपने पुराने निश्चय को बदलना पड़ा है। अमरीकी जंगी जहाजों ने कोरिया की भूमि पर अमरीकी थल फौजों को उतार दिया है और ये उत्तरी की फौजों का मुकाबला करने के लिए उत्तर की ओर जा रही है। अमरीका कोरिया के युद्ध में पूरी तरह लिप्त हो गया है। अब उत्तरी कोरिया को अमरीका की पूरी फौजी ताकत का सामना करना पड़ेगा। जहां तक दक्षिण कोरिया की फौजों के प्रतिरोध का प्रश्न है, खुद दक्षिण कोरिया की अस्थायी राजधानी तायेजोन के एक रेडियो टेलीफोन संदेश के अनुसार खत्म हो गया है। दक्षिण कोरिया की फौजों का नैतिक साहस टूट गया है। उत्तरी कोरिया की सेना के टैंकों के आगे ये निस्सहाय होकर दक्षिण की ओर भाग रही है। अमरीकी वायुयान पर्चे गिराकर भागते हुए दक्षिण कोरिया के सैनिकों की हिम्मत बंधाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि अमरीका उनकी मदद के लिए अपनी मैदानी फौज भी भेज रहा है। किन्तु अब ऐसा मालूम पड़ता है कि दक्षिण कोरिया की लड़ाई अमरीकी फौजों को ही लड़नी होगी, स्वयं दक्षिण कोरिया का प्रतिरोध खत्म हो गया है। मौसम भी उत्तरी कोरिया के अधिकारियों का साथ दे रहा है। वर्षा और बादलों के कारण अमरीकी वायुयान उत्तरी कोरिया के सैनिक लक्ष्यों पर सफल बम वर्षा नहीं कर पा रहे हैं।

यह निश्चित है कि अमरीका कोरिया में पीठ नहीं दिखायेगा, क्योंकि यह उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कोरिया के संघर्ष में तीसरे महायुद्ध के छिड़ने की सभी संभावनायें मौजूद हैं। अभी तक महायुद्ध छिड़ा नहीं, इसका कारण यह है कि जिस प्रकार अमरीका दक्षिण कोरिया की मदद के लिए मैदान में कूद पड़ा, उसी प्रकार रूस उत्तरी कोरिया की मदद के लिए नहीं कूदा है। किन्तु जब अमरीका की बड़ी-बड़ी फौजी ताकत उत्तरी कोरिया की फौजों को पीछे धकेलना शुरू करेंगी, तब भी क्या रूस चुप ही बैठा रहेगा? अमरीका ने रूस से अनुरोध किया था कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके उत्तरी कोरिया को 38 अक्षांश तक वापस हट जाने और लड़ाई बंद करने के लिए प्रेरित करे।

साइबर सर्च का बदल गया सलीका

प्रांजल शर्मा | डिजिटल नीति विशेषज्ञ

जैसे-जैसे भारत अधिक डिजिटल होता जाएगा, उपभोक्ताओं को उन इंटरनेट-सामग्रियों को लेकर कहीं अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिनका वे उपयोग करेंगे।

देश जब डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तब यह देखना वाकई महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट और 'सर्च' की दुनिया में कितने बदलाव आए हैं? यकीनन इंटरनेट पर सर्च, यानी खोजने का तरीका बदल गया है। जैसे-जैसे जेनरेटिव एआई बॉट्स लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उपभोक्ता सर्च के लिए जेनरेटिव एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं।

सर्च इंडस्ट्री अब 'ब्राउजर' से आगे 'बॉट्स' की ओर बढ़ रही है। 1997 में गूगल सर्च की शुरुआत होने से लेकर एप्पल के सफारी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, डकडकगो व यांडेक्स तक 'सर्चइंजन' बाजार ने अरबों डॉलर के उद्योग के रूप में तरक्की की है। बाजार पर नजर रखने वाली कंपनी मोर्डोर इंटेलिजेंस के अनुसार, 2025 में सर्च इंजन का जो कारोबार 252.2 अरब डॉलर का है, 2030 तक वह 440.6 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब उपभोक्ताओं के पास वाट्सएप पर मेटा एआई, माइक्रोसॉफ्ट पर चैटजीपीटी, जीमेल पर जेमिनी, एक्स पर ग्रोक के अलावा परप्लेक्सिटी और ओपेनएआई जैसे तमाम विकल्प मौजूद हैं। पिछले दशकों में उपयोगकर्ताओं में वही सर्च इंजन आदर्श रहे हैं, जिनमें कंटेंट, यानी इंटरनेट सामग्रियों के लिंक मौजूद रहे। बढ़ती दक्षता और पूर्वानुमान इंजन ने लिंक खोजना काफी आसान बना दिया है।

अब खोज के लिए किसी ब्राउजर पर जाने के बजाय युवा उपयोगकर्ता सीधे बॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ मामलों में तो बॉट्स से लिंक के बिना संक्षिप्त जवाब मिल जाते हैं। जबकि, कुछ मामलों में वह स्रोतों के लिंक भी मुहैया कराता है। हालांकि, कई मामलों में यह भी देखा गया है कि बॉट्स द्वारा उपलब्ध कराई गई संक्षिप्त जानकारी दोषपूर्ण या गलत रही है।

इसके बाद जिन उपयोगकर्ताओं के पास सही जानकारी होती है, वे पेश किए गए 'संक्षिप्त जानकारी' को सही करने के प्रयास करते हैं, ताकि जेनरेटिव एआई बॉट सीख सके और उसे सुधारा जा सके। कुछ बॉट्स सीमित, पर विशाल डाटासेट से सूचनाओं का उपयोग करते हैं, तो कुछ खुद इंटरनेट पर सर्च करते हैं और ब्राउजर की तरह काम करते हैं।

जाहिर है, सर्च उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। कई उपकरणों और ई-मेल जैसी सेवाओं में जेनरेटिव एआई बॉट्स की मौजूदगी के कारण अब इंटरनेट पर मौजूद सामग्रियां लिंक आधारित सूचनाओं के बजाय एआई आधारित सारांश में दिखने लगी हैं। कंपनियां पहले सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन शुल्क लगाकर पैसे कमा रही थीं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) विज्ञापनदाताओं के लिए अपनी सामग्री को बढ़ावा देने का एक मानक बन गया है।

जेनरेटिव एआई बॉट्स दशकों पुराने मॉडल को अब बदल रहे हैं। जेनरेटिव एआई उपभोक्ताओं के लिए सारांश या नोट्स नहीं बनाते। लोग जेनरेटिव एआई बॉट्स में संदर्भ के साथ सूचनाएं दर्ज कर रहे हैं और फिर सवाल पूछ रहे हैं। कई उपयोगकर्ताओं के लिए कंटेंट के लिंक अब काम के नहीं रहे। वास्तव में, कई नौजवानों में प्रासंगिक कंटेंट खोजने के लिए विभिन्न लिंक पर क्लिक करने का धैर्य नहीं होता। वे जेनरेटिव एआई बॉट्स से यह उम्मीद करते हैं कि वे उनके लिए सर्च कर देंगे, उनका सारांश पेश करेंगे और तमाम स्रोतों से उन्हें सामग्रियां मुहैया कराएंगे। लाखों उपयोगकर्ता तो जेनरेटिव एआई बॉट्स में बोलकर भी इंटरनेट पर सामग्रियां खोज रहे हैं।

इस कारण पूरी सर्च इंजन इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है। इंटरनेट का विश्लेषण करने वाली स्टैटकाउंटर नामक कंपनी ने चैटजीपीटी की शुरुआत और अन्य जेनरेटिव एआई बॉट्स के बढ़ते उपयोग के बाद बाजार में गूगल की हिस्सेदारी गिरने की बात कही है। मोर्डोर रिपोर्ट में भी कहा गया है कि एआई-संचालित सशुल्क सर्च इंजन 2025 में बेशक एक अरब डॉलर का व्यापार कर रहा है, मगर 2029 तक यह 26 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है, क्योंकि विज्ञापनदाता उन सर्च इंजन से बचना चाहते हैं, जहां कम लोग विज्ञापन के लिंक पर क्लिक करते हैं। इसके बजाय उनका रुझान उन इंजनों पर है, जहां ज्यादा लोग सर्च के लिए आ रहे।

बाजार के खिलाड़ी अब एसईओ की अगली कड़ी के रूप में जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (जीईओ) पर अपना ध्यान टिकाए हुए हैं। कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं कि उनके उत्पाद और सेवाएं ग्रोक व जेमिनी जैसे विभिन्न बॉट्स द्वारा पैदा एआई-सारांश में दिखाई दें। युवा व दूरदर्शी उपभोक्ता एआई-सारांश पर जोर देते हैं, उसके मूल स्रोत वाले लिंक पर ध्यान नहीं देते। एजेन्टिक एआई के उदय का यही अर्थ है कि ब्रांडेड और प्रायोजिक लिंक का महत्व अब कम हो जाएगा। एजेन्टिक एआई दरअसल उन्नत स्तर का बॉट है, जो उपयोगकर्ताओं के पिछले व्यवहार के आधार पर उनकी जरूरतों का फौरन अनुमान भी लगा सकता है।

इस कारण जीईओ आने वाले महीनों में एसईओ आधारित योजनाओं को पीछे छोड़ देगा। कुछ डिजिटल विज्ञापनदाताओं ने जीईओ के लिए एआई आधारित समाधान देना शुरू किया है। ब्रिटिश कंपनी डिजिटल-बिज ने एआई इंजन बूस्ट की शुरुआत की है, जो कंपनी के मुताबिक, 'विकसित होते सर्च के संसार में एक परिवर्तनकारी संयोजक' के रूप में काम करता है, और पारंपरिक एसईओ को अगली पीढ़ी की एआई-एसईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एईओ) और जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन (जीईओ) से जोड़ता है। डिजिटल-बिज ने एक बयान में कहा भी है, एआई इंजन बूस्ट लोगों की ब्रांड तक पहुंच को सर्वव्यापी बनाता है, जो पारंपरिक और उभरती हुई, दोनों सर्च तकनीकों के अनुकूल है।

साफ है, भविष्य में पूरा सर्च इंजन उद्योग जेनरेटिव एआई सर्च और सारांश कंटेंट उद्योग के रूप में विकसित होगा। उत्पादों की दृश्यता जीईओ प्रयासों और एआई सारांश से तय होंगी। मगर उपभोक्ताओं को इसमें खास सावधान रहना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जेनरेटिव एआई सारांश के बावजूद वे तथ्यों का स्रोत जानें। जेनरेटिव एआई बॉट्स द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सच नहीं हो सकतीं और उनमें कई पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। लिहाजा, जैसे-जैसे भारत अधिक डिजिटल होता जाएगा, उपभोक्ताओं को उन इंटरनेट-सामग्रियों को लेकर कहीं अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिनका वे उपयोग करेंगे। यहां तक कि जेनरेटिव एआई बॉट्स का प्रबंधन करने वाली बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे उपभोक्ताओं तक सटीक सूचनाएं पहुंचाएं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कुछ कमियां दूर हो जाएं, तो बड़े काम की लोक अदालतें

भारत सिंह | संचार सलाहकार, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट

हम सब जानते हैं कि देश की अदालतों पर पांच करोड़ से अधिक मुकदमों का बोझ है, जिससे हमारी न्याय-व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन कम ही लोगों को यह पता है कि पूरे देश में आयोजित होने वाली लोक अदालतों में साल के चार दिनों में इसके दोगुने, यानी 9-10 करोड़ विवाद निपटा दिए जाते हैं। सोचिए, यदि लोक अदालतें न होतीं, तो हमारी न्यायपालिका पर कितना बोझ होता?

हमारे देश में हर तिमाही एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, यानी साल में चार राष्ट्रीय लोक अदालतें लगती हैं। इनका कार्य विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना है। लोक अदालत शुरू करने का विचार देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी एन भगवती का था। पहली अनौपचारिक लोक अदालत उन्हीं के कार्यकाल में सन् 1982 में गुजरात में आयोजित की गई थी। इसकी सफलता को देखते हुए साल 1987 में 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम' पारित हुआ, जो 1995 से प्रभाव में आया। इसके तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के तहत अलग-अलग तरह की लोक अदालतें गठित हुईं। राष्ट्रीय लोक अदालतों में सभी तरह के समझौते योग्य मामले लिए जाते हैं। वहीं राज्यों में दूर-दराज के गांवों में विवाद सुलझाने व जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल लोक अदालतें भी लगती हैं। इनके अलावा, सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं (परिवहन, डाक, दूरसंचार, बिजली, पानी, बीमा आदि) से संबंधित विवादों के निपटान के लिए स्थायी लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं।

साल 2023-24 में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों ने 9.7 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए, तो वहीं राज्यों की लोक अदालतों ने 22.5 लाख मुकदमे।

हमारे देश में लोक अदालतों का अधिक से अधिक आयोजन करना चाहिए, क्योंकि इनमें उपभोक्ताओं से जुड़े विवाद या कोर्ट में पहुंचने से पहले के विवादों की संख्या अच्छी-खासी होती है। इन अदालतों में गंभीर प्रकृति के अपराधों (मसलन, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि) के मामले नहीं लिए जाते हैं या फिर ऐसे मामले नहीं लिए जाते, जिनमें दोनों पक्षों के राजी होने और विवाद सुलझने की संभावना न हो।

मगर राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली लोक अदालतें कामकाज की तुलना में राष्ट्रीय लोक अदालतों से काफी पीछे हैं। साल 2023-24 में चार राष्ट्रीय लोक अदालतों द्वारा जहां 9.7 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए गए, तो वहीं राज्यों की 9,865 लोक अदालतों में 22.5 लाख मामलों की ही सुनवाई हुई। इनमें से 54 प्रतिशत मामलों का ही निपटारा हुआ। पांच राज्यों- झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु व तेलंगाना में 80 प्रतिशत लोक अदालतें लगीं। दिल्ली और तेलंगाना में इनके द्वारा मुकदमों के निपटारे की दर जहां 90 प्रतिशत से अधिक रही, वहीं गुजरात में यह दो प्रतिशत, राजस्थान में तीन प्रतिशत, महाराष्ट्र में नौ फीसदी, तमिलनाडु में 18 प्रतिशत, केरल में 24 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश 40 फीसदी रही। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड और पश्चिम बंगाल में तो राज्य स्तर पर कोई लोक अदालत ही आयोजित नहीं हुई। लोक अदालतों की प्रक्रिया बेहद सहज-सरल होती है। इसकी पीठ में वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होते हैं और इन अदालतों के फैसलों को सिविल कोर्ट का फैसला ही माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि लोक अदालतों में कोर्ट फीस नहीं लगती। वकीलों की भी जरूरत नहीं होती। चूंकि इनमें दोनों पक्षों के बीच सहमति से फैसला होता है, इसलिए ऐसे फैसलों के खिलाफ अपील नहीं होती। अगर लोक अदालतों में समझौता नहीं हो पाता, तो मुकदमा अदालत में वापस भेज दिया जाता है।

मगर इन लोक अदालतों का एक और पहलू भी है। इन पर अक्सर मजबूत सामाजिक हैसियत वाले के हित में कमजोर पक्ष पर दबाव बनाकर समझौता कराने जैसे आरोप लगते हैं। कई बार लक्ष्य पूरा करने के लिए मामलों को बहुत जल्दबाजी में निपटा दिया जाता है। लोक अदालतों में व्यापक जांच के बाद फैसला सुनाने की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए कई बार न्यायसंगत फैसला नहीं आ पाता और प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं रहती। अगर न्यायिक अधिकारियों को इनके बारे में प्रशिक्षित किया जाए, तो इन कमियों को दूर कर लोक अदालतों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

साथ में नयनिका सिंघल

मनसा वाचा कर्मणा

आपकी करुणा कितनी सच्ची

बौद्ध परंपरा में करुणा और प्रेम भरी दया, एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। करुणा सहानुभूति से भरी एक ऐसी कामना है, जो करुणा की वस्तु, सत्वों को दुख से मुक्त देखना चाहती है। प्रेम भरी दया एक ऐसी कामना है, जो दूसरों का सुख चाहती है। इस संदर्भ में प्रेम व करुणा को सांवृतिक प्रेम (छिपे हुए प्रेम) व करुणा से अलग समझना चाहिए।

उदाहरण के लिए, जो हमारे प्रिय हैं, उनके लिए हम एक निकटता के भाव का अनुभव करते हैं। हमारे मन में उनके प्रति करुणा तथा सहानुभूति की भावना होती है। हममें उनके लिए प्रबल प्रेम की भावना होती है, पर अक्सर यह प्रेम या करुणा आत्म संबंधी विचारों पर आधारित होती है- फलां-फलां मेरा मित्र है; मेरा पति, मेरी पत्नी, संतान इत्यादि-इत्यादि। ऐसे प्रेम और करुणा में आसक्ति का पुट होता है, क्योंकि इसमें आत्म संबंधी विचार होते हैं। जहां आसक्ति होगी, वहां क्रोध और घृणा के उत्पन्न होने की आशंका भी होगी। आसक्ति क्रोध तथा घृणा के साथ-साथ चलती है।

चित्त-शोधन के संदर्भ में सच्ची करुणा और प्रेम इस सरल तथ्य की पहचान पर आधारित है कि मेरी ही तरह अन्य भी सुखी होने की कामना करते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं। दूसरों को मेरी ही तरह अपनी इस इच्छा को पूरा करने का नैसर्गिक अधिकार है। इस आधारभूत तथ्य की पहचान के आधार पर किसी के लिए सहानुभूति का विकास सार्वभौमिक करुणा है। इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह या भेदभाव का तत्व नहीं होता। इस करुणा को सभी तत्वों तक पहुंचाना संभव है। इस तरह, सच्ची करुणा के आवश्यक तत्व हैं कि वह सार्वभौमिक है और किसी किस्म का भेदभाव नहीं करती।

बौद्ध परंपरा में करुणा के परिष्कार में प्रथमतः सभी सत्वों के प्रति समत्व की भावना का परिष्कार करना है। जैसे, आप चिंतन कर सकते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्ति इस जीवन में आपका मित्र, संबंधी हो सकता है, परंतु वही व्यक्ति एक बौद्ध दृष्टिकोण से पूर्व जन्म में आपका बहुत बड़ा शत्रु रहा होगा। ठीक इसी प्रकार का तर्क आप उस व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाएं, जिसे आप शत्रु मानते हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति आपके प्रति नकारात्मक है और इस जीवन में आपका शत्रु है, वह पूर्व जन्म में आपका सबसे अच्छा मित्र रहा होगा। दूसरों के साथ संबंध की परिवर्तनशील प्रकृति पर चिंतन करते हुए आप इस प्रकार की समत्व-भावना का विकास कर सकते हैं।

चित्त- शोधन के लिहाज से सच्ची करुणा और प्रेम इस सरल तथ्य की पहचान पर आधारित हैं कि मेरी ही तरह अन्य भी सुखी होने की कामना करते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं।

समत्व की भावना के विकास के लिए अनासक्ति की अपेक्षा होती है। इस भावना का विकास दूसरों के प्रति भेदभाव की चुभन को दूर कर देता है। आप इस प्रकार की भूमि तैयार करते हैं, जिस पर आप सभी सत्वों के प्रति करुणा की भावना का विकास कर सकते हैं।

दलाई लामा

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री, भारत

अगर मैं इस्लाम की बात करूं, तो पूरी दुनिया में केवल भारत में ही इस्लाम के 72 के 72 फिरके सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। यह हमारे देश की सहिष्णुता और पंथ-निरपेक्षता का जीता-जागता प्रमाण है।

तर्क के आधार पर काम नहीं करता तंत्र

दिल्ली में 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल और 10 वर्ष पुरानी डीजल गाड़ियों की धर-पकड़ जारी है। तर्क यह दिया जा रहा है कि इतने वर्षों से अधिक पुराने वाहन ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। एक बार सुनने में तो यह सही लगता है कि 15 वर्ष पुराने वाहन खटारा हो गए होंगे, उनको हटा ही देना चाहिए। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। निर्भर यह करता है कि वाहन इन वर्षों में चला कितना? उसका रख-रखाव कैसा रहा? क्या पांच वर्ष कम रख-रखाव वाले और 20 वर्ष बहुत अच्छी देखभाल वाले वाहन की स्थिति समान हो सकती है? मुमकिन है, 20 वर्ष वाले वाहन की स्थिति अच्छी भी हो। वैसे भी, कार्बन उत्सर्जन/ प्रदूषण फैलाने के लिए गाड़ी की फिटनेस देखी जानी चाहिए या उसकी अवधि? प्रदूषण सर्टिफिकेट आखिर क्यों बनाए जाते हैं? एक मध्यम या निम्न मध्यवर्गीय परिवार पाई-पाई जोड़कर गाड़ी खरीदता है। वह यदि सही स्थिति में है, तो उसको जब्त करने का क्या मतलब है? इसके विपरीत, बहुत धनाढ्य परिवारों में कई-कई चमचमाती लग्जरी कारें होती हैं, जाहिर है, वे कम चल पाती हैं, उनको भी दिल्ली में चलने से रोक देना कहां तक सही है? आखिर तर्क के आधार पर हमारा तंत्र कब काम करेगा? मेरा मानना है कि इन सबके पीछे ऑटोमोबाइल सेक्टर की लॉबी जिम्मेदार है, जिसको इस एक नीति से बहुत फायदा होने वाला है। हम अब ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, जहां रिपेयर नहीं, बल्कि फिर से खरीदने को महत्ता दी जाएगी। इस तरह के जन-विरोधी नियम तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। प्रदूषण को खत्म करने के लिए बड़े-बड़े एयर प्यूरीफायर टावर लगने थे, उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोगों की गाड़ियों की धरपकड़ की जा रही है। दरअसल, इलाज कुछ और है, दवा कुछ और दी जा रही है।

अनुराग सिंह शेखर, टिप्पणीकार

प्रदूषण की आड़ में करीब 62 लाख गाड़ी बेकार। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। कानून की आड़ में करोड़ों की संपत्ति कबाड़ बना दी जाए, तो इसे विकास नहीं, विनाश कहते हैं। जब फायदा उद्योगपतियों को मिले, तो देश की निरीह जनता की कौन सुनेगा? दिल्ली में पहले हजारों गरीबों का घर तोड़ना शुरू हुआ, मध्यवर्ग चुपचाप तमाशा देखता रहा। अब उसी मध्यवर्ग की 62 लाख गाड़ियां खत्म की जा रही हैं और ये हाथ मलते दिख रहे हैं। मजे की बात यह है कि गाड़ी खरीदने के साथ ही 15 साल का रोड टैक्स वसूल कर लिया जाता है, लेकिन 10 साल में ही गाड़ियां बेकार बताई जा रही हैं। प्रदूषण का मापदंड भी गजब का है।

चतुरानन झा, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

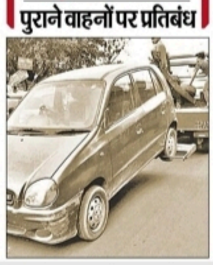

पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगने ही चाहिए

पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल न देने का जो नियम दिल्ली में लागू किया गया है, उसका विरोध करने वाले लोग वास्तव में संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। द्रवित लोग कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं बंद करवानी चाहिए थी। गरीब और मध्यवर्गीय परिवार एक बार ही गाड़ी ले पाता है और उसे भी सरकार स्क्रैप बना रही है। सरकार ऑटोमोबाइल कंपनियों से मिल गई है। गाड़ी लेते समय टैक्स लेती है, तो फिर समय-पूर्व बंद क्यों? आदि-आदि...

ये सारी दलीलें सुनने में जरूर अच्छी लगती हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं हैं। कैसे? सबसे पहली बात, इस फैसले में किसी पार्टी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस नीति को लागू करने में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से 1 जुलाई, 2025 से इन वाहनों को ईंधन आपूर्ति बंद करने के निर्देश देकर। यह फैसला काफी पहले लिया गया था और लोगों को पता था कि एनसीआर में पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी। अलबत्ता, कुछ साल पहले सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी भी बनाई कि रद्दी में बेचने पर गाड़ी के मूल्य का कुछ हिस्सा आपको मिल जाएगा और साथ ही जब नई गाड़ी लेंगे, तो उसमें भी कुछ लाभ मिलेगा। साफ है, यह नियम रातोंरात नहीं बना है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि सरकार ने ऑटोमोबाइल लॉबी के दबाव में ऐसा किया है।

दूसरी बात, सरकार किसी की भी हो, यदि वह कड़े कदम उठाती है, तो उसका विरोध होता ही है। लगभग यही बातें हमने करीब दो दशक पहले भी सुनी थीं, जब दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने सरकारी बसों में सीएनजी लगवाने का फैसला लिया था। 1998 में जब सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, तब यह योजना बनाई गई कि 2001 तक दिल्ली की सरकारी बसों में सीएनजी लगा देना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण काफी बढ़ गया था। 2001 में शीला दीक्षित की सरकार थी। उसने यह फैसला कड़ाई से लागू किया। बड़ा हल्ला मचा। मगर भाजपा और कांग्रेस, दोनों सरकारों ने यह कदम उठाया और दिल्ली में सीएनजी लागू हो गया। ठीक आज जैसे तर्क तब भी दिए जा रहे थे, लेकिन जनहित में सरकार ने पीछे न हटने का फैसला किया। आज सीएनजी लागू होने का बड़ा प्रभाव दिखता है, वरना दिल्ली में 2000 के दशक में सांस लेना तक दूभर हो चुका था। तो, गुजारिश यही है कि हम सभी वस्तु-स्थिति को समझें और तब अपनी बात रखें।

मनीष शर्मा, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली • शुक्रवार • 4 जुलाई • 2025

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

जो सीखता है लेकिन सोचता नहीं, वह खो जाता है! जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं, वह बहुत खतरे में है।
-कन्फ्यूशियस

कारण तलाशें

देश में अचानक होने वाली मौतों और कोविड-19 टीकाकरण के दरम्यान किसी भी संबंध से केंद्र सरकार ने इंकार किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के व्यापक अध्ययनों का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अचानक अस्पष्ट मौतों के पीछे पहले की स्वास्थ्य समस्याओं को दोषी ठहराया। इन् अध्ययनों में 18-45 आयु वालों की अस्पष्टीकृत मौतों का कारण पता लगाने के लिए दो अध्ययन किए गए। पहला मई से अगस्त, 2023 तक 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों में किया गया। दूसरा अध्ययन वास्तविक समय में मौतों के कारणों का विश्लेषण करता है। इनके

आधार पर कहा गया कि कोविड-19 टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनके दुष्परिणाम दुर्लभ हैं। अचानक मौतों के पीछे आनुवांशिक, खराब जीवनशैली, पहले से मौजूद बीमारियां व कोविड के बाद की जटिलताएं प्रमुख बताई गई। हालांकि अंतिम परिणाम जल्द साझा करने की भी बात की गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड टीकों को अचानक मौतों से जोड़ने वाले दावे गलत व भ्रामक हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बिना सबूत के अफवाहें फैलाने से वैक्सीन के खिलाफ हिचकिचाहट बढ़ सकती है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। टीके के जो दुष्प्रभाव बताये गए थे उनमें टीकाकरण के एक से चार दिन के भीतर हल्का बुखार, बाजू में दर्द, जोड़ों व सिर में दर्द तथा हल्की मिचली की शिकायतें हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि इस टीके से प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती है। यूं तो कोई भी टीका सौ फीसद सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता। मगर महामारी के बाद से छोटे-छोटे बच्चों की ह्रदयाघात से होने वाली मौतें गहन अध्ययन की मांग करती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं कि 2020-23 के दरम्यान दिल के दौरों के मरीजों की संख्या में 50% चालीस से कम उम्र की है। गतिहीन जीवन शैली, अस्वास्थ्यकर आहार, धूम्रपान-शराब आदि की लत तो है ही, बिगड़ता पर्यावरण और तनाव/अवसाद भी हैं। प्रोसेस्ड व रिफाइंड खाना, बाजारी खाद्य पदार्थ, नमक व चीनी की अत्यधिक मात्रा, नींद की कमी, बढ़ता मोटापा भी कम दोषी नहीं हैं। बहरहाल, सरकार टीका का पक्ष लेकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकती।

भारत का पलड़ा भारी

चार देशों-भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका-का संगठन क्वाड की तरफ से भारत के लिए सुकूनभरी रही। बुधवार को वाशिंगटन में इन देशों के विदेश मंत्रियों की चर्चा में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को बिना देर किए सजा देने की बात पुरजोर ढंग से उठाई गई। हालांकि पहलगाम हिंसा में पाकिस्तान की संलिप्तता और साजिश का पर्दाफाश होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। इन देशों के साझा बयान में पाकिस्तान का नाम गायब मिला। यह भारत के लिए थोड़ी असहज करने वाली स्थिति मानी जा सकती है। वैसे भारत ने पहलगाम प्रकरण के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी है और वैश्विक मंच पर अपने

प्रतिनिधिमंडल भेजकर जिस तरह से पाकिस्तान की मंशा और चरित्र को उजागर किया है, उससे बाकी देशों में पाकिस्तान की छवि पर जरूर असर पड़ा है। पाकिस्तान की करतूत और आतंकवाद को पालने-पोसने में उसकी भूमिका अब किसी से छिपी नहीं है। क्वाड संगठन ने बैठक में न केवल पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं, मददगार संगठनों और उनका वित्तपोषण करने वालों को जल्द-से-जल्द न्याय के कठघरे में लाने की वकालत की, बल्कि साझा बयान में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से इसमें मदद करने की अपील भी की। साफ है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती बढ़त तो मिली है। बहरहाल, अभी बहुत कुछ करना शेष है। पाकिस्तान के साथ-साथ पड़ोसी चीन की भूमिका और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के करीबी तुर्किये ने भी भारत की चिंता में इजाफा किया है। खासकर, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान जिस तरह की मदद चीन और तुर्किये ने पाकिस्तान को दी, वह यह बताने को काफी है कि भारत का असल दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है। अच्छा होता क्वाड बैठक के बाद जारी साझा बयान में बकायदे पाकिस्तान का नाम लेकर उसे बे-पर्दा किया जाता। इस बात की भी गहन मीमांसा करने की जरूरत है कि आखिर भारत द्वारा तमाम तर्क और सबूत रखे जाने के बावजूद पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों बचा गया? अलबत्ता, भारत के लिए यह बड़ी जीत है और आने वाले दिनों में इस दिशा में निःसंदेह भारत बढ़त हासिल करेगा।

नशाखोरी/डॉ. सत्यवान सौरभ

नशा छोड़ो, जीवन चुनो

भारत आज एक दोहरी लड़ाई लड़ रहा है-एक तरफ तकनीक और विकास की उड़ान है, और दूसरी ओर समाज में नशे का अंधकार फैलता जा रहा है। गांव से शहर तक, स्कूल-कॉलेजों और अमीरों की पार्टियों से लेकर गरीबों की गलियों तक नशे के सौदागर अपना जाल फैलाए बैठे हैं।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब यह जाल शराब या गांजे तक सीमित नहीं रहा। सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकल नशे, हेरोइन, ब्राउन शुगर, कोकीन जैसे घातक पदार्थ अब भारत के युवाओं के जीवन को खोखला कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मणिपुर, गोवा जैसे राज्यों में तो यह जहर सामाजिक ताने-बाने को चीर चुका है। एक ओर सरकार 'युवाओं को स्किल्ड बनाने' की बात करती है, दूसरी ओर लाखों नौजवान नशे की गिरफ्त में अपनी ऊर्जा, जीवन और भविष्य गंवा रहे हैं। नशे के पीछे एक पूरा तंत्र सक्रिय है-पैसे के लिए इंसानियत का सौदा करने वाले ड्रग माफिया, पुलिस और राजनीति में मिलीभगत, विदेशों से आने वाली तस्करी की खेप, और स्थानीय स्तर पर युवाओं को इस दलदल में धकेलने वाले एजेंट। ये सब मिल कर देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं।

कई रिपोर्टें बताती हैं कि स्कूल के बच्चे तक ड्रग्स की चपेट में हैं। छोटे-छोटे पाउच, चॉकलेट जैसे पैकेट्स, खुश्बूदार पाउडर-इनके जरिए नशा परोसा जा रहा है और जब बच्चे इसकी गिरफ्त में आते हैं, तो परिवार, शिक्षक और समाज-सभी असहाय हो जाते हैं। भारत के संविधान ने हमें 'स्वस्थ राष्ट्र' का सपना दिया था, लेकिन जिस देश के युवा ही बीमार और नशे में हों, उस राष्ट्र की कल्पना कैसे साकार होगी? युवा ही देश की रीढ़ होते हैं-यदि वही झुक जाएं, टूट जाएं या खोखले हो जाएं, तो देश भी खड़ा नहीं रह सकता।

सरकारें अक्सर ड्रग्स के खिलाफ 'जागृति अभियान', 'स्लोगन प्रतियोगिता', या 'परेड' जैसे प्रतीकात्मक कार्यक्रम करती हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इससे कुछ बदलता है? जरूरत है एक मजबूत नीति, ईमानदार क्रियान्वयन और सबसे बड़ी बात-राजनीतिक इच्छाशक्ति की। कुछ चुनिंदा मामलों में मीडिया टीआरपी के लिए 'ड्रग्स ड्रामा' दिखाता है, लेकिन अधिकतर समय इस गंभीर मुद्दे को उपेक्षित छोड़ देता है। इस पूरे संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि इससे जुड़ा व्यक्ति अकेला नहीं मरता-उसके साथ पूरा परिवार, और धीरे-धीरे एक पीढ़ी मुरझा जाती है।

दावों और हकीकत की परख

सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक न्याय

अखिलेश आर्येन्दु

अध्ययन और गहन समीक्षा के बाद सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक असमानताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कठघरे में खड़ा किया जा रहा है, जो चिंता की बात है। भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण आर गवई का इस बारे में कहना है कि -समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली संरचनात्मक असमानताओं पर ध्यान दिए बगैर कोई भी देश प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता है- दमदार लगता है।

उनका यह कहना भी गौर करने लायक है कि न्याय अमूर्त आदर्श नहीं है। इसे सामाजिक संरचनाओं, अवसरों के वितरण और लोगों के रहने की स्थितियों में जड़ें जमानी चाहिए। यह केवल पुनर्वितरण या कल्याण का मामला नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, उसकी पूरी मानवीय क्षमता का अहसास कराने और देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन में समान रूप से हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के बारे में भी है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत समझने वाले समाजकर्मियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया हैं कि आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे तमाम कवायद के बावजूद गरीबी क्यों बढ़ रही है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2011-12 और 2022-23 के बीच गरीबी 27.1 से घट कर 5.3 फीसद रह गई यानी एनडीए सरकार के काल में गरीबी का स्तर तेजी से घटा है।

कुछ अध्ययनों के अनुसार अभी भी गांवों में लोगों की आय में इजाफा वैसा नहीं हो रहा है जिससे वे सुख की जिंदगी बसर कर सकें। दूसरी बात, शिक्षा की बेहद कमी सुदूर गांवों में गरीब परिवारों में आज भी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में सामाजिक-आर्थिक असमानताएं बहुत ज्यादा हैं, जिससे गरीबी लगातार बढ़ रही है। जन्मगत जाति व्यवस्था से उपजा जात-पांत और भ्रष्टाचार कई कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा डालते दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चुनौती कृषि क्षेत्र की है जहां सरकारी योजनाओं और राहतों के वितरण के बावजूद सीमांत किसानों की हालात में खास बदलाव नहीं आया है? कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में जितनी तेजी के साथ अमीरी बढ़ रही है, उसी रफ्तार से गरीबी भी बढ़ रही है। वजहें तमाम हैं, लेकिन उन पर सरकार कितना गौर कर पा रही है, यह बड़ा सवाल है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आजादी के अठहत्तर साल बाद भी समाज कल्याण योजनाओं, राहतों और आरक्षण की

व्यवस्था के बावजूद क्या उन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान और विकास हुआ जिनके लिए तमाम हक, अवसर और जनहितैषी योजनाओं की व्यवस्था की गई? सरकारी दावों के बावजूद क्या माना जाए कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में जो अंतर है, उसे स्वीकार कर इस दिशा में फिर से गहन विचार-विमर्श कर आगे बढ़ा जाना चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में आरक्षण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और राहतों से शोषित और पददलितों के जीवन-स्तर में कोई बदलाव नहीं आया? या सामाजिक न्याय महज जुमला या नारा बन कर रह गया है?

सवाल उठाया जा रहा है कि करोड़ों पिछड़े, दलित और शोषित विकास की धारा में समग्र रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? यह समीक्षा का विषय तो है ही, गंभीर चिंता की भी बात है। अध्ययनों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानता की वजह से अपराध और फसाद बढ़ते हैं और आपराधिक न्याय कम प्रभावी होता है। सवाल है कि जिन वजहों से अपराध बढ़ते हैं उन वजहों की मुख्य वजह क्या है? गरीबी या कानून व्यवस्था की नाकामी? समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के मुताबिक गरीबी और अवसरों की कमी कई तरह के अपराधों की वजहें हैं। भारत की न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए जाते रहते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय समाज में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता तब आएगी जब सभी स्तरों पर सुधार होगा। भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण, फसाद, तमाम तरह के भेदभाव और प्रगति विरोधी कवायदों में सुधार होगा। सवाल है कि क्या आरक्षण से वंचित और पिछड़े मेहनतकश मजदूर, किसान अपना हक पाने में सफल हो पाए? सवाल यह भी है कि फिर आरक्षण देने की प्रक्रिया क्या पारदर्शी और न्याय दिलाने में सफल रही? आजादी के बाद देश में अमीरी और गरीबी, दोनों बढ़े हैं। समाज में दोनों ने असर डाला है। लेकिन गरीबी बढ़ने से तमाम तरह की दुश्वारियां लगातार बढ़ रही हैं।

सवाल है कि जिंदगी जीने का तरीका क्या ऐसे लोगों का सुधरा है? जिन जातियों के लिए आरक्षण लागू हुआ है, या जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का फायदा उठाने में कामयाब हुए हैं, क्या उनके परिवार की हालात बेहतर हुई है? आरक्षण का फायदा लेने वाले दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हालात पर अध्ययन किया जाना चाहिए। आरक्षण से जातियों की खुशहाली की जमीनी हकीकत पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानताएं बढ़ी हैं। समाज में अपराध तेजी से बढ़े हैं। इससे क्या यह प्रामाणित नहीं होता कि आरक्षण के बल पर सामाजिक-आर्थिक न्याय का मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता।

संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थितियों को ईमानदारी से समझना होगा। आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिलना सुनिश्चित करना होगा जो किसी न किसी वजह से इसका फायदा नहीं उठा सके हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानता से आज जितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, उतनी शायद कभी नहीं बढ़ीं। वजह है, जितनी जरूरतें बढ़ी हैं उन्हें पूरा करने के लिए गरीब तबके की आय नहीं बढ़ी है। तमाम राज्यों में पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा निःशुल्क है, बावजूद पारिवारिक समस्याओं की वजह से गरीब परिवार अपने बच्चों का स्कूल न भेजकर मजदूरी करने के लिए भेजता है। यह मजलूमियत की मजबूरी है। इससे जाहिर होता है कि रोजगार के अवसरों का सृजन और उनका फायदा समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय पर सवाल उठते रहेंगे।

(लेख में विचार निजी हैं)

> सवाल उठाया जा रहा है कि करोड़ों पिछड़े, दलित और शोषित विकास की धारा में समग्र रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? यह समीक्षा का विषय तो है ही, गंभीर चिंता की भी बात है। अध्ययनों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक असमानता की वजह से अपराध और फसाद बढ़ते हैं और आपराधिक न्याय कम प्रभावी होता है। सवाल है कि जिन वजहों से अपराध बढ़ते हैं उसकी मुख्य वजह क्या है? गरीबी या कानून व्यवस्था की नाकामी?

भारत अब ट्रेकोमा-मुक्त

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' के 123वें एपिसोड के दौरान बताया कि अब भारत 'ट्रेकोमा-मुक्त देश' बन चुका है। यह बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है
- एक समय था जब यह बीमारी देश के कई हिस्सों में आम थी। ध्यान नहीं दिया जाए तो इस बीमारी से धीरे-धीरे आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को ट्रेकोमा-फ्री घोषित कर दिया है
- इस सफलता में हमारे हेल्थ वर्कर्स, स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन का बड़ा योगदान है। डब्ल्यूएचओ ने इस बात की सराहना की है कि भारत ने इस बीमारी से निपटने के साथ-साथ इसके मूल कारणों को भी दूर किया है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

पत्नी, पुत्रवधू, मां और दादी के साथ ही यूपी की उठा-पटक वाली राजनीति में एक उत्साही महिला नेता के रूप में जया ने तमाम चुनौतियों का सामना किया, लेकिन ईमानदारी और गरिमापूर्ण आचरण जैसे बेशकीमती मूल्यों को बिसरने नहीं दिया। रेखा ही नहीं, बल्कि स्मृति और कंगना जैसी राजनेताओं को उनसे कुछ तो सीख लेनी ही चाहिए।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

जागरूक रहें, न बनने दें जानलेवा

फल-सब्जी | **अजय प्रताप तिवारी**

स्वस्थ आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। ये बात अब झूठी लगने लगी है। इसलिए कि आज कल फल, सब्जियों, दूध और दही को जहरीले रसायनों से तैयार किया जाता है। सब्जियों और फल को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है लेकिन ये स्वास्थ्यविनाशक बनते जा रहे हैं। फल और सब्जियों का एक मौसम होता है। लेकिन अब हर मौसम में सभी प्रकार के फल-सब्जियां उपलब्ध होती हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। प्रकृति के अनुरूप उगने वाली फल सब्जिां हर मौसम में आसानी से मिल रही हैं। यह सभी को सोचने-समझने की जरूरत है। चमकते रंगों के साथ फल-सब्जियों को उनके मूल गुणों, रंग आकर में बने रहने के लिए कृत्रिम रंगों और विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है।

ताजे फल और हरी सब्जियों में जहर जैसे रसायनों का इस्तेमाल स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। फल-सब्जी विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को ताजे फल-सब्जियों के नाम पर स्लो प्वॉयजन दिया जा रहा है। कृत्रिम रंगों और रसायनयुक्त फल-सब्जियां गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट-2023 के मुताबिक, 1.5 लाख फल-सब्जियों के सैंपल में करीब 15 फीसद फल-सब्जियां निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक कीटनाशक रसायनों के अवशेष मिले। फल-सब्जियों के साथ पानी, दूध में मिलावट के चलते बच्चों पर इसका प्रभाव दिख रहा है। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार देश में रसायनयुक्त फल-सब्जियों के सेवन से बच्चों के शहरी में लेड की मात्रा बढ़ रही है। केमो-स्फीयर नामक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार रसायनयुक्त फल-सब्जियों के सेवन से मां के दूध में 92 फीसद सीसा की मात्रा मिली है, जिससे नवजात शिशुओं में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है।

सवाल है कि जब रसायनयुक्त फल-सब्जियां बिक रही हैं तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? ऐसे स्वास्थ्यविनाशक रसायन आसानी से उपलब्ध कैसे हो जाते हैं? मंडी निरीक्षण अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें बाजारों में रसायनयुक्त फल-सब्जियों के बारे में कुछ नहीं पता? फल-सब्जियों में मिलावट से संबंधित खबर भी मीडिया में साल दो साल बाद देखने को मिलती है। लेकिन रसायनयुक्त फल-सब्जियों के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई

इसका किसी को पता नहीं चलता। फल-सब्जियों को खतरनाक रसायनों से तैयार करने के कई कारण भी हैं। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मांग-आपूर्ति का असंतुलन तथा फल-सब्जियों की मांग के अनुरूप सीमित उत्पादन उत्पादन, विक्रेता की अधिक मुनाफे की लालसा, फल-सब्जियों के बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए विक्रेता सस्ते दामों पर फल-सब्जियां बेचते हैं, जो रसायनयुक्त होती हैं। देश में बाजार का आकर जैसे-जैसे बढ़ता गया रसायनुक्त फल-सब्जियों का कारोबार भी बढ़ता गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक अध्ययन में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि कई प्रमुख मंडियों में हरी सब्जियों में क्लोरपाइरीफॉस, मालाथियॉन और डीडीटी जैसे प्रतिबंधित कीटनाशकों के अंश मिलते हैं। हालांकि उपभोक्ताओं को भी समझने की जरूरत है कि चमकदार, आकर्षक फल-सब्जियों की मांग वाली मानसिकता को बदलना होगा क्योंकि चमकदार और फल-सब्जियों को ताजा बना रहने के लिए ही बड़े पैमाने पर रसायन का उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक रसायनों से युक्त फल-सब्जियों का सेवन करने से कैंसर, यकृत एवं गुर्दा रोग, हार्मोनल असंतुलन, नपुंसकता, त्वचा रोग, मोटापा और गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। छोटे बच्चों में यह प्रभाव और भी गंभीर होता है। उनके अंदर मानसिक क्षीणता और प्रतिरक्षा प्रणाली में कमी जैसी चिंताजनक बातें शोध में सामने आई हैं।

ऐसा नहीं कि फल-सब्जी विक्रेताओं पर रोक लगाने से पूरा तंत्र विफल हो जाएगा। इसके लिए किसानों और बड़े बड़े कृषि फार्म हाउस संचालकों को कीटनाशक और रसायनों के उपयोग पर रोक लगाना होगा। रासायनिक प्रयोग की निगरानी हेतु पंचायत स्तर पर खाद्य निरीक्षक तैनात किए जाने चाहिए। मिलावटी उत्पादों की पहचान हेतु जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। एआई द्वारा संचालित डिजिटल तकनीक का उपयोग करके फल-सब्जियों में रसायनों की पहचान और गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जा सकता है। समय रहते फल-सब्जियों में रसायनों का उपयोग नहीं रोका गया तो यह आने वाले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों को जन्म देगा। सरकार और उपभोक्ता को मिल कर फल-सब्जियों या किसी भी मिलावटी खाद्य पदार्थ को रोकने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। फल-सब्जियों की एक्सपायरी डेट नहीं होती। इसलिए फल-सब्जियों के लिए सरकार को मानक निर्धारित करने चाहिए। ई-मोबाइल जैसी डिवाइस तैयार करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता ताजे और रसायनयुक्त फल-सब्जियों की पहचान आसानी से कर सकें।

मन | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

जीवन वृक्ष की जड़ मन के अंदर है। अक्सर बाहर की परिस्थितियां जीवन से मेल नहीं खातीं, तब बड़ा दुख होता है। पिता की मृत्यु हो गई, हम बालकों की तरह फट-फट कर रोते हैं। धन चोरी चला गया, हम दुख से व्याकुल हो जाते हैं। शरीर अस्वस्थ हो गया, हमें चारों ओर मृत्यु ही नाचती नजर आती है। कार्य में सफलता नहीं मिली, हम चिंता की चिता में जल उठते हैं। दूसरे लोग कहना नहीं मानते, हम क्रोध से क्षुब्ध हो जाते हैं। इनमें से एक ही परिस्थिति जीवन को दुखमय बना देने के लिए पर्याप्त है, फिर यदि कई घटनाएं एक साथ मिलें तो कहना ही क्या, जीवन में दुख शोकों की भट्टी जलने लगती है। कई बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती, फिर भी हम उनकी कल्पना करके अपने को दुखी बनाते रहते हैं। मेरे एक ही पुत्र है, वह मर गया तो? घर में अकेला कमाने वाला हूं, मेरी मृत्यु हो गई तो? पशुओं को कोई चुरा ले गया तो? कोई झूठा मुकदमा लग गया तो? इस प्रकार की आशंकाएं कल्पित होती है। जितना भय होता है, वास्तव उसका चौथाई भी नहीं आता। हम देखते हैं कि कई धनवान और बलवान अपने घर में डाका पड़ जाने, अपने कत्ल हो जाने की आशंका से रात भर चैन की नींद नहीं लेते। हर घड़ी भय उन्हें सताता रहता है, यद्यपि जैसा वे सोचते हैं, वैसी घटना जीवन भर नहीं होती और अपनी इंद्रियों का तो कहना ही क्या? वे काबू में न हों तो हिरन की तरह चौकड़ी मारती हैं। तृप्ति उन्हें होती ही नहीं। अपने भोगों के लिये उनकी सदा 'और लाओ और लाओ' की रट लगी रहती है। दैनिक जीवन की ये अवस्थाएं मनुष्य को बड़ी उलझन में डाल देती हैं। दुख, शोक, तृष्णा, चिंता, भय, क्रोध, लोभ, द्वेष की भावनाएं उसके मस्तिष्क पर अधिकार जमा कर उसे बड़ी दयनीय दशा में असहाय छोड़ देती हैं। वह शान्ति के लिए प्यासे मृग की तरह चारों ओर दौड़ता है परंतु दृष्टिदोष के कारण सफेद भूमि ही जल दिखाई पड़ती है, दौड़ कर वहां तक पहुंचता है, परंतु वहां धरा ही क्या था? दौड़ने के श्रम से पहले की अपेक्षा भी अधिक अशांति हो जाती है। धन कमाने के लिए अधर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करते हैं, सुख के लिए मायाचार करते हैं परंतु हाथ कुछ नहीं आता। जितना चाहते हैं, उसका शतांश भी प्राप्त नहीं हुआ। भला ओस चाटने पर तृप्ति कैसे हो सकती है।

रीडर्स मेल

हादसे को न्योता देता पुल

सारठ-देवघर एनएच 114 ए मुख्य सड़क स्थित जोरिया पर वर्षों पूर्व बना पुल काफी जर्जर हो गया है। साथ ही, इस पुल पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश होते ही इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है, जिस कारण वाहन चालकों एवं राहगीरों को आवागमन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जर्जर पुल के पास ही एक नया पुल का भी निर्माण किया जा चुका है, परंतु विभाग की लापरवाही के कारण मुख्य सड़क को इस नवनिर्मित पुल से जोड़ा नहीं गया है। इस वजह से पुराने एवं जर्जर पुल पर ही आवागमन हो रहा है जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। पीडब्ल्यूडी को इस पुराने पुल की मरम्मत करवानी चाहिए या फिर नवनिर्मित पुल को मुख्य सड़क से जोड़ देना चाहिए। वैसे भी हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि बिहार में कई पुल ताश के पत्ते की तरह ढह गए। तकलीफ की बात यह भी है कि दोषियों को सजा दिलाने की रफ्तार बेहद धीमी है। यही वजह है कि ठेकेदार और बेईमान नेताओं की करतूतों की वजह से कंपनियां ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद सिस्टम का हिस्सा बने रहते हैं। लाख चाहने और तमाम कवायदों के बावजूद बेईमानों का राज बरकरार है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

अधिकारियों से दुर्व्यवहार चिंताजनक

देश के अनेक राज्यों में सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट, दबाव और बंधक बनाना जैसी घटनाएं अक्सर टीवी/समाचार पत्रों में देखने और सुनने को मिलती हैं। हाल में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियंता के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। ऐसी ही एक घटना भुवनेश्वर की है जहां भुवनेश्वर नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त के साथ उनके ही कार्यालय में जोर जबरदस्त मारपीट की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आईपीएस अधिकारी के साथ एक जनप्रतिनिधि ने अपना रसूख बखारते हुए स्टेडियम में जाने के लिए हंगामा किया। इस तरह की तस्वीर से देश के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों का मनोबल और कर्तव्य निर्वाह करने का जज्बा टूटता है।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

दुनिया भर में शिक्षा पर संकट

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को द्वारा हाल में अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर के देशों में साढ़े सत्ताईस करोड़ बच्चे शिक्षा के अपने मुलभूत अधिकार से वंचित हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस समय दुनिया में युद्धग्रस्त देशों का आकलन पूर्ण अंदर तक जाकर नहीं किया जा सका है अन्यथा शिक्षा से वंचित बच्चों का आंकड़ा और भी भयावह हो सकता था। बेशक, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन ही विश्व के देशों के मध्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने और विश्व समुदाय के लोगों को समान रूप से अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने जैसे पवित्र उद्देश्य को लेकर किया गया था लेकिन दुख इस बात का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की 'दासी' बन गया है जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ निष्क्रिय और बेअसर सा हो गया है। आज दुनिया में राष्ट्र संघ का मतलब अमेरिका होता है जिसकी वजह से दुनिया भर में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद और आपसी सीमा विवाद से गहराते संकट के चलते बच्चों को शाला से वंचित रहना पड़ रहा है। प्रति वर्ष शिक्षा से वंचित करोड़ों बच्चों की तादाद को बढ़ते देख कर भी राष्ट्र संघ का मौन रहना वैश्विक शिक्षा के भविष्य के लिए संकट पैदा कर सकता है।

अरविन्द रावल, झाबुआ, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

वर्ष-34, अंक 316

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ट्रंप की घोषणा

गाज़ा में युद्धविराम

गाज़ा में युद्धविराम की ट्रंप की घोषणा प्रभावी होने से लोगों को सांस लेने का मौका मिलेगा। इजरायल-हमास टकराव शुरू हुए लगभग डेढ़ साल बीत गया है। हमास को समाप्त करने के नाम पर इजरायल ने गाज़ा के लोगों पर भारी मुसीबत ढाई है। दुनिया असहाय होकर गाज़ा को बमों से बरबाद होते देखती रही जिन्होंने अस्पतालों, बच्चों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा। बेलगाम बमबारी ने लोगों पर अकथनीय मुसीबतें ढाई जिससे गाज़ा तक भोजन एवं चिकित्सा सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब थोड़ी राहत की उम्मीद बंधी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल गाज़ा में 60 दिन के युद्धविराम के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसकी कुछ 'आवश्यक शर्तें' हैं। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण करने वाले चरमपंथी फिलिस्तीनी समूह हमास की औपचारिक प्रतिक्रिया आना बाकी है। ट्रंप ने इस घोषणा का साझा 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट के माध्यम से किया है जिसमें कहा गया है कि युद्धविराम प्रस्ताव की घोषणा कतर और मिस्र द्वारा की जाएगी। ये देश प्रमुख मध्यस्थ थे तथा दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यह घोषणा ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू से प्रस्तावित मुलाकात के कुछ ही दिन पहले आई है। ट्रंप ने हमास से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। गाज़ा के लिए इस युद्धविराम का अर्थ बहु-प्रतीक्षित राहत होगी। युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस क्षेत्र में व्यापक विनाश हुआ है तथा रोज मानवीय संकट सामने आया है। नवीनतम युद्ध शुरू होने के बाद से गाज़ा में 50,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है तथा हजारों घायल या विस्थापित हुए हैं या गायब हैं। पूरी-पूरी बस्तियां खंडहर बन गई हैं, स्कूल और अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं तथा मार्च में युद्धविराम के बाद ही थोड़ी बहुत सहायता पहुंची है। यदि युद्धविराम स्थाई होता है तो इससे युद्ध शुरू होने के बाद से हो रही हिंसा थमेगी। इससे फिर से मानवीय सहायता का रास्ता खुलेगा, मरीजों को इलाज के लिए बाहर निकाला जा सकेगा और मूलभूत ढांचे की बहाली होगी। ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से इससे पीड़ित नागरिकों को एक छोटा पर महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा कि वे अपनी स्थिति सुधार सकें, दु:ख प्रकट कर सके तथा जीवन फिर से पटरी पर लाने का प्रयास कर सकें। हालांकि, युद्धविराम पर इजरायल की सहमति महत्वपूर्ण कदम है, पर इतिहास गवाह है कि ऐसे युद्धविराम का दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन होता है और युद्ध पुन: शुरू हो जाता है। 19 जनवरी को शुरू हुआ पहला युद्धविराम कुछ ही सप्ताह में समाप्त हो गया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया। मार्च में इजरायल ने फिर हमले शुरू किए। उसका आरोप था कि हमास ने युद्धविराम की शर्तें तोड़ीं, लेकिन हमास ने इससे इनकार किया था।

लगता है कि इस बार ट्रंप प्रशासन ने सभी पक्षों पर भारी राजनयिक दबाव डाला है कि वे वार्ता की मेज पर आएं। लेकिन इसके बावजूद आशंकाओं का बाजार गर्म है। हमास ने अभी युद्धविराम के प्रस्ताव पर अपनी औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है और शायद वह सिविलियन हताहतों की संख्या बढ़ने तथा अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने के कारण अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही इजरायली राजनीतिक अवस्थापना में कट्टरपंथी तत्व ज्यादा लंबे युद्धविराम का विरोध करेंगे क्योंकि इसे 'रियायत' या 'कमजोरी' के रूप में देखा जा सकता है। युद्धविराम के बाद यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि हमास अथवा कोई अन्य चरमपंथी फिलिस्तीनी समूह भूमिगत सुरंगों, आतंकी अड्डों या हथियार बनाने की फैक्ट्रियों से इजरायल के लिए संकट नहीं पैदा करेगा। सारी दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमास जैसे संगठन इजरायल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन न करें तथा आतंकवाद की राजनीति का परित्याग करें। राजनीति और भू-राजनीति से आगे यदि इस युद्धविराम का क्रियान्वयन होता है तो यह गाज़ा की संकटग्रस्त जनसंख्या के लिए राहत की बात होगी। अब यह क्षेत्र और विनाश झेलने की स्थिति में नहीं है। निरपराध नागरिकों को राहत हेतु हिंसा थमनी चाहिए, भले ही यह अस्थाई रूप से हो।

स्मार्ट भीड़ प्रबंधन जरूरी

पुरी त्रासदी प्रशासनिक कमियों के साथ मानवीय विफ्लता भी है। धार्मिक आयोजनों का आकार बढ़ने के साथ ही भारत को उन लोगों का जीवन सुरक्षित रखने के कदम उठाने चाहिए जो विश्वास के चलते उनमें शामिल होते हैं।

सतेन्द्र सिंह
(लेखक, आपदा प्रबंधन से संबद्ध हैं)

बेंगालुरू में विनाशकारी भगदड़ में 11 लोगों की जान गई और उसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह त्रासदी हमारे दिमाग में बनी हुई थी कि पुरी में रथयात्रा के दौरान एक और त्रासदी सामने आ गई। इस भगदड़ में तीन तीर्थयात्रियों की जान गई तथा अनेक घायल हो गए और इस प्रकार यह आध्यात्मिक भक्ति का आंदोलन भ्रम और शोक का कारण बन गया। हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तथा ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों व एआई जैसी परिष्कृत निगरानी तकनीकों का प्रयोग करने के बावजूद इस त्रासदी से बचा नहीं जा सका। पहले हुई अनेक घटनाओं की तरह यह घटना भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है।

पिछले सबकों के बावजूद ऐसी घटनायें लगातार क्यों होती हैं? इन आयोजनों में उम्मीद और विश्वास से भाग लेने वाले करोड़ों लोगों को सुरक्षा देने के लिए और क्या किया जा सकता है? भारत में भगदड़ों का परेशान करने वाला इतिहास है जो खासकर धार्मिक आयोजनों, मंदिरों तथा तीर्थयात्रा स्थलों पर होती हैं। 1996 के बाद से ऐसी लगभग 4,000 घटनायें सामने आई हैं जिनमें अनेक लोग हताहत हुए हैं। विश्व स्तर पर एक सबसे बड़ा आयोजन माने जाने वाले कुंभ मेलों में व्यापक योजना बनाने के बावजूद ऐसी घटनायें हुई हैं। हाल ही में पुरी की त्रासदी तत्काल विशाल भीड़ प्रबंधन रणनीतियों की समीक्षा की आवश्यकता उजागर करती है। इसे बैरिकैड लगाने तथा पुलिस की उपस्थिति से आगे जाते हुए खुफिया सूचनाओं पर आधारित समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि ऐसी विभीषिकाओं का अनुमान लगा कर उनको रोका जा सके। भीड़ प्रबंधन की प्रमुख चुनौती मानव व्यवहार का अनुमान न लगाने के कारण होती है।

अक्सर भगदड़ का कारण तेज आवाज, अफवाह या ऐसी बाधा होती है जिससे भय पैदा होता है। इससे लोग अलग-अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों में लोग हताहत हो जाते हैं।

पुरी में शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि खराब सेकटर संगठन तथा भीड़ को समय पर तितर-बितर करने में अफलता के कारण यह दुर्घटना हुई। हालांकि, अधिकारी समय बीतने के साथ भीड़ प्रबंधन रणनीतियों में सुधार कर सकते हैं, पर भीड़ का मनोविज्ञान एवं गतिशीलता समझना भीड़ प्रबंधन का ऐसा भाग है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष चिन्ता की बात है कि जानबूझ कर व्यवधान पैदा किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों से संकेत मिलता है कि संगठित समूह या परेशानियां पैदा करने वाले बड़े आयोजनों में अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं। इससे खुफिया नेटवर्कों में सुधार की आवश्यकता उजागर होती है और यह काम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि स्थानीय समुदायों के स्तर पर होना चाहिए।

किसी धार्मिक आयोजन में ज्यादा भीड़भाड़ के कारण होने वाली भगदड़ से बचने के लिए विश्वसनीय सूचनायें एकत्र करना, तथा समुदाय के नेताओं और स्थानीय कानून-व्यवस्था एजेंसियों से तत्काल खुफिया सूचनायें एकत्र करना जरूरी हो जाता है ताकि संभावित खतरों या अव्यवस्था पैदा करने के प्रयासों का तुरन्त पता लगाया जा सके। समय आ गया है कि प्रतिक्रियात्मक रणनीतियों के बजाय भीड़ प्रबंधन की सक्रिय व खुफिया सूचनाओं पर आधारित रणनीतियों पर अमल किया जाए। प्रभावी तैयारी का विस्तार कर इसे केवल भीड़ की संख्या का अनुमान लगाने और बाधायें खड़ी करने से आगे बढ़ना चाहिए। इनमें जोखिमों का समग्र आंकलन शामिल हैं जिसमें मानव व्यवहार, ढांचागत तैयारियों तथा सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारियों पर जोर दिया जाना चाहिए। आपदा की जोखिम कम करने के लिए 'सेनडाई फ्रेमवर्क' जैसी योजनाओं का प्रयोग होना चाहिए जो इन दृष्टिकोणों का वैश्विक मानक स्थापित करते हैं।

इनमें जोखिमों से निपटने, निरोधक उपायों में निवेश करने तथा शीघ्र चेतावनी और प्रतिक्रिया व्यवस्थाओं को रेखांकित किया गया है। हालांकि, तकनीक इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है, पर यह अकेले कारगर नहीं होती है। फेसियल रिकग्नीशन, ड्रोन आधारित थर्मल इमेजिंग और एआई-सक्षम भीड़ विश्लेषण बहुत अधिक सीमा तक इसकी व्याख्या करने वालों तथा डेटा पर कार्रवाई करने वाले लोगों पर निर्भर होता है। इसके लिए कर्मचारियों को भीड़ का मनोविज्ञान समझने, आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा सही समय पर संवाद के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है।

इसी प्रकार तत्काल अपडेट देने वाले मोबाइल एपों, आपातकालीन चेतावनियों तथा नैवीगेशन से वहां उपस्थित लोगों को अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से बचने को कहा जा सकता है। बायोमीट्रिक व रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान-आरएफआईडी आधारित नियंत्रण व्यवस्थाओं से संवेदनशील क्षेत्रों में बहुत अधिक भीड़ रोकने में सहायता मिल सकती है। लेकिन इन संवेदनशील समाधानों को समग्र तैयारी रणनीतियों से जोड़ा जाना चाहिए जिनमें सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी गई हो। इलाके की सबसे अच्छी समझदारी रखने वाले निवासियों, दूकानदारों और स्वयंसेवकों को सुरक्षा नियोजन तथा निगरानी में शामिल किया जाना चाहिए।

उनकी सतर्कता तथा तत्काल अवांछित गतिविधियों की उनके द्वारा खबर मिलने से विभीषिकाओं को रोका जा सकता है। भारत को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किए जा रहे सर्वोत्तम व्यवहारों का भी लाभ उठाना चाहिए। जापान जैसे देशों ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों के प्रबंधन में स्पष्ट रूप से निर्धारित निकास द्वारों, भीड़ के संगठित प्रवाह तथा जीवन्त संचार व्यवस्थाओं का प्रयोग किया है। इन रणनीतियों को भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुकूल बदला जाना चाहिए और इसमें उपयुक्त नियोजन तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी शामिल होना चाहिए।

घटनाओं के बाद उनका विश्लेषण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हर भगदड़ का गहन विश्लेषण होना चाहिए ताकि आयोजन के क्रियान्वयन में आई गलतियों का पता लगा कर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। विभिन्न पक्षों की जिम्मेदारी और कर्तव्य तय किए जाने चाहिए जिनमें आयोजन के आयोजक, कानून लागू करने वाली एजेंसियां तथा नगरपालिका अधिकारी शामिल हैं। इनके कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर एक एकीकृत कमांड ढांचे के अंतर्गत समन्वित किया जाना चाहिए। दुर्घटनाओं की जांच करने वाली समितियों की रिपोर्टों को प्रकाशित कर उनकी संस्तुतियों का क्रियान्वयन होना चाहिए ताकि इससे पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बढ़ावा मिले।

पुरी की त्रासदी न केवल प्रशासनिक कमियों को उजागर करती है, बल्कि यह मानवीय कमियों की ओर भी संकेत करती है। इससे स्पष्ट होता है कि सतर्कता घटने पर व्यवस्थायें कैसे विफल हो जाती हैं। भारत में धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए भारत को स्पष्ट रूप से उन लोगों का जीवन सुरक्षित रखने की दिशा में सक्रिय कदम उठाने चाहिए जो अपने धार्मिक विश्वासों के कारण अनेक कष्ट सहते हुए भी इन आयोजनों में शामिल होते हैं। इस प्रकार बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भयभीत होने से बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है।

केवल एकीकृत और अग्रगामी सोच से बनी रणनीतियों के आधार पर ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। ऐसे आयोजनों को सुरक्षित बनाने और उनके सुचारु संचालन के लिए खुफिया सूचनायें एकत्र करना, सामुदायिक सहभागिता, भीड़ का मनोविज्ञान समझना तथा अद्यतन तकनीकों का प्रयोग करना जरूरी है। समय आ गया है कि पिछली दुर्घटनाओं से समुचित सबक लेकर ऐसे कदम उठाएं कि भविष्य में कोई धार्मिक आयोजन राष्ट्रीय शोक दिवस में न बदलने पाए। बड़े धार्मिक आयोजनों में सभी संबंधित पक्षों के बीच समन्वय व संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है ताकि स्थानीय लोग, दूकानदार, जागरूक नागरिक, दूकानदार, नगरपालिका कर्मी तथा स्थानीय पुलिस, आदि सभी इन आयोजनों को सफल और दुर्घटना-विहीन बनाने में अपना पूरा योगदान दे सकें।

समग्र विकास और वैश्विक बेहतरी

> हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह एक दुष्चक्र में फंसी हुई है, जिसे हम में से कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि इसके सामने आने वाली ज़्यादातर समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह एक दुष्चक्र में फंसी हुई है, जिसे हम में से कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि इसके सामने आने वाली ज्यादातर समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं और उनमें से हर एक समस्या दूसरों की आग को हवा देती है। हम इन समस्याओं को हल नहीं कर पाते या उनकी गंभीरता को कम नहीं कर पाते, इसका एक कारण यह है कि हम सभी समस्याओं पर एक साथ हमला करने वाला समाधान नहीं अपनाते या हमारे पास कोई समाधान नहीं होता।

दूसरे शब्दों में, हमारी समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण समग्र नहीं है- यह टुकड़ों में है। हम प्रत्येक समस्या के लिए अलग-अलग समाधान का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि इस बीच, अन्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं और उस समस्या को वापस ले आती हैं, जिससे हम पहले से ही निपटने की कोशिश कर रहे हैं!

दूसरे, हम पुराने सिद्धांतों के मोह में हैं। हम यह नहीं समझते कि हमारी वर्तमान समस्याएं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे सामाजिक-आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के कारण हैं, जो पिछले लगभग तीन सौ वर्षों या उससे भी ज्यादा समय में प्रचलित हुए हैं। हमें यह सोचना चाहिए था कि ये सिद्धांत न केवल लंबे समय में अप्रभावी साबित हुए हैं, बल्कि नई समस्याओं को जन्म दिया है या हमारी पुरानी समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

इसलिए हमें उन्हें पुराना मानकर त्याग देना चाहिए था, क्योंकि तब से विश्व परिदृश्य में बहुत बदलाव आ चुका है। हमें अब तक यह पता चल जाना चाहिए था कि दुनिया में दुखों को दूर करने या कम करने की समस्याओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कुछ गड़बड़ है, और एक बेहतर दुनिया का हमारा प्रतिमान गलत है। हमारे वर्तमान दृष्टिकोण और मॉडल में हमारा मुख्य जोर आर्थिक विकास पर रहा है। हम किसी देश की उन्नति को उसके सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय से मापते रहे हैं और आज भी मापते हैं। हमारी मुख्य चिंता यह देखना है कि विकास का यह प्रतिमान लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सक्षम है या नहीं। यह इस धारणा पर आधारित है कि भौतिक वस्तुओं का अधिक आनंद लेने से अधिक खुशी मिलती है। इस प्रकार इसने हमें विकास का एक गलत मॉडल दिया है। हमारी धारणा गलत रही है क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। उसे मानसिक और सांस्कृतिक विकास की आवश्यकता है, और उसे मन की शांति की आवश्यकता है। इसलिए हमारा लक्ष्य भौतिक संपदा के बजाय मनुष्य की भलाई होना चाहिए। अब प्रतिमान बदलाव और हमारे जोर में बदलाव की आवश्यकता है। हमें कुछ लोगों के आर्थिक विकास के बजाय सभी के समग्र विकास के लिए काम करना होगा। वर्तमान में तकनीकी-वैज्ञानिक और मानसिक-आध्यात्मिक विकास के बीच असमानता बहुत बढ़ गई है। इसके परिणामस्वरूप बड़े असंतुलन और सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकृतियां पैदा हुई हैं। आज हम जिस गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं, वह नैतिकता में गिरावट और भौतिक और भौतिक पर अत्यधिक जोर देने के कारण है। इसके कारण गलत प्राथमिकताएं, गलत अनिवार्यताएं, गलत दृष्टिकोण और गलत लक्ष्य तय हो गए हैं।

हम पाते हैं कि पिछले कुछ शताब्दियों में प्रकृति और उसकी शक्तियों के बारे में हमारा ज्ञान बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारा नैतिक और आध्यात्मिक विकास इसके साथ तालमेल नहीं रख पाया है।

परिणामस्वरूप, पारस्परिक, अंतर-सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हमारे संबंधों में बहुत गिरावट आई है। यदि हम आज परमाणु दौड़ या गरीबी की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, तो इसका कारण यह है कि आज हमारे संबंध, सभी स्तरों पर, सद्भावना, मित्रता, प्रेम और सहयोग पर आधारित नहीं हैं। इसलिए वर्तमान संकट मुख्य रूप से एक नैतिक संकट है। हमारी सभी मौजूदा समस्याएँ नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की कमी और सहयोग की अनुपस्थिति या कमी से उत्पन्न होती हैं।

इसलिए, अगर हम दुनिया में दुखों को कम करना चाहते हैं या उन्हें खत्म करना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में, अगर हम एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, तो हमें आवश्यक नैतिक माहौल बनाना होगा और वैश्विक स्तर पर सद्भावना और सहयोग का निर्माण करना होगा। यह विश्वास कि दुखों और आज की समस्याओं के बिना एक दुनिया हो सकती है, एक काल्पनिक विश्वास नहीं है।

जब हम वर्तमान मान्यताओं और प्रतिमानों का उपयोग करते हैं तो यह काल्पनिक लगता है। प्रतिमान बदलाव इसे काफी व्यवहार्य बना देगा। इसलिए, अगर हम रहने के लिए एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें नैतिक अनिवार्यता का पालन करना चाहिए। हमें अपना लक्ष्य केवल आर्थिक कल्याण नहीं बल्कि विश्व कल्याण बनाना चाहिए। तभी हमें सभी का सहयोग मिलेगा

आप की बात

भारत-अमेरिका दोस्ती

काफी समय से भारत- अमरीका के बीच सब कुछ ठीकठाक नहीं चल रहा था किन्तु धीरे-धीरे मनमुटाव कम होने लगा है और दोस्ती मजबूत होने की उम्मीदें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के कूटनीतिक प्रयासों ने जहाँ अमरीका-भारत के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु किये जाने वाले समझौते में सफलता की उम्मीद जगी है, वहीं अनेक रक्षा सौदों और 10 वर्षीय रक्षा सहयोग पर भी सफलता की उम्मीद है। एस. जयशंकर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी मंत्रियों से चर्चा करके आपसी सहयोग को और बढ़ावा देने के प्रयस किए हैं। उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्द ही हो जाएगा जिससे भारत को बड़े अमेरिकन टैरिफों के बोझ से मुक्ति मिलेगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष से बात कर दस वर्षीय सुरक्षा समझौते का रास्ता खोला है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है जिससे चीन तथा चीन-पाकिस्तान धुरी से मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। इस समझौते से दुनिया भर में भारत का कद बढ़ेगा तथा वह रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। भारत-अमेरिका दोस्ती दोनों देशों की जनता व खासकर युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

घुसपैठ की समस्या

हमारे देश में सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं कई अन्य देशों के भी अवांछित तत्व बड़ी संख्या में घुसे हुए हैं। वे हमारे देश के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं तथा स्थानीय युवाओं को लालच देकर राष्ट्र-विरोधी कार्यों का प्रशिक्षण दे रहे हैं भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या दशकों पुरानी है जिसे लगातार अनदेखा किया गया। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज् के आंकड़े बताते हैं कि 1951 से 1974 के बीच लगभग 50 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से अचानक गायब हो गएए जो कि वस्तुत: भारत में अवैध रूप से बस गए। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा आघात है। 2001 में एक मंत्री समूह ने इस घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा माना था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि असम में यह स्थिति विदेशी आक्रमण जैसी है और भारत सरकार पर अनुच्छेद 355 के तहत कार्रवाई का दायित्व है। आज भारत में अनुमानत: दो करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। वोटबैंक की राजनीति ने समस्या को और गंभीर बनाया है। कई राजनीतिक दलों ने इन अवैध प्रवासियों को पहचान पत्र, राशन कार्ड और यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र तक दिलवा दिए हैं।

- **मधु सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

शिक्षा सुधार का विरोध

देश भर में प्राथमिक शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नही है। इसमें सुधार हेतु उत्तर प्रदेश में कुछ परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या नगण्य होने की स्थिति में उनका विलय किया जा रहा है। किंतु अंध-विरोध के नाम पर राजनीति करने वाले ये नेता और कार्यकर्ता विलय के विरोध में सड़कों पर हैं जिनके अपने बच्चे कभी इन विद्यालयों में नहीं पढ़े। उनका शिक्षा की गुणवत्ता से भी कभी कोई सरोकार नहीं रहा। इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापकों व प्रशासन तथा शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों व् कर्मचारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। परिषदीय विद्यालयों में अब आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ अध्यापक व अध्यापिकाएं पढ़ा रहे हैं। जिन विद्यालयों में बालक-बालिकाओं की संख्या कम है उनका अन्य विद्यालयों में विलय किसी प्रकार गलत नहीं है क्योंकि इनमें शिक्षकों के वेतन के साथ अन्य खर्च अनावश्यक रूप से होते हैं। विडंबना है कि शिक्षा पर राजनीति करने वाले नेताओं ने विद्यालयों को अपनी कमाई और शिक्षा माफिया का अड्डा बना दिया था। अब ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधारों के विरोध में जनता, शिक्षकों और अभिभावकों को भड़काने का काम कर रहे हैं।

- **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

सराहनीय कदम

केरल सरकार ने युवाओं को नशे और हानिकारक प्रवृत्तियों से दूर रखने के लिए स्कूलों में जुंबा नृत्य की व्यवस्था जारी रखने का जो फैसला किया है वह निश्चित ही सराहनीय है। जुंबा एक विश्वप्रसिद्ध एरोबिक नृत्य है जो संगीत और शारीरिक व्यायाम का संयोग है। यह मनोरंजन के साथ-साथ फिटनेस बढ़ाने, तनाव घटाने और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। आज जब युवा तेजी से मोबाइल और नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें आकर्षक शारीरिक गतिविधियों की ओर मोड़ना समय की मांग है। जुंबा ऐसी ही एक गतिविधि है जो स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे पढ़ाई में भी अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हालाँकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने जुंबा का विरोध करते हुए इसे अश्लील करार दिया लेकिन यह विरोध उसी सोच का हिस्सा है जो योग का भी विरोध करती है। ऐसे विरोध को धार्मिक रंग देना अनुचित है। राज्य सरकारों को इस पहल से प्रेरणा ले कर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।

- **विभूति बुपक्या**, खाचरौद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।